
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION











पावर टिलर Power Tiller



कुम्हारं Potter



टोकरी बनाने वाली Basket Maker



खुदरा व्यापारी Retail Trader



परिवहन परिचालक Transport Operator

With best compliments of

K. K. Saksena

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, New India Centre. 17, Cooperage Road, Bombay - 400 039.

the state of the s

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

T. N. Kutty

न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बम्बई-400 039

बी.एस./432/डीआइसीजीसी 50 (बी) -84

23 मार्च 84
3 चैत्र 1906 (शक)
सचिव
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
नया केन्द्रीय कार्यालय भवन,
बम्बई-400 023.
प्रिय महोदय,

1983 के लिए तुलनपत्र और वार्षिक रिपोर्ट मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 23(1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश दिया है:

- (i) 31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलनपत्र और लेखे और;
- (ii) वर्ष 1983 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

भवदीय ह/ के.के. सक्सेना महा प्रबंधक

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUAR-ANTEE CORPORATION

New India Centre, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay – 400 039

BS/431/DICGC. 50(B)-84

March 23, 1984 Chaitra 3, 1906 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
New Central Office Building,
Bombay – 400 023

Dear Sir.

Balance Sheet and Annual Report for 1983

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended the 31st December 1983, together with the Auditors' Report; and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1983.

Yours faithfully, Sd/- K. K. Saksena General Manager

W. N. Kuily

T. N. Kutty

प्रेषण पत्र (भारत सरकार को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बम्बई-400 039

बी.एस./430/डीआइसीजीसी 50 (सी) -84

23 मार्च 1984
3 चैत्र 1906 (शक)
सचिव
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)
जीवनदीप बिल्डिंग
पार्लियामेंट स्ट्रीट
नई-दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

1983 के लिए तुलनपत्र और वार्षिक रिपोर्ट

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की घारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है —

- (i) 31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सिहत निगम के तुलनपत्र और लेखे और;
- (ii) वर्ष 1983 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट।
- 2. उक्त तुलनपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी हैं। उसकी तीन अतिरिक्त प्रतियां इस पत्र के साथ भी भेजी जा रही हैं।
- 3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की थारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें।

भवदीय

ह/- के.के. सक्सेना महा प्रबंधक

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

New India Centre, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, Bombay – 400 039

BS/429/DICGC. 50(C)-84

March 23, 1984 Chaitra 3, 1906 (Saka)

The Secretary to the Government of India, Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi – 110 001

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for 1983

Pursuant to the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended the 31st December 1983, together with the Auditors' Report; and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1983.
- 2. Copies of the above Balance Sheet and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
- 3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of the Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha), under Section 32(2) of the Act ibid.

Yours faithfully, Sd/- K. K. Saksena General Manager

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

डॉ. म.वि. हाटे उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ख) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित

डॉ. पी.डी. ओझा कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ग) के अधीन नामित

श्री अशोक चन्द्र संयुक्त सचिव,भारत सरकार,वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नयी दिल्ली (23 अप्रैल 1984 तक)

के.के. मिश्रा निदेशक, भारत सरकार वित मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नयी दिल्ली (24 अप्रैल 1984 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम,1961 की धारा 6 (1) (घ) के अधीन नामित

एस.वी. घाटलिया सनदी लेखाकार

आर.वी. माधव राव प्रबंध निदेशक, जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, बम्बई

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Dr. M. V. HATE Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

Dr. P. D. OJHA Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay

Nominated under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Act, 1961

ASHOK CHANDRA

Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division) New Delhi (till 23rd April, 1984)

K. K. MISRA

Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Divison) New Delhi (from 24th April, 1984)

Nominated Under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

S. V. GHATALIA Chartered Accountant, Bombay

R. V. MADHAVA RAO

Managing Director, General Insurance Corporation of India, Bombay

निदेशक बोर्ड (जारी)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ङ) के अधीन नामित

वी.एन. नाडकर्णी अध्यक्ष,भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई

बी.वी. सोनालकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई

एम.आर.बी. पुंजा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई

एल.पी. भार्गव एडवोकेट, उज्जैन (९ अप्रैल 1983 तक)

BOARD OF DIRECTORS (Contd.)

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961

V. N. NADKARNI Chairman, State Bank of India, Bombay

B.V. SONALKER

Chairman & Managing Director, Central Bank of India, Bombay

M. R. B. PUNJA Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay

L. P. BHARGAVA Advocate, Ujjain (till 9th April, 1983)

निगम के कार्यालय और प्रमुख अधिकारी OFFICES AND PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

प्रधान कार्यालय		HEAD OFFICE	टेलीफोन	तार
न्यू इंडिया सेंटर		NEW INDIA CENTRE	Tel. Nos.	Telegram
महाप्रबंधक का सचिवालय	*	G. M.'s Secretariate & Board Section	202-7323	''क्रेडिटगार्ड''
तथा बोर्ड अनुभाग		Dy. General Manager	202-2408	'CREDITGARD'
उप महा प्रबंधक		zy. constant tamager	202-0299	0.120.1.01.1.0
उप महा प्रबंधक				
कम्प्यूटर प्रभाग	*	Computer Division		
लघु उद्योग-ऋण गारंटी विभाग	*	SSI – Credit Guarantee Department		-
सहकारी ऋण गारंटी अनुभाग		Co-operative Credit Guarantee Section		
न्यू इंडिया सेंटर,		New India Centre,		
VIII		17, Cooperage Road,		
17, कूपरेज रोड,		Post Box No. 1076,	,	
पोस्ट बॉक्स सं. 1076, बम्बई-400 039		BOMBAY-400 039.		
		NOVELTY CHAMBERS		110-20-4-11
नावेल्टी चेम्बर्स		Dy. General Manager	89-2364	''डिपॉजिटिंस्'' 'DEPOSITINS'
उप महाप्रबंधक जमा बीमा विभाग	*	Deposit Insurance Department	892577	DEPOSITING
गैर-औद्योगिक ऋण				
गर-आधागक ऋण गारंटी विभाग	*	Non-Industrial Credit Guarantee Department	375027	
गारटा विभाग लेखा विभाग			893256	
प्रशासन विभाग	*			
नावेल्टी चेम्बर्स	*	Accounts Department		
4 थी, 5 वीं, 6 ठी और 8 वीं मंजिल	~	Administration Department Novelty Chambers,		
	м,	4th, 5th, 6th & 8th Floors,		
ग्रान्ट रोड,		Grant Road,		
पो.बा.सं. 4095		Post Box No. 4095		
बम्बई-400 007		BOMBAY-400 007.		
शाखाएं				
(i) बम्बई इरोज बिल्डिंग,		BRANCHES		
पांचवी मंजिल चर्चगेट		(i) BOMBAY		
बम्बई-400 020		Eros Building,	22-2321	''क्रेडिटगार्ड''
(ii) कलकता		5th floor,		'CREDITGARD'
8, कांउसिल हाउस स्ट्रीट		Churchgate,		
(पहली मंजिल)		BOMBAY-400 020.		
पोस्ट बैग सं. 17		(ii) CALCUTTA		
कलकता-700 001.		8, Council House Street,	22-6029	''डिसिनार
(iii) मद्रास		(First Floor) Post Bag No. 17,		'DISINGUAR'
कुरालगम बिल्डिंग,		CALCUTTA-700 001.		
तीसरी मंजिल,		(iii) MADRAS		115.0
एस्लेनेड, पोस्ट बॉक्स		Kuralagam Building,	26524	"क्रेडिटगार्ड"
₹. 5021,		3rd floor, Esplanade,	28139	'CREDITGARD'
मद्रास-600 108		Post Box No. 5021, MADRAS-600 108.		
(iv) नयी दिल्ली				
भारतीय रिज़र्व बैंक भवन,		(iv) NEW DELHI	20 6407	110-200-11
6, संसद मार्ग		Reserve Bank of India Building,	38-6487 38-3901	"डिपॉजिटिंस्" 'DEDOCITING'
पोस्ट बॉक्स सं. 123,		6, Sansad Marg, Post Box No. 123,	00-0701	'DEPOSITINS'
नयी -दिल्ली-110 001.		NEW DELHI-110 001.		
		TILTY DEEL II IIO OOA.		•

प्रमुख अधिकारी

श्री के.के. सक्सेना, महा प्रबंधक

श्री इंद्रसेन शर्मा, उप महा प्रबंधक

श्री पी. कृष्णमूर्ति, उप महा प्रबंधक

शाखा प्रबंधक

श्री जी.एस. कुलकर्णी (बम्बई)

श्री एस.के. सेनगुप्ता (कलकता)

श्री वी. श्रीनिवासन (मद्रास)

श्री एम.एम.एस. रेखराव (नयी दिल्ली)

अन्य वरिष्ठ अधिकारी

श्री जे. फोन्सेका

श्री पी.एस. सामन्त

श्री एस.टी. खानझोडे

श्री वाइ.एम. परांजपे

श्री के.एस. जोशी

श्रीमती एम.ए. मालशे

श्री एस.एन. तलाटी, सचिव

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखापरीक्षक

मेसर्स हरिभक्ति एण्ड कं., सनदी लेखाकार, बाम्बे म्युचुअल चैम्बर्स, 19/21 अम्बालाल दोशी मार्ग, फोर्ट, बम्बई-400 023

PRINCIPAL OFFICERS

Shri K.K. Saksena, GENERAL MANAGER

Shri I.S. Sharma, DY. GENERAL MANAGER

Shri P. Krishnamurthy, DY. GENERAL MANAGER

BRANCH MANAGERS

Shri G.S. Kulkarni (Bombay)

Shri S.K. Sen Gupta (Calcutta)

Shri V. Srinivasan (Madras)

Shri M.M.S. Rekhrao (New Delhi)

OTHER SENIOR OFFICERS

Shri J. Fonseca

Shri P.S. Samant

Shri S.T. Khanzode

Shri Y.M. Paranjpe

Shri K.S. Joshi

Smt. M.A. Malshe

Shri S.N. Talati, Secretary

BANKERS

Reserve Bank of India

AUDITORS

M/s. Haribhakti & Co., Chartered Accountants, Bombay Mutual Chambers, 19/21, Ambalal Doshi Marg, Fort, BOMBAY-400 023

31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कामकाज की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के अनुसार निदेशक बोर्ड 31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।

परिणाम : एक विहंगम दृष्टि

2.1 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम ने बैंकों में छोटी राशि जमां करनेवालों को बीमा रक्षा और कितपय श्रेणियों के छोटे ऋणकर्ताओं विशेषकर नये बीस-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में बैंकों की भूमिका के संदर्भ में समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान करने के अपने दोहरे उददेश्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना जारी रखा। इस तरह, निगम ने जमा बीमा योजना के अलावा लघु उद्योगों से संबंधित योजना सिहत चारों ऋण गारंटी योजनाएं आवश्यक संशोधनों के साथ चलाना जारी रखा। साथ ही, कार्य की बढ़ती हुई मात्रा और समग्र कार्यकुशलता में सुधार लाने के उददेश्य से निगम ने अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन किये तथा अपने प्रधान कार्यालय में एक छोटा-कम्प्यूटर लगाया जिसे सितंबर 1983 से उपयोग में लाया जा रहा है। इन उपायों से कार्मिकों का अधिक सही और कारगर उपयोग किया जा सकेगा और उससे उनकी उत्पादनक्षमता में वृद्धि होगी।

- 2.2 बीमाकृत बैंकों की संख्या 31 दिसंबर 1982 को 1,683 थी, जो बढ़कर दिसंबर 1983 के अंत में 1,736 हो गयी। इसमें 83 वाणिज्य बैंक, 148 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 1,505 सहकारी बैंक (इस क्षेत्र के कुल 1,594 सहकारी बैंकों में से) शामिल हैं। बीमाकृत जमाराशियां 31,773.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 37,746.39 करोड़ रुपये हो गयीं (इनमें 18.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई) तथा पूर्णतया रक्षित जमाखातों की संख्या में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वे 1,581 लाख से बढ़कर 1,785 लाख हो गये।
- 3.1 ऋण गारंटी योजनाओं के मामले में गैर-औद्योगिक क्षेत्र को दिए गये गारंटीकृत अग्रिमों में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इनकी राशि 30 जुन 1983 को 5,773.83 करोड़ रुपये थी (जबिक 30 जुन 1982 को

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED THE 31ST DECEMBER, 1983

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the Twenty second Annual Report of the Corporation for the year ended the 31st December, 1983.

Results - An overview

During the year under report, the Corporation continued to strive for the achievement of its twin objectives of giving insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended to certain categories of small borrowers, particularly those belonging to the weaker sections of the society in the context of banks' role in implementation of the new 20-Point Programme. Thus, besides the Deposit Insurance Scheme, the Corporation continued to operate four credit guarantee schemes including the one relating to small scale industries with suitable modifications. Further, in the context of increasing volume of work and to improve overall efficiency, the Corporation introduced certain changes in its work systems and installed a mini-computer at its Head Office which has been brought into use from September, 1983. These measures are likely to contribute significantly to a more efficient and effective use of the personnel thereby increasing their productivity.

- 2.2 The total number of insured banks rose from 1,683 as on 31st December, 1982 to 1,736 as at the end of December, 1983, comprising 83 commercial banks, 148 regional rural banks and 1,505 co-operative banks (out of a total of 1,594 co-operative banks in this sector). The insured deposits rose from Rs.31,773.92 crores to Rs.37,746.39 crores (a rise of 18.8 per cent) and the number of fully protected deposit accounts went up by 12.9 per cent from 1,581 lakhs to 1,785 lakhs.
- 3.1 As regards the credit guarantee schemes, there was a rise of 19.3 per cent in the guaranteed advances to non-industrial sector which stood at

यह राशि 4,839.88 करोड़ रुपये थी)। लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये गारंटीकृत अग्निमों में भी 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 30 जून 1983 को इनकी राशि 4,153.73 करोड़ रुपये थी (जबिक 30 जून 1982 को यह राशि 3,822.13 करोड़ रुपये थी)।

3.2 निगम ने अपनी चारों योजनाओं के अंतर्गत ऋण गारंटी दावों की प्राप्ति में हुई भारी वृद्धि के अनुरूप गारंटी दावों का निपटान रिकार्ड संख्या में किया। इस वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों की संख्या नीचे दशिये अनुसार रही जिससे यह पता चलता है कि निपटाये गये दावों की संख्या में 19.7 प्रतिशत की और उनकी राशि में 44.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दावों के निपटान की दर 1983 में 12,876 दावे प्रति माह रही (जबिक 1982 के दौरान यह दर 10,755 दावे प्रति माह रही थी) और अब तक प्राप्त दरों की तुलना में यह सर्वोच्च थी।

Rs.5,773.83 crores as on 30th June, 1983 (as against Rs.4,839.88 crores as on 30th June, 1982). The guaranteed advances to the small scale industrial sector also rose by 8.7 per cent and stood at Rs.4,153.73 crores as on 30th June, 1983 (as against Rs.3,822.13 crores as on 30th June, 1982).

3.2 The Corporation settled a record number of credit guarantee claims under its four schemes, keeping pace with the large increase in their inflow. The number of claims disposed of during the year as well as in the previous year has been as below, indicating a rise of 19.7 per cent in the number and 44.5 per cent in the amount of such claims settled; the claims disposal rate in 1983 has been 12,876 claims per month (as against 10,755 claims per month achieved during 1982) and this has been the highest rate achieved so far.

1983

1982

				*
	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount
		रुपये	-	रुपये
		Rs.		Rs.
 गैर-औद्योगिक योजनाओं के अधीन दावे Claims under Non-Industrial Schemes 	1,27,714	करोड़ 19.64 crores	1,05,513	करोड़ 14.50 crores
 लघु उद्योगों से संबंधित योजनाओं के अधीन दावे Claims under SSI Schemes 	26,797	करोड़ 39.71 crores	23,550	करोड़ 26.56 crores
	1,54,511	करोड़ 59.35 crores	1,29,063	करोड़ 41.06 crores

वर्ष 1983 के दौरान निपटाये गये लघु उद्योग के दावों में से निगम की योजना (1 अप्रैल 1981 से लागू) के अधीन 12.93 करोड़ रुपये के 7,328 दावे तथा सरकार की योजना (31 मार्च 1981 से रद्द) के अधीन भारत सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति के आधार पर 26.78 करोड़ रुपये के 19,469 दावे निपटाये गये।

4. जमा बीमा निधि और ऋण गारटी निधि की राशि 1982 के अंत में क्रमशः 154.04 करोड़ रुपये और 88.76 करोड़ रुपये थी, 1983 के अंत में, 1983 के अंत तक प्रस्तुत किये गये सभी दावों के लिए प्रावधान Out of claims under SSI Schemes disposed of during 1983, 7,328 claims amounting to Rs.12.93 crores were settled under the Corporation's Scheme (introduced from 1st April, 1981) and 19,469 claims for Rs.26.78 crores under the Government's Scheme (cancelled as on 31st March, 1981) settled on behalf of Government of India on reimbursement basis.

4. The Deposit Insurance Fund and the Credit Guarantee Fund which stood at Rs.154.04 crores and Rs.88.76 crores respectively as at the end of 1982 increased to Rs.177.00 crores and Rs.117.05

करने के बाद, इनकी राशि क्रमशः 177.00 करोड़ रुपये और 117.05 करोड़ रुपये हो गयी।

प्रबंध और संगठनात्मक ढांचा

- 5.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के संयुक्त सचिव श्री अशोक चन्द्र को श्री के. के. मिश्र के बदले 11 अगस्त 1983 से निगम का निदेशक नामित किया गया। भारतीय सामान्य बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री आर. वी. माधवराव को श्री के. एस. शेनाय के बदले 25 मार्च 1983 से दो वर्ष के लिए निदेशक नामित किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्कालीन कार्यपालक निदेशक और अब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. आर. बी. पुंजा को निदेशक के रूप में शुरू में 5 अप्रैल 1983 से 31 दिसम्बर 1983 तक के लिए नियुक्त किया गया तथा उसके बाद 1 जनवरी 1984 से 14 दिसम्बर 1985 तक के लिए नामित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और अब अध्यक्ष, श्री वी. एन. नाडकर्णी को 26 अप्रैल 1983 से 27 जुलाई 1984 तक के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- 5.2 श्री एल. पी. भार्गव 10 अप्रैल 1983 को अपनी नियुक्ति की अविध पूरी करने के बाद निदेशक नहीं रहे। निवर्तमान निदेशकों ने जो मूल्यवान योगदान दिया है उसके लिए निदेशक बोर्ड उनका आभारी है तथा नये निदेशकों का स्वागत करता है।
- 5.3 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निगम के बोर्ड की पांच बैठकें तथा कार्यकारी समिति की चार बैठकें हुईं।
- 5.4 प्रति ऋणकर्ता के संबंध में 2 लाख रुपये से अधिक की राशि के लघु उद्योग के दावों की सूक्ष्म जांच और निपटान के लिए बोर्ड ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 8(3) के अधीन मार्च1983 में एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक को इसके अध्यक्ष और दो अन्य निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं।

जमा बीमा संबंधी कार्य

बीमाकृत वाणिज्य बैंक

6. बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या 1982 के अंत के 82 से बढ़कर 1983 के अंत तक 83 हो गयी। आलोच्य वर्ष में इन बैंकों से crores respectively as at the end of 1983, after providing for all claims lodged till end of 1983.

Management and organisational set-up

- 5.1 Shri Ashok Chandra, Joint Secretary, Ministry of Finance (Banking Division), Government of India was nominated as a Director of the Corporation with effect from 11th August, 1983 vice Shri K. K. Misra. Shri R. V. Madhava Rao, Managing Director, General Insurance Corporation of India was nominated as a Director for two years from 25th March, 1983 vice Shri K. S. Shenoy. Shri M. R. B. Punja, the then Executive Director and now Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India was initially appointed as a Director from 5th April, 1983 to 31st December, 1983 and was further nominated from 1st January, 1984 to 14th December, 1985. Shri V. N. Nadkarni, the then Managing Director and now Chairman, State Bank of India was appointed as a Director from 26th April, 1983 to 27th July, 1984.
- 5.2 Shri L. P. Bhargava ceased to be a Director with effect from 10th April, 1983 on the expiry of his period of appointment. The Board places on record its deep appreciation of the valuable contribution made by the outgoing Directors and welcomes the new Directors.
- 5.3 Five meetings of the Board and four meetings of the Executive Committee of the Corporation were held during the year under report.
- 5.4 The Board constituted in March, 1983 a three-member committee under Section 8(3) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 for closer scrutiny and settlement of SSI claims for amounts exceeding Rs.2 lakhs per borrower, with Reserve Bank of India nominee director as its Chairman and two other directors as members. Three meetings of the Committee were held during the year.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

Insured commercial banks

6. The number of insured commercial banks increased to 83 as at the end of 1983 against 82 as

प्रीमियम के रूप में कुल 22.51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष 18.69 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

बीमाकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

7. आलोच्य वर्ष के दौरान स्थापित 25 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पंजीकरण से इस श्रेणी में बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या बढ़कर 148 हो गयी जबिक 1982 के अंत में यह संख्या 123 थी। आलोच्य वर्ष के दौरान इन बैंकों से प्रीमियम के रूप में 0.20 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबिक 1982 में 0.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

बीमाकृत सहकारी बैंक

8.1 जमा बीमा योजना में अब 1,505 सहकारी बैंक शामिल हैं। वर्ष के दौरान 9 राज्यों के 29 और सहकारी बैंकों का पंजीकरण किया गया, इनमें महाराष्ट्र राज्य के तेरह बैंक थे। इसके विपरीत 2 बैंकों का पंजीकरण इसलिए रद्द किया गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की परिधि से बाहर हो गये थे। वर्ष के दौरान जिन बैंकों का पंजीकरण किया गया/पंजीकरण रद्द किया गया उनके नाम अनुबंध I में दिये गये हैं।

अन्य राज्यों के सहकारी बैंकों पर जमा बीमा योजना लागू करना

- 8.2 जमा बीमा योजना अब तक चौदह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान,तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा तीन संघशासित क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, गोवा, दमण और दीव तथा पांडिचेरी के सहकारी बैंकों पर लागू की जा चुकी है। इस योजना को सिक्किम राज्य पर लागू करने का मामला भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के विचाराधीन है।
- 8.3 बिहार राज्य के सहकारी बैंकों पर जमा बीमा योजना लागू की जा सके, इसलिए वहां की राज्य सरकार ने अपने सहकारी समिति अधिनियम में कियें जानेवाले आवश्यक संशोधन पारित कर लिये हैं और मामला भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है। शेष जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में योजना अभी लागू की जानी है उनके संबंध में स्थिति अपरिवर्तित बनी रही। इन राज्यों, संघशासित क्षेत्रों में सहकारी बैंकों की

at the end of 1982. A total amount of Rs.22.51 crores was collected from these banks as premium during the year as against Rs.18.69 crores in the preceding year.

Insured regional rural banks

7. With the registration of 25 more regional rural banks set up during the year under report, the total number of insured banks in this category increased to 148 as against 123 as at the end of 1982. A sum of Rs.0.20 crore was realised as premium from these banks during the year as compared with Rs.0.15 crore received in 1982.


Insured co-operative banks


8.1 The Deposit Insurance Scheme now covers 1,505 co-operative banks. Twenty-nine more co-operative banks in 9 States were registered during the year, with Maharashtra State accounting for thirteen banks. As against this, 2 banks were deregistered as they went out of the purview of the Banking Regulation Act, 1949. The names of banks registered/deregistered during the year are given in Annexure I.

Extension of the Deposit Insurance Scheme to co-operative banks in other States

- 8.2 The scheme of insurance of deposits has so far been extended to co-operative banks in fourteen States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and three Union Territories viz., Delhi, Goa, Daman & Diu and Pondicherry. The question of extending the Scheme to the State of Sikkim is under consideration of the Reserve Bank of India and the Government of India.
- 8.3 The Bihar State Government have since passed the requisite amendments to their Cooperative Societies Act to enable extension of the Deposit Insurance Scheme to co-operative banks in that State and the matter is under consideration of the Reserve Bank of India. As regards the remaining States/Union Territories where the







969

197

15

1977

कुल संख्या केवल 89 है।

8.4 वर्ष 1983 के दौरान सहकारी बैंकों से प्रीमियम के रूप में कुल 2.15 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष 1.82 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

बैंकों का पंजीकरण-प्रगति का स्वरूप

9. जमा बीमा योजना के अंतर्गत 1962 से वर्ष-प्रतिवर्ष शामिल-वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी—बैंकों की संख्या अनुबंध II में दी गयी है।

बीमा प्रीमियम की दर

10.1 बीमा प्रीमियम की दर बिना किसी परिवर्तन के प्रति 100 रुपये पर 4 पैसे वार्षिक बनी रही।

बीमा रक्षा की सीमा

10.2 प्रति जमाकर्ता बीमा रक्षा की सीमा (उसी अधिकार और हैसियत से) भी 30,000/-रुपये प्रति बैंक पर अपरिवर्तित रही।

बीमाकृत जमाराशियाँ

11.1 बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को निगम द्वारा प्रारंभ से अब तक प्रदान की गयी रक्षा की सीमा का विवरण अनुबंध III में दिया गया है। बीमा रक्षा की मात्रा में क्रमिक वृद्धि के कारण कुल निर्धारणीय जमाराशियों में बीमाकृत जमाराशियों का अनुपात, राशि के अनुसार, 1961 के अन्त के 23.1 प्रतिशत से बढ़कर 1976 तक 71.3 प्रतिशत और 1982 तक 75.0 प्रतिशत हो गया तथा जून 1983 के अन्त में यह अनुपात 74.3 प्रतिशत था।

11.2 कुल जमा खातों में पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या का प्रतिशत जो 1961 के अंत में 78.5 था, वह बीमा की सीमा में ऊपर वर्णित क्रमिक वृद्धि के कारण अब काफी बढ़ गया है और जून 1983 के अंत में यह प्रतिशत 98.3 था। शेष खाते बीमा द्वारा अंशतः रक्षित हैं।

scheme is still to be extended, the position has remained unchanged. The total number of cooperative banks in these States/Union Territories is only 89.

8.4 A total amount of Rs.2.15 crores was received as premium from the co-operative banks during the year 1983 as against Rs.1.82 crores in the previous year.

Registration of banks - Trend of progress

9. The number of banks – commercial, regional rural and co-operative – covered under the Deposit Insurance Scheme from 1962 onwards is given in Annexure II.

Rate of insurance premium

10.1 The rate of insurance premium at 4 paise per Rs.100 per annum has remained unchanged.

Limit of insurance cover

10.2 The limit of insurance cover per depositor (in the same right and capacity) per bank at Rs.30,000/- has also remained unchanged.

Insured deposits

11.1 A statement showing the extent of protection afforded by the Corporation to the depositors of insured banks since inception is given in Annexure III. With the gradual increase in the limit of insurance cover, the ratio of insured deposits to total assessable deposits, amount-wise, which was 23.1 per cent as at the end of 1961 and increased to 71.3 per cent by 1976 and 75.0 per cent by 1982 stands at 74.3 per cent as at the end of June, 1983.

11.2 The percentage of the number of fully protected accounts to the total number of deposit accounts which stood at 78.5 as at the end of 1961, has since increased considerably due to the gradual rise in the insurance limit as stated above and as at the end of June, 1983, the percentage was 98.3. The remaining accounts are partially protected by insurance.

रक्षित जमाराशियाँ

11.3 पूर्णतः रिक्षत खातों और अंशतः रिक्षत खातों की जमाराशियां कुल निर्धारणीय जमाराशियों का क्रमशः 56.1 प्रतिशत और 43.9 प्रतिशत रहीं। इनमें 1961 के अंत में पूर्णतः रिक्षत खातों में 9.7 प्रतिशत जमाराशियों की तुलना में इनमें उल्लेखनीय प्रगति हुई।

बीमाकृत खातों और जमाराशियों की व्याप्ति

11.4 वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के बीमाकृत खातों और बीमाकृत जमाराशियों की व्याप्ति अनुबंध ा∑ में दर्शायी गयी है।

ऋण गारंटी संबंधी कार्य

- (1) चालू योजनाएं
- (क) गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाएँ
 (अर्थात् लघुउद्योगों से संबंधित गारंटी योजनाओं से भिन्न योजनाएं)

गारंटीकृत अग्रिम

12.1 गैर-औद्योगिक क्षेत्र के लिए निगम की तीन गारंटी योजनाओं अर्थात् लघु ऋण गारंटी योजना, 1971, लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 के अधीन दिये गये अग्रिमों की वर्षवार स्थित दर्शानेवाला विवरण तथा अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण अनुबंध ⊻ में दिया गया है। कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि जो जून 1972 के अन्त में 208.39 करोड़ रुपये थी, जून 1982 के अन्त में बढ़कर 4,839.88 करोड़ रुपये और जून 1983 के अन्त में 5,773.83 करोड़ रुपये हो गयी; इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 19.3 प्रतिशत की वृद्धि तथा 1972 से लेकर अब तक लगभग 28 गुना वृद्धि हुई है। समाज के कमज़ोर वर्गों को संस्थागत ऋण प्रदान करने में हुई इस भारी वृद्धि का प्रमुख कारण निगम द्वारा गारंटी रक्षा प्रदान करना है। कुल गारंटीकृत अग्रिमों में लघु ऋण गारंटी योजना, 1971, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों सहित वाणिज्य बेंक भाग ले रहे हैं, का अंश सबसे अधिक बना रहा। यह कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 99.3 प्रतिशत था।

Protected deposits

11.3 The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 56.1 per cent and 43.9 per cent respectively, of the total assessable deposits, indicating a remarkable progress, as compared to the percentage of deposits in fully protected accounts at 9.7 at the end of 1961.

Coverage of insured accounts and deposits

11.4 The coverage of insured accounts and insured deposits of commercial banks, regional rural banks and co-operative banks is indicated in Annexure IV.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION


(i) Schemes in operation


(a) Credit guarantee schemes relating to nonindustrial sector (i.e. other than those relating to small scale industries)


Guaranteed advances


12.1 A statement giving year-wise position of the guaranteed advances under the three schemes for the non-industrial sector viz., the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 and the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971, as also a sector-wise analysis of the advances is given in Annexure V. The total guaranteed advances, which stood at Rs 208.39 crores as at the end of June, 1972 steadily increased to Rs 4,839.88 crores as at the end of June, 1982 and further to Rs 5,773.83 crores as at the end of June, 1983 indicating a rise of 19.3 per cent over the figures of the previous year and a nearly 28 fold increase since 1972. The extension of guarantee cover by the Corporation is a prime factor contributing to this substantial increase in the flow of institutional credit to the weaker sections of the community. The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 in which the commercial banks including the regional rural banks are participants, continues to


गैर- औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान














account for the bulk of total guaranteed advances, forming 99.3 per cent thereof.

क्षेत्रवार विश्लेषण

12.2 तीन योजनाओं के अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्निमों की कुल राशि 5,773.83 करोड़ रुपये थी जिसमें कृषकों और काश्तकारों को दिये गये अग्निमों का अंश सबसे अधिक (62.3%) रहा और उसके बाद परिवहन चालकों (16.8%), फुटकर व्यापारियों (9.9%), कारोबारी उद्यमियों (4.2%), व्यावसायिक व स्वनियोजित व्यक्तियों (4.2%) और विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अविशिष्ट श्रेणी (2.6%) का स्थान रहा।

सहभागी ऋण संस्थाएं

गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित तीन गारंटी योजनाओं में 31 दिसम्बर 1983 को शामिल ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध 🗓 में दी गयी है। वर्ष के दौरान 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघ ऋण गारंटी योजना, 1971 में शामिल हुए जबिक 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 में शामिल हुए। इन्हें मिलाकर, लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में अब 207 बैंक-75 वाणिज्य बैंक और 132 (148 में से) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-शामिल हैं। लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 में सभी 17 राज्य वित्तीय निगम और तमिलनाड़ इंडस्टियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिं. शामिल हैं। जहाँ तक सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 का संबंध है, उसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और सहकारी बैंक (प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोडकर) शामिल हो सकते हैं जो जमा बीमा रक्षा के पात्र हों: 61 वाणिज्य बैंक, 58 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 36 सहकारी बैंक इस योजना में शामिल हो चुके हैं जबकि एक केन्द्रीय सहकारी बैंक का स्तर गिरकर प्राथमिक सहकारी बैंक के बराबर हो जाने के कारण, वह अब योजना में शामिल नहीं रहा है।

गारंटी दावों का निपटान

14.1 1983 के दौरान भी निगम को प्राप्त होनेवाले गारंटी दावों की संख्या बढ़ती ही रही। वर्ष 1981 में प्राप्त 16.25 करोड़ रुपये के 1,00,669 दावों और 1982 में 24.71 करोड़ रुपये के 1,50,926 दावों की तुलना में 1983 में 27.84 करोड़ रुपये के 1,47,474 दावे प्राप्त हुए।

Sector-wise analysis

12.2 Of the total guaranteed advances aggregating Rs 5,773.83 crores under the three Schemes, advances to farmers and agriculturists continue to constitute a major portion (62.3%) followed by credit to transport operators (16.8%), retail traders (9.9%), business enterprises (4.2%), professional and self-employed persons (4.2%) and the residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme (2.6%).

Participating Credit Institutions

13. A list of credit institutions participating in the three guarantee Schemes relating to the non-industrial sector as on the 31st December, 1983 is given in Annexure VI. During the year, 29 regional rural banks joined the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 while 14 regional rural banks joined the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971. With this, 207 banks - 75 commercial and 132 (out of 148) regional rural banks - are participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971. All the 17 State Financial Corporations and the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited are participating in the Small (Financial Corporations) Loans Guarantee Scheme, 1971. As regards the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971, participation in which is open to all scheduled commercial banks (including regional rural banks) and to co-operative banks (other than primary co-operative banks) which are eligible for deposit insurance cover, 61 commercial banks, 58 regional rural banks and 36 co-operative banks have joined the Scheme while one central co-operative bank has ceased to participate since its status is reduced to a primary cooperative bank.

Settlement of guarantee claims

14.1 The Corporation continued to receive guarantee claims in increasing number during the year 1983 as well. As against 1,00,669 claims for Rs.16.25 crores received in 1981 and 1,50,926 claims for Rs.24.71 crores received in 1982 those

उपर्युक्त 1,47,474 दावों में लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 के अधीन केवल 0.04 करोड़ रुपये के 25 दावे प्राप्त हुए तथा शेष दावे लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन प्राप्त हुए। इन तीन योजनाओं के अधीन प्राप्त दावों की राशि 1983 तक कुल 110.46 करोड़ रुपये थी जो 5,773.83 करोड़ रुपये के कुल गारंटीकृत अग्निमों की राशि का 1.9 प्रतिशत थी। 1982 तक के गारंटीकृत अग्निमों की राशि की तुलना में उस वर्ष तक प्राप्त ऐसे दावों की राशि के संबंध में उक्त प्रतिशत 1.7था।

प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विवरण अनुबंध VII में दिया गया है। पिछले वर्षों के दौरान कृषकों और काश्तकारों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित दावे, दावों की कुल राशि का 55.1 प्रतिशत थे। कुल गारंटीकृत अग्रिमों में इस क्षेत्र का अंश 62.3 प्रतिशत अनुबंध V के अनुसार (1982 तक उक्त प्रतिशत क्रमशः 54.8 आनेवाले और थे)। दसरे स्थान 62.9 परिवहन चालकों से संबंधित कुल दावे, दावों की कुल राशि का 19.6 प्रतिशत थे। जबकि इस क्षेत्र के ऋणकर्ताओं को दिये गये अग्रिम कुल गारंटीकत अग्रिमों के 16.8 प्रतिशत थे (वर्ष 1982 तक उक्त प्रतिशत क्रमशः 20.7 और 15.5 थे)। परंतु परिवहन क्षेत्र को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों में हुई वृद्धि और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र के संबंध में प्राप्त दावों की राशि की वर्षवार स्थिति को देखा जाए तो जैसा कि नीचे पैरा 20.2 में स्पष्ट किया गया है, स्थिति में सुधार हुआ है।

14.3 दावों के निपटान से संबंधित स्थिति अनुबंध VIII में दी गयी है। आलोच्य वर्ष के दौरान 19.64 करोड़ रुपये के 1, 27, 714 दावों की जांच करके उनका निपटान किया गया जबिक पिछले वर्ष 14.50 करोड़ रुपये के 1,05,513 दावों का निपटान किया गया था। इसके अलावा, बहुत बड़ी संख्या में दावों की जांच की गयी और उनके संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण मांगे गये। हाल ही के वर्षों में निगम ने इस संबंध में अपनी कार्यकुशलता में सुधार किया है। 1981 के दौरान ऐसे दावों के निपटान की औसत मासिक दर 6,169 और 1982 में 8,792 दावे थी जबिक 1982 के दौरान निगम ने औसतन 10, 643 दावे प्रति माह निपटाये। छोटे-कम्प्यूटर की सहायता से दावों की जांच और निपटान की दर और भी बढ़ जाने की आशा है— विशेषकर छोटी राशियों के दावों की दर । प्राप्त दावों और निपटाये गये दावों का सारांश नीचे दिया गया है :

lodged in 1983 were 1,47,474 in number and Rs.27.84 crores in amount. Out of these 1,47,474 claims, only 25 claims for Rs.0.04 crore were received under the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 and the remaining claims were received under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The amount of claims received under these 3 schemes till 1983 aggregated Rs.110.46 crores, forming 1.9 per cent of total guaranteed advances at Rs.5,773.83 crores, the relative percentage of such claim receipts till 1982 to the amount of guaranteed advances till that year being 1.7.

A sector-wise break-up of the claims received is given in Annexure VII. The claims over the years pertaining to advances granted to farmers and agriculturists account for 55.1 per cent of the total amount of claims, the share of this sector in the total guaranteed advances being 62.3 per cent vide Annexure V - (the relative percentages till 1982 were 54.8 and 62.9 respectively). The aggregate of claims relating to transport operators, which come next, account for 19.6 per cent of the total amount of claims, though the advances to this class of borrowers form only 16.8 per cent of the total guaranteed advances (the relative percentages till 1982 were 20.7 and 15.5 respectively). However, taking year-wise position of increase in guaranteed advances to transport sector and of amount of claims lodged in respect of this sector during the past 3 years, the position has improved as explained in paragraph 20.2 below.

14.3 The position regarding the disposal of claims is indicated in Annexure VIII. During the year under review, 1,27,714 claims for Rs.19.64 crores have been processed and disposed of as against 1,05,513 claims for Rs.14.50 crores during the last year. In addition, a large number of claims have been scrutinised and requisite clarifications sought. The Corporation has, in recent years, improved upon its performance in this regard. Thus, as against the average monthly rate of disposal of 6,169 such claims during 1981 and 8,792 claims in 1982, the Corporation has been able to dispose of on an average 10,643 claims per month during 1983. With the help of the mini-computer, the claims examination and disposal rate is expected to be improved further

especially in respect of claims for small amounts.
 A summary of the claims preferred and those disposed of is given below:

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in crores of rupees)

	वर्ष	के र	ौरा न	
Du	rin	g th	ne y	ear

प्राप्त दावे Claims received

निपटा	ये गये दावे
Claims o	lisposed of

	संख्या राशि Number Amount		संख्या Number	राशि Amount	
1973–78	51,563	15.46	27,033	6.64	
1979	36,535	11.30	25,739	6.95	
1980	83,557	14.90	47,481	7.20	
1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14	
1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	
1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	
जोड़ Total	5,70,724	110.46	4,07,510	66.07	

वसूली और अनुवर्ती कार्रवाई

15. दावों की प्राप्ति में वृद्धि होने और उनके शीघ्र निपटान के कारण, निगम, दावा प्रदत्त खातों में वसूली पर अधिक ध्यान दे रहा है और इस कार्य के लिए विशेष रूप से छोटे-कम्प्यूटर की सहायता ले रहा है। 1983 के दौरान निगम ने वसूलियों में अपने हिस्से के रूप में 2.55 करोड़ रुपर्य की राशि प्राप्त की जबिक 1982 में 1.89 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इन योजनाओं के शुरू होने से लेकर 1983 तक कुल 7.64 करोड़ रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। निगम द्वारा निपटाये गये दावों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई और वसूली आदि से संबंधित क्रियाविधियों में हाल ही में संशोधन किया गया है और ऋण संस्थाओं द्वारा प्राप्त वसृलियों में से निगम के हिस्से की राशि के प्रेषण में गित लाने के लिए इन क्रियाविधियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

(ख) लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी योजना

ऋण गारंटी योजनाओं का समेकन-सरकार की योजना के अंतर्गत अवशिष्ट कार्य करना

16.1 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया

Recovery and follow-up

15. With the increase in the inflow of claims and their expeditious settlement, the Corporation is devoting more attention to the recovery in claim paid accounts especially with the aid of the minicomputer. The amount realised by the Corporation during 1983 as its share of recoveries, has been Rs.2.55 crores as against Rs.1.89 crores realised in 1982. The total amount recovered till 1983 since inception of these schemes amounts to Rs.7.64 crores. The follow-up and recovery etc., procedures in respect of claims settled and paid by the Corporation have recently been revised and are being computerised in order to speed up the remittance of the Corporation's share of recoveries effected by credit institutions.

(b) Credit Guarantee Schemes relating to small scale industries

Integration of credit guarantee schemes - Discharge of residual functions under Government's Scheme

16.1 As was mentioned in the last Annual Report,

था, 31 मार्च 1981 को कारोबार समाप्त होने के बाद से रदद की गयी लघ उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी अवशिष्ट कार्यों. योजना के अंतर्गत लिए निगम, सरकार के एजेंट के रूप में कार्यरत है। इस हैसियत से, निगम, सरकार के उन अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का निर्वाह करता है जो उक्त योजना के रद्द किए जाने की तारीख तक उत्पन्न या उद्भृत हों। सरकार की योजना के अंतर्गत जो खाते शामिल थे और जिनके मामले में चूक योजना रद्द होने से पूर्व हुई थी, वे इस योजना के अंतर्गत रक्षा के लिए पात्र हैं। योजना रद्द होने की तारीख तक सभी विचाराधीन दावे तथा चुक होने वाले ऐसे खातों के संबंध में बाद में प्रस्तुत किए गए दावों का भुगतान पहले निगम द्वारा किया जाता है और बाद में सरकार से आवधिक रूप में प्रतिपृर्ति प्राप्त की जाती है। वर्ष 1983 के दौरान निपटाये गये ऐसे दावों की राशि 26.78 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष यह 24.43 करोड़ रुपये थी। निगम ने भारत सरकार से 1983-84 के दौरान 50 करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुरोध किया था जबकि इसे 25 करोड़ रुपये प्रदान किये गये।अनिर्णीत दावों की बहुत बड़ी मात्रा को देखते हुए सरकार से 1984–85 के उनके बजट में 60 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है। रदद की गयी योजना के अंतर्गत आने वाले अन्य अग्रिमों को रक्षा प्रदान करना जारी रखने तथा नयी ऋण सविधाओं को शामिल करने के लिए निगम ने एक अप्रैल 1981 से अपनी एक नयी गारंटी योजना अर्थात् लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 शुरू की है।

सरकार की योजना- चुक वाले खाते

16.2 सरकार की योजना में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं से अनुरोध किया गया था कि वे चूक वाले ऐसे खातों के संबंध में निगम को 31 मार्च 1981 (योजना रद्द होने की तारीख) की स्थिति दशनिवाली योजना के प्रस्तुत करें जो अभी भी रद्द की गयी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं से अब तक प्राप्त सूचना से यह पता चला है कि 31 मार्च 1981 को चूक होने वाले खातों की राशि 183.86 करोड़ रुपये थी। ऐसे खातों का क्षेत्रवार और संस्थावार वर्गीकरण अनुबंध 9 में दिया गया है। बहुत-सी ऋण संस्थाओं द्वारा अभी ऐसी सूचना दी जानी बाकी है।

सहयागी ऋण संस्थाएं- निगम व नयी वोजना

17.1 ईस योजना में शामिल संस्थाओं की संख्या 1982 के अंत के 305 से बढ़कर 31 दिसंबर 1983 तक 362 हो गयी जबकि सरकार की

the Corporation continues to act as an agent of Government of India for discharge of residual functions under Government's Credit Guarantee Scheme for small scale industries, cancelled as at the close of business on 31st March, 1981. In that capacity, it exercises the rights and discharges the obligations of the Government arising out of or accruing under that Scheme upto the date of its cancellation. All accounts covered under Government's Scheme and which were in default prior to its cancellation, continue to be covered under that Scheme. All claims pending as on the date of cancellation as also those preferred subsequently in respect of such default accounts continue to be met by the Corporation and reimbursement obtained from Government periodically. During 1983, such claims settled amounted to Rs.26.78 crores as against claims for Rs.24.43 crores settled during 1982. As against the Corporation's request for providing Rs.50 crores during 1983-84, Government of India has provided Rs.25 crores. In view of the large amount of pending claims, Government have been requested to provide Rs.60 crores in their budget for 1984-85. To provide continuity of guarantee cover to other advances covered by the cancelled scheme as also to cover fresh credit facilities, the Corporation has introduced with effect from 1st April, 1981 its own guarantee scheme, viz., Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.

Government's Scheme - Accounts in default

16.2 The credit institutions which were participating in Government's Scheme were asked to furnish to the Corporation a complete list of accounts in default as on 31st March, 1981 (the date of cancellation) which continued to be covered under the provisions of the cancelled scheme. Information received so far shows the accounts in default as on 31st March, 1981 at Rs.183.86 crores. Region-wise and institution-wise classification of such accounts is shown in Annexure IX. A large number of the credit institutions have yet to submit such information.

Participating credit institutions - Corporati n's New Scheme

17.1 The number of institutions participating in

योजना (जो अब रद्द हो चुकी है) में शामिल ऋण संस्थाओं की संख्या 328 थी। वर्ष के दौरान 60 ऋण संस्थाएँ निगम की योजना में शामिल हुईं जबिक 3 संस्थाओं (2 सहकारी बैंक और एक बैंक ऑफ कराड़) को योजना से अलग होने की अनुमित दी गयी। नयी योजना में शामिल होनेवाली संस्थाओं में 37 सहकारी बैंक, 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक राज्य वित्तीय निगम और दो अन्य राज्य विकास एजेंसियाँ हैं। ऐसी ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध 🔀 में दी गयी है। कितपय सहकारी बैंकों और कुछ अन्य ऋण संस्थाओं को छोड़कर लगभग अन्य सभी ऋण संस्थाओं, जो सरकार की योजना (जो अब रद्द हो चुकी है) में शामिल छों, निगम की नयी योजना में शामिल हो गयी हैं। योजना में शामिल होनेवाली इन ऋण संस्थाओं की 31 दिसंबर 1983 की स्थित नीचे दर्शायी गयी है।


the Scheme rose from 305 as at the end of 1982 to 362 as on 31st December, 1983 as against 328 credit institutions which were participating in Government's Scheme (since cancelled). Sixty credit institutions joined the Corporation's Scheme during the year whereas 3 (2 co-operative banks and one Bank of Karad) were allowed to withdraw from the Scheme. Out of those which joined the new Scheme, 37 are co-operative banks, 18 regional rural banks, 2 scheduled commercial banks, 1 State Financial Corporation and 2 other State Development Agencies. A list of such credit institutions is given in Annexure X. Barring certain co-operative banks and a few other credit institutions, almost all other credit institutions which were participating in the Government's Scheme (since cancelled) have joined the Corporation's Scheme. The position of such participating credit institutions as at 31st December, 1983 is given below.

Of the institutions participating in Government's Scheme								
(हण संस्थाओं ही श्रेणी Category of credit nstitutions	सरकार की योजन (अब रद्द) में शामिल ऋण संस्थाएं Credit institutions participating in Govt.'s Scheme (since cancelled)	ा जो नई योजना में शामिल हो गयी हैं Those who have joined the new scheme	जो इच्छा प्रकट कर चुकी हैं परन् अभी तक करार नहीं किया हैं Those who have expre- ssed their willingness but have not yet executed the agreement] जो नई योजना में शामिल नहीं हुई है Those who have not joined the new scheme	जो सरकार की योजना में शामिल नहीं थीं परंतु नयी योजना में शामिल हो गयी हैं Those who had not been participating in Govt.'s Scheme but have joined the new scheme	जो नयी योजना से अलग हो गयी हैं Those who have with- drawn from the new Scheme	जोड़ (3+6-7) Total (3+6-7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	भारतीय स्टेट हैं State Bank of India & its sub- sidiaries	कि और उसके सहाय 8	ाक बैंक 8					8
2	. राष्ट्रीयकृत बैंक Nationa- lised							20
1	Banks	20	20					20

सरकार की योजना में शामिल ऋण संस्थाओं में से


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8
3. अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक Other schedu- led com- mercial banks	44	42		2	2		
4. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक Non-sch- eduled commer- cial				•	2	1	4.
banks	2		. 1	1	1		
5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks 6. राज्य वित्तीय निगम	34	32	_	2	65		97
State Finan- cial Cor- porations	18	16	1	1			
. अन्य राज्य विकास एजेंसियाँ Other State Develop- ment							16
Agencies	5	5			•		
सहकारी बैंक Co- operative					1		6
Banks	197	121	6	70	52	2	171
जोड़ Total:	328	244	8.	76	121	3	362

औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजना के_ संबंध में अग्रिमों में वृद्धि



GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR

(CRORES OF RUPEES)



17.2 इस वर्ष के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सिफारिश पर, त्रिपुरा सरकार के पूर्ण स्वामित्व में के एक उपक्रम, त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. को, लघु उद्योग इकाइयों के लिए निगम की योजना के खंड 2 (VI) के अधीन, उक्त योजना में शामिल होने के लिए एक ऋण संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया और उसे करार विलेख निष्पादित करने को कहा गया है।

कुल 18 राज्य वित्तीय निगमों में से 15 निगम 31 दिसंबर 1982 तक इस योजना में शामिल हो चुके थे। मध्य प्रदेश फाइनेंशियल कार्पोरेशन इस वर्ष इस योजना में शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कार्पोरेशन ने इस योजना में शामिल होने के अपने निदेशक मंडल के निर्णय की एक प्रति भेजी है मगर, 1983 के अन्त तक उसने करार निष्पादित नहीं किया है। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन अभी इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के तत्त्वावधानमें दिसंबर 1983 में गोवा में आयोजित राज्य वित्तीय निगमों के पिछले वार्षिक सम्मेलन में कुछ निगमों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ओर से उन्हें मिलनेवाले पुनर्वित्त को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की ऋण गारंटी योजना में शामिल होने से जोड़ने का विरोध किया, क्योंकि उनका विचार था कि यह योजना उनके लिए लाभदायक नहीं है। राज्य वित्तीय निगमों की शिकायतों की जाँच करने के लिए निगम ने रिजुर्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी है जिसमें भारत सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह समिति इस मामले की समीक्षा करेगी और ऋण गारंटी योजनाओं की वित्तीय सक्षमता की आवश्यकता के अनुरूप, यथावश्यक उपयुक्त कार्रवाई करेगी।

गारंटीकृत अग्रिम

18. 30 जून 1983 की स्थिति के मुताबिक लघु उद्योगों के गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 4,153.73 करोड़ रुपये थी। 30 जून 1982 के 3,822.13 करोड़ रुपये के गारंटीकृत अग्रिमों की तुलना में इसमें 331.60 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखलायी पड़ती है। वर्ष भर में हुई प्रतिशत वृद्धि 8.7 है।

दावों का निपटान- निगम की योजना

19.1 यद्यपि निगम ने अपनी योजना 1 अप्रैल 1981 से शुरू की, इसे उसी वर्ष से दावे प्राप्त होने आरंभ हो गये, जबकि सामान्यतया आशा यह 17.2 During the year, Tripura Industrial Development Corporation Ltd. – a wholly owned undertaking of the Government of Tripura, was specified as a credit institution for joining the Corporation's scheme for small scale industrial units under caluse 2(vi) of the Scheme on the recommendations of the Industrial Development Bank of India and has been asked to execute the agreement deed.

17.3 Of the 18 State Financial Corporations, 15 had joined the Scheme till 31st December, 1982. Madhya Pradesh Financial Corporation joined the scheme during the year. Uttar Pradesh Financial Corporation has forwarded a copy of its Board of Directors' decision to participate in the scheme but has not executed the agreement till the end of 1983. Andhra Pradesh State Financial Corporation has not so far joined the Scheme. At their last annual conference held at Goa in December, 1983 under the auspices of the Industrial Development Bank of India, some State Financial Corporations expressed resistance to the linkage of IDBI's refinance to them with their participation in the Corporation's Credit Guarantee Scheme, as it was felt by them that the Scheme was not advantageous to them. In order to look into the grievances of State Financial Corporations, the Corporation has constituted a committee under the Chairmanship of the Reserve Bank nominee Director with representatives from Government of India, IDBI and commercial banks to review the matter and take suitable action, if necessary, consistent with the need to maintain the financial viability of the credit guarantee schemes.

Guaranteed advances

18. The guaranteed advances to small scale industries as on 30th June, 1983 amounting to Rs.4,153.73 crores, showed an increase of Rs.331.60 crores as compared to the guaranteed advances as on 30th June, 1982 at Rs.3,822.13 crores, the percentage increase over the year being 8.7.

Settlement of claims - Corporation's Scheme

19.1 Although the Corporation introduced its scheme from 1st April, 1981, it started receiving

की जाती है कि योजना प्रारंभ में लगभग तीन वर्ष चल चुकने के बाद ही दावे प्राप्त होने शुरू होंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि यह योजना लघु औद्योगिक इकाइयों को दिये गये उन सभी पात्र अग्रिमों को गारंटी रक्षा की निरंतरता उपलब्ध कराती है जो सरकार की योजना में शामिल थे और उसके रद्द होने की तारीख (अर्थात् 31 मार्च 1981) तक जिनके बारे में चुक नहीं हुई थी। अभी हाल में, राशि की दृष्टि से इस प्रकार के दावों की प्राप्ति काफी भारी रही है। वर्ष 1983 के दौरान निगम को 32.58 करोड़ रुपये के 9,325 दावे प्राप्त हुए जबिक इसके मुकाबले 1982 में 9.40 करोड रुपये के 4,013 दावे और 1981 में 1.74 करोड रुपये के 1,308 दावे प्राप्त हुए थे। इस वर्ष के दौरान निगम की योजना के अधीन दावों के निपटान की दर को तेज किया गया और 12.93 करोड़ रुपये के 7,328 दावों का निपटान किया गया। इसकी तुलना में पिछले वर्ष 2.13 करोड़ रुपये के 3,105 दावे निपटाये गये थे। इसके अलावा अनेक दावों की जांच की गयी है और ऋण संस्थाओं से स्पष्टीकरण मंगाये गये हैं। रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में इस कार्य के एक अंश का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है और आशा है कि भविष्य में इससे दावों के निपटान की दर को और तेज करने में सहायता मिलेगी। निगम ने अपने प्रत्यासीन अधिकारों का प्रयोग करके इस वर्ष के दौरान कल 8 लाख रुपये की राशि वसल की।

दावों का निपटान- सरकार की योजना (जो इस बीच रद्द की जा चुकी है)

19.2 वर्ष 1982 के अंत में सरकार की योजना के अंतर्गत कुल 104.15 करोड़ रुपये के 29,292 दावे विचाराधीन थे। 1983 के दौरान 31 मार्च 1981 तक चूक हुए खातों के संबंध में कुल 20.08 करोड़ रुपये की राशि के 7,878 दावे प्राप्त हुए जबिक कुल 26.78 करोड़ रुपये के 19,469 दावों का निपटान किया गया। 31 दिसंबर 1983 को 97.45 करोड़ रुपये के 17,701 दावे विचाराधीन थे। 31 दिसंबर 1983 को विचाराधीन दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण अनुबंध XI में दिया गया है।

सरकार द्वारा निधियों की प्रतिपूर्ति

19.3 वर्ष के दौरान भारत सरकार की ओर से 13.95 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। सरकार की योजना के अधीन अवशिष्ट कार्यों के निगम द्वारा संभाल लिये जाने के बाद निगम ने निम्नलिखित

claims from the same year, whereas normally claims are expected to be lodged after the scheme has run initially for three years or so. This was because the scheme provided continuity of guarantee cover to all eligible advances to small scale industrial units which were covered by Government's scheme and which were not in default till the date of its cancellation (i.e. 31st March, 1981). Of late, the receipt of such claims - amount-wise -has been quite heavy. Thus, during 1983 the Corporation received 9,325 claims for Rs.32.58 crores as against 4,013 claims for Rs.9.40 crores received in 1982 and 1,308 claims for Rs.1.74 crores received in 1981. During the year, claims settlement under the Corporation's scheme was accelerated and 7,328 claims for Rs.12.93 crores were disposed of as against 3,105 claims for Rs.2.13 crores settled in the previous year. In addition, several claims have been scrutinised and clarifications sought from the credit institutions. Computerisation of a part of this work is being undertaken under the guidance of the Reserve Bank and this is likely to help in further accelerating the claims disposal rate in future. The recoveries received during the year in exercise of the Corporation's subrogation rights aggregated Rs.8 lakhs.


Settlement of claims – Government's Scheme (since cancelled)

19.2 As at the end of 1982, 29,292 claims for an aggregate amount of Rs.104.15 crores were pending under Government's scheme. During the year 1983, 7,878 claims for an aggregate amount of Rs.20.08 crores were received (in respect of accounts in default upto 31st March, 1981) while 19,469 claims amounting to Rs.26.78 crores were disposed of. As on 31st December, 1983, 17,701 claims amounting to Rs.97.45 crores were pending. Amount-wise and age-wise classification of claims pending as on 31st December, 1983 is given in Annexure XI


Reimbursement of funds by Government

19.3 During the year, claims worth Rs.13.95 crores were paid on behalf of Government of India. Since the take over by the Corporation of the residual functions under the Government's

औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान



RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR



राशियों का भुगतान किया और उनके सामने दिखायी गयी प्रतिपूर्ति प्राप्त की : Scheme, the Corporation has paid following amounts and has received reimbursement as shown thereagainst:

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in crores of rupees)

	सरकार की ओर से वस्तुतः अदा की गयी राशि*	सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति	प्राप्य राशि
	Amount actu- ally paid on behalf of Government*	Reimburse- ment received from Government	Balance due
1. अप्रैल-दिसंबर 1981 के दौरान During April– December 1981	6.53	5.00	- 1.53
2. जनवरी-दिसंबर 1982 के दौरान During January- December 1982	13.09	5.00	- 8.09
3. जनवरी-दिसंबर 1983 के दौरान During January- December 1983	13.95	19.48	+5.53
	33.57	29.48	- 4.09

इस बीच सरकार ने निगम को शेष राशि की प्रतिपूर्ति कर दी है।

Government have since reimbursed the Corporation with the balance amount

19.4 निगम की योजना और सरकार की योजना दोनों के अधीन प्राप्त और निपटाये गये दावों के ब्यौरे अनुबंध XII में दिये गये हैं। इसका साराश अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है: 19.4 Details of claims received and disposed of both under the Corporation's Scheme and the Government's Scheme are given in Annexure XII, a summary of which is given on next page:

लघु उद्योग की योजनाओं के अधीन 1983 तक प्राप्त हुए दावों की कुल राशि 223.22 करोड़ रुपये थी जो इस क्षेत्र के कुल 4153.73 करोड़ रुपये के गारंटीकृत अग्रिमों का 5.4 प्रतिशत थी। 1982 के अंत का तदनुरूप प्रतिशत 4.5 था।

The total amount of claims received till 1983 under the SSI Schemes at Rs.223.22 crores form 5.4 per cent of total guranteed advances to this sector, at Rs.4,153.73 crores, the relative percentage till 1982 being 4.5.

क्रियाविधियों में सुधार

19.5 इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित के बारे में दावों का निपटान करने पर बराबर ध्यान दिया जाता रहाः (क) कुल 25,000 रुपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं वाले ऋणकर्ता, (ख) एक वर्ष से

Streamlining of procedures

19.5 During the year attention was continued to be paid to settlement of claims in respect of (a) borrowers with aggregate credit facilities not ex-

^{*} ये आंकड़े, निपटाये गये दावा-आवेदनों के बारे में ऋण संस्थाओं द्वारा दावा की गयी राशियों में से कुछ अस्वीकार्य मदें घटाने के बाद प्राप्त होते हैं। दावों की राशियाँ अनुबंध XII में ''भुगतान किये गये दावे'' स्तंभ में दिखायी गयी हैं।

These are arrived at by deducting certain inadmissible items from the amounts claimed by credit institutions in respect of claim applications settled. The latter amounts are shown under the column 'claims paid' indicated in Annexure XII.

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in crores of rupees)

अ. लघुउद्योग की इकाइयों के लिए निगम की योजना A. CORPORATION'S SCHEME FOR SMALL	प्राप्त दा Claims re		निपटाये गरे Claims disp	
SCALE INDUSTRIAL UNITS अवधि Period	संख्या Number	गशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
(i) अप्रैल-दिसंबर 1981 April-December 1981	1,308	1.74	-	-
(ii) जनवरी-दिसंबर 1982 January-December 1982	4,013	9.40	3,105	2.13
(iii) जनवरी-दिसंबर 1983 January- December, 1983	9,325	32.58	7,328	12.93
जोड़ Total	14,646	43.72	10,433	15.06
आ. सरकार की योजना		1		
B. GOVERNMENT'S SCHEME	•			
(i) 1 अप्रैल 1981 को रिज़र्व बैंक से लिये गये विचाराधीन दावे Pending claims taken over from the Reserve Bank of India on 1st April, 1981 अवधि Period	30,826	98.18		
(ii) अप्रैल-दिसंबर 1981 April-December 1981	13,911	20.56	5,447	10.69
(iii) जनवरी-दिसंबर 1982 January—December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43
(iv) जनवरी-दिसंबर 1983 January-December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78
जोड़ Total	63,062	159.35	45,361	61.90
당하다 내가 되어야 한 수있어요?	ta Ala			

अधिक अविध तक विचाराधीन मामले और (ग) राज्य वित्तीय निगमों से प्राप्त दावे। छान-बीन के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से, शाखा कार्यालयों से कहा गया कि वे दो लाख रुपये से अधिक की राशि के दावों के बारे में, खातों का निरीक्षण किया करें। निदेशक मंडल ने 2 लाख रुपये से अधिक के दावों के निपटान के लिए रिज़र्व वैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में एक 3-सदस्यीय समिति का भी गठन किया। ceeding Rs.25,000; (b) cases pending for more than a year; and (c) those received from State Financial Corporations. To improve the quality of scrutiny, branch offices were advised to conduct inspection of accounts in respect of claims involving amounts of more than Rs.2 lakhs. The Board of Directors also constituted a 3-member committee for settlement of claims for amounts exceeding Rs.2 lakhs with the Reserve Bank nominee-Director as its Chairman.

उल्लेखनीय गतिविधियाँ

20.1 नये 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका की जांच करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च 1982 में उप गर्वर्नर श्री ए.के.घोष की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल द्वारा विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणकर्ताओं की यथासंशोधित परिभाषाएं लघु ऋण -गारंटी योजना, 1971 में दी गयी उस प्रकार की ऋणकर्ताओं की परिभाषाओं से मेल खाती है या नहीं, इस प्रश्न पर निगम ने विचार किया। उक्त कार्यकारी दल की सिफारिशें भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर ली गयीं। इनके अनुसार, उक्त गारंटी योजना के पैरा 11 और 15आ के प्रावधानों में 1 जनवरी 1984 से आवश्यक संशोधन कर किये गये हैं। इस योजना के पैरा 11 के अधीन गारंटी रक्षा को, उसमें दी गयी शर्तों के अधीन, सब प्रकार की चीज़ों (उर्वरकों खनिज तेलो या कीट नाशकों सहित- के क्रय विक्रय में मुख्यतः लगे फुटकर व्यापारीयों पर भी लागू कर दिया गया है। चूंकि फुटकर व्यापारियों की क्छ श्रेणियों को अब योजना के पैरा 11 में शामिल किया गया है, इसलिए योजना के पैरा 12 को उक्त तारीख से निकाल ही दिया गया है। इसके अलावा, योजना के पैरा 15आ में उल्लिखित दो या अधिक प्रयोजनों के लिए ऋणकर्ताओं की उपभोग ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए 1 जनवरी 1984 के बाद मंजूर की गयी ऋण सुविधाओं के बारे में, 500 रुपये की एक समग्र सीमा निर्धारित की गयी है।

20.2 गत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन परिवहन चालकों को दिये गये, ऋण संस्थाओं के ऋणों के बारे में, दावों में हुई गैर-आनुपातिक वृद्धि को देखते हुए निगम ने दावों की वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए कुछ वाणिज्य बैंकों की शाखाओं द्वारा कलकत्ता, हावड़ा और दुर्गापुर में दिये गये ऋणों का एक त्वरित सर्वेक्षण किया। इस मामले में और व्यापक जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से (इस क्षेत्र को काफी बड़ी मात्रा में अग्रिम देनेवाले) कुछ चुनिंदा बैंकों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे इस प्रकार के अग्रिमों का अखिल भारतीय आधार पर गहरा विश्लेषण करें। ग्यारह बैंकों ने इस प्रकार के अध्ययन पूरे कर लिये हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। रिपोर्ट भेजनेवाले लगभग सभी बैंक इस बात से सहमत थे कि (i) पूर्वी क्षेत्र में अतिदेय राशियों की मात्रा अत्यधिक/वसूली की स्थिति बहुत खराब है, (ii) इनका अधिकांशतः कारण है जानबूझकर चूक करना, परिवहन के धंधे में सामान्यतः मंदी की स्थिति, रेलों/परिवहन बेड़ों के

Significant developments

20.1 The question as to whether the definitions of various categories of priority sector borrowers, as modified by the Working Group constituted by the Reserve Bank of India in March, 1982 under the Chairmanship of Shri A. Ghosh, Deputy Governor, to examine the role of banks in implementation of the new 20-Point Programme are in alignment with definitions of such borrowers envisaged in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, was examined by the Corporation. In the light of the recommendations of the Working Group which were accepted by the Government of India and the Reserve Bank with certain modifications, necessary amendments have been made to the provisions of paragraphs 11 and 15B of the aforesaid guarantee Scheme with effect from the 1st January, 1984. Guarantee cover under paragraph 11 of the Scheme has been extended in respect of credit facilities granted to retail traders engaged primarily in buying and selling all kinds of goods (including fertilisers, mineral oils, or pesticides) subject to the conditions enumerated therein. Paragraph 12 of the Scheme relating to certain categories of retail traders has been deleted altogether as from that date since they are now covered by paragraph 11 of the Scheme. Further, an overall ceiling of Rs.500 has been prescribed in respect of credit facilities granted from the 1st January, 1984 onwards for consumption needs of the borrower for two or more purposes mentioned in paragraph 15B of the Scheme.

20.2 It was stated in the last Annual Report that in the context of disproportionately increasing number of claims in respect of credit institutions' advances to transport operators under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, the Corporation had made a quick survey of such advances granted by certain commercial banks at some of their branches in Calcutta, Howrah and Durgapur so as to ascertain the reasons for such rising claims. In order to get a wider perspective, certain select banks (having sizeable advances to this sector) were also requested to undertake, on an All India basis, an indepth analysis of such advances. Eleven banks completed such studies and furnished their reports. Almost all reporting banks have agreed that (i) the overdues are high/recoveries poor in मालिकों से प्रतियोगिता होना, ऋणकर्ताओं का परिवहन के धंधे से सिक्रय रूप से संबद्ध न होना (और किराये के ड्राइवरों का उपयोग करना), राज्य सरकारों के अतिरिक्त रोजगार कार्यक्रमों में अन्भवहीन ऋणकर्ता-ओं का शामिल होना, वापसी अदायगी की अवधि अपर्याप्त होना, अधिकांश राज्यों में वसूली अधिनियम न होना आदि। उनके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं: राज्य सरकारों को वसूली अधिनियम बनाने चाहिए और उन्हें जोरदार तरीके से लागू करना चाहिए, मोटर वाहन टैक्स स्वीकार करते समय और /अथवा परिमट का नवीकरण करते समय वित्तपोषक बैंकों को बेबाकी/अनापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जोर देना चाहिए, और उन्हें वाहनों को पकड़ने और नीलाम आदि करने में सक्रिय सहायता के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए। इन अध्ययनों के आधार पर और निगम के सर्वेक्षण के निष्केर्षों के अनुसरण में बैंकों को सूचित किया जा रहा है कि वे राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सावधानी/सुरक्षा के उपाय अपनाएं और इस प्रकार अपने हित की और गारंटीदाता के रूप में निगम के हित की रक्षा करें। भारत सरकार से भी अन्रोध किया जा रहा है कि वह वित्तपोषक बैंकों की प्राप्य राशियों की शीघ्र वसूली में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करे तथा जमानत की वसूली के लिए मोटर वाहुन अधिनियम्, 1939 में संशोधन करने के लिए उपाय करे। यह उल्लेखनीय है कि निगम ने 1979 और 1981 में कुछ उपाय किये थे जिनमें 1 मार्च 1981 के बाद दिये गये इस प्रकार के अग्रिमों के संबंध में निगम के दावे विषयक दायित्व की समग्र सीमा का निर्घारण, ऋणकर्ता के पास अपेक्षित ड्राइविंग लाइसेंस होने पर जोर देना आदि शामिल हैं। परिणामतः बाद के 1981, 1982 और 1983 के वर्षों में स्थिति में सुधार हुआ है और इस क्षेत्र के गारंटीकृत अग्रिमों में प्रतिशत की दृष्टि से इन वर्षों के दौरान क्रमशः 14.4, 20.4 और 23.9 की वृद्धि हुई जबकि इस क्षेत्र के दावों में प्रतिशत की दृष्टि से कमशः केवल 16.9, 15.9 और 16.2 की ही वृद्धि हुई।

Eastern Region, (ii) they are mostly due to wilful default, general recession in transport business competition from railways/fleet transport owners borrowers not actively engaged in transport business (and using hired drivers), coverage of inexperienced borrowers under Additional Employment Programme of State Governments, inadequate repayment periods, absence of Recovery Acts in most of the States etc. The important suggestions included that State Governments should enact and implement Recovery Acts vigorously, insist on production of No dues/No objection certificates from financing banks while collecting Motor Vehicle Tax and/or renewing the permits and set up a machinery to help actively in the seizure of the vehicles and their auction etc. On the basis of these studies and in the light of the findings of the Corporation's survey, banks are being advised to take adequate precautions/safeguards to ensure recovery of the funds and thus protect their interest as well as Corporation's interest as a quarantor. The Government of India is also being requested to move the State Governments in the matter for ensuring assistance to the financing banks for speedy recovery of their dues and for promoting amendments to the Motor Vehicles Act, 1939 for enforcing realisation of security, etc. It may be added that the Corporation had already taken certain steps in 1979 and 1981 including placing absolute ceilings on Corporation's claim liability in respect of such advances granted from 1st March, 1980 onwards, insistence on the borrower possessing the requisite driving licence etc. As a result, during subsequent years of 1981, 1982 and 1983, the position has improved and the percentage increase in guaranteed advances to this sector during each of these years has been 14.4, 20.4 and 23.9 respectively, whereas the relative percentage increase in claims from this sector has been only 16.9, 15.9 and 16.2 respectively.

20.3 लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 और लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेने वाले अनुसूचित भारतीय वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया कि (सितंबर 1983 में शुरू की गयी) शिक्षित बेरोज़गार युवाओं को स्व-नियोजन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना के अधीन ऋणकर्ताओं को उत्पादक गतिविधियों के लिए सीधे दिये गये अग्रिम, सेवा और व्यापार के उद्यमों के वास्ते स्पष्टतः उपर्युक्त पहली 20.3 The scheduled Indian commercial banks participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 and the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 were advised that advances for productive activities to be granted directly to the borrowers under Government's scheme for providing self-employment to educated unemployed youth (introduced from September, 1983) would

T. N. Kutty

योजना में गारंटी सुरक्षा के हकदार होंगे और उद्योगों के उद्यमों (अर्थात् विकेंद्रित क्षेत्र में ग्रामीण शिल्पकार, कुटीर और अत्यंत लघु उद्योग) के मामले में उपर्युक्त दूसरी योजना में। अलबत्ता,इनमें से पहले सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहायता की राशि घटा दी जायेगी और, साथ ही, संबद्ध ऋण गारंटी योजना के उपबंधों का अनुपालन भी आवश्यक होगा। बैंकों से कहा गया है कि वे ऋणकर्ताओं के चयन, निर्धारण, ऋण वितरण, उसके अंतिम उपयोग के पर्यवेक्षण, इस प्रकार के ऋणों के अनुवर्तन और वसूली, हर खाते में उपलब्ध जमानत की सुरक्षा आदि के बारे में पूरी सावधानी बरतें।

20.4 ऋण संस्थाओं द्वारा अपंग हथकरघा बुनकरों को बनावटी अंगों, श्रवण-सहायता यंत्रों, पहिये वाली कुर्सियों आदि की खरीद के लिए दिये गये 2,500 रुपये प्रति ऋणकर्ता तक के अग्रिमों को लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अधीन पात्र बना दिया गया है, बशर्ते कि इस प्रकार के अग्रिम उत्पादक प्रयोजनों के लिए दिये गये अग्रिमों के साथ मंजूर किये जायें।

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के उपबंधों के अनुसार किसी लघु उद्योग इकाई को दी गयी पात्र ऋण सुविधा के संबंध में निगम का दायित्व ऋणदाता बैंक के उस वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाता है जिसमें ऋणकर्ता लघु औद्योगिक इकाई अपनी गतिविधि समाप्त हो जाने या लघु औद्योगिक इकाई अथवा लघु सहायक उद्योग इकाई की परिभाषा में न रह जाने के कारण अपात्र हो जाये। तदनसार ऋण संस्थाओं से अपेक्षित था कि वे अपने दावे, गारंटी समाप्त होने से पहले प्रस्तुत कर दें। चुंकि अनेक ऋण संस्थाओं ने उसी वित्तीय वर्ष के दौरान दावे पेश करने में कठिनाई व्यक्त की, इस योजना के संबद्ध प्रावधानों को उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है। तदनुसार, निगम का दायित्व उस तारीख तक किये गये लेनदेनों के संबंध में जारी रहेगा. जिस तारीख़ को ऋणकर्ता उक्त प्रकार से अपात्र हुआ हो किन्तु निगम का दायित्व गारंटी समाप्त होने की तारीख को बकाया राशि तक सीमित होगा और इसमें उस खाते में नामे डाली गयी ब्याज तथा अन्य प्रभारों की राशियां अथवा गारंटी समाप्ति की तारीख के बाद उस खाते में और मंजर किये गये अग्रिमों की राशियां शामिल नहीं की जायेंगी। योजना में दावों के लिए दायित्व के बारे में जो और सीमाएं निर्धारित की गयी हैं वे भी इस पर लागू होंगी और साथ ही, यह भी जरूरी है कि संबद्ध ऋण सुविधाओं के बारे में उस समय तक गारंटी शुल्क बराबर अदा किया गया हो जबकि उन खातों के बारे में ऋण संस्थाएं निगम को अपना दावा पेश करें।

prima facie be eligible for guarantee cover under the former scheme in respect of ventures in service and business and under the latter scheme in respect of ventures in industry (i.e. village artisans, cottage and tiny industry in the decentralised sector), after excluding the subsidy amount provided by Government, subject, inter alia, to compliance with the various provisions of the respective credit guarantee schemes. The banks have been advised to exercise full diligence and care in the selection of borrowers, appraisal, disbursement, supervision over end-use, follow-up and recovery of such loans, preserving and protecting the security available in each account etc.

20.4 Advances granted by credit institutions to physically handicapped handloom weavers upto Rs.2,500 per borrower for purchase of artificial limbs, hearing aids, wheel chairs etc. were made eligible for cover under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981, provided such advances were granted, inter alia, along with the advances for productive purposes.

20.5 In terms of the provisions of the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981, the Corporation's liability in respect of guarantee for an eligible credit facility to a small scale industrial unit terminated on the expiry of lending bank's financial year in which the borrowing SSI unit became ineligible by reason of cessation of its activity or the unit ceasing to come within the definition of a small scale industrial unit or small scale ancillary unit. Accordingly, the credit institutions were required to file claims before the guarantee is terminated. As many credit institutions expressed difficulty in filing claim within the same financial year, the relative provisions of the Scheme have been suitably amended. Accordingly, the Corporation will continue to be liable in respect of transactions already entered into as on the date on which a borrower so became ineligible. The Corporation's liability, however, would be limited to the amount outstanding as on the date of termination of the guarantee excluding of course interest and other charges debited to the account or any further advance granted in the account subsequent to the date of such termination and subject further to the limits on the claim liabilities fixed under the Scheme provided, inter alia, that the guarantee fee कार्य-प्रणाली में परिवर्तन- कम्प्यूटरीकरण

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था, निगम ने अपनी परिचालनगत क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ चुने हुए परिचालनगत क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण शुरू करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। 1982 के आखिर में निगम ने रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया कि वह कार्य-प्रणाली का समग्र अध्ययन करे और रिज़र्व बैंक के प्रबंध सेवा विभाग की रिपोर्ट के आधार पर निगम ने कुछ क्षेत्रों में अपनी कार्य-प्रणाली में परिवर्तन करने और रिज़र्व बैंक की सहायता से अपने यहाँ एक छोटा-कम्प्यूटर स्थापित करने का निश्चय किया। रि ज़र्व बैंक ने एक छोटा-कम्प्यूटर खरीद कर निगम को उपलब्ध कराया और इसे जुलाई 1983 में स्थापित किया गया। निगम के पास काम कर रहे स्टाफ में से कार्मिकों का चयन कर उन्हें प्रोग्राम तैयार करने और सुचना प्रविध्टि के टर्मिनलों सहित मशीनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। शुरू में कम्प्यूटर से तैयार विश्लेषण की सहायता से गैर-औद्योगिक क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित ऋण गारंटी दावों की जाँच की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए, दावा आवेदन फार्म सी-1, सी-2 और एमसी-1 तथा एमसी-2 के बदले एक नया और बहुत अधिक सरलीकृत दावा आवेदन फार्म एनआई-11 शुरू किया गया है और ऋण संस्थाओं ने 1 अक्तूबर 1983 के बाद से उसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। अन्य क्षेत्रों में, जैसे जमा-बीमा प्रीमियम और ऋण गारंटी शुल्क की वसूली और उसका हिसाब-किताब, लघु उद्योगों के दावों का विश्लेषण और संबंधित प्रवंध सूचना-प्रणाली तैयार करने के अलावा भुगतान किये गये दावों के खातों पर अनुवर्ती कार्रवाई और ऋणकर्ताओं से की जानेवाली वसलियों और ऐसे खातों से प्राप्त इन वसूलियों में से आनुपातिक अंश की वसूली से संबंधित कार्यों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया जा रहा है। ऋण संस्थाओं के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए एक उपयुक्त तंत्र निर्मित करने की व्यवस्था भी की जा रही है। आशा है कि इन उपायों से निगम को न केवल दावों को अधिक शीघ्रता से निपटाने में, अपितु अपने प्रत्यासीन अधिकारों का उपयोग करके भुगतान किये गये दावों वाले खातों में से वसलियों की उगाही करने में भी सुविधा होगी।

is continued to be paid in respect of the credit facilities in question till the credit institutions prefer a claim on the Corporation in respect of such accounts.

Change in work systems-Computerisation

21. As was mentioned in the last Annual Report. in order to increase its operational efficiency, the Corporation has taken up a phased programme to introduce computerisation in certain selected functional areas. Late in 1982 the Corporation requested the Reserve Bank to take up a comprehensive systems study and on the basis of the report of the Reserve Bank's Management Services Department, the Corporation decided to change its work systems in certain areas and to instal an in-house mini-computer with the help from the Reserve Bank. A mini-computer was kindly purchased by the Reserve Bank and made available to the Corporation which has been installed in July, 1983. From the staff on duty with the Corporation, personnel were selected and trained to write down the programes and also to operate the machines including data entry terminals. Initially, credit guarantee claims relating to non-industrial sector schemes are being scrutinised with computer-aided analysis. For this purpose, a new and much more simplified claim format NI-11 has been introduced (in lieu of claim formats C-1, C-2 and MC-1 and MC-2) which the credit institutions have started using from 1st October, 1983 onwards. Computerisation in other areas such as collection and accounting of deposit insurance premia and credit guarantee fee, analysis of SSI claims and compilation of management information system in that regard as also computerisation of followup of claim paid accounts and recoveries from the borrowers and collection of proportionate share from such recoveries in such accounts are in progress. A suitable machinery for inspection of records of the credit institutions is also being organised. It is hoped that these steps will facilitate not only a more speedy settlement of claims but also collection of recoveries in claim paid accounts by virtue of the Corporation's subrogation right.

गारंटी शुल्क

अमल में आ रही चारों योजनाओं के अधीन गारंटी शुल्क की 22.1 लागू दर 3/4 प्रतिशत वार्षिक है (प्रति ऋणकर्ता कुल 25,000 रुपये से अनिधक की ऋण सुविधाएं प्राप्त कर रहे छोटे ऋणकर्ताओं के मामले में रियायती दर 1/2 प्रतिशत वार्षिक है)। यह शुल्क छमाही आधार पर पिछली छमाही के अंतिम शुक्रवार को गारंटीकृत खातों की बकाया राशियों के आधार पर अगाऊ देय होता है। ऋण गारंटी दावों की प्राप्ति दर में हो रही लगातार वृद्धि और उनके त्वरित निपटान के लिए छोटे-कम्प्यूटर के उपयोग के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इन योजनाओं की वित्तीय अर्थक्षमता का पुनरीक्षण किया जाये। वर्ष 1982 में शुल्क से प्राप्तियों की कुल राशि 57.67 करोड़ रुपये थी जबकि प्राप्त दावों की राशि 34.11 करोड रुपये थी। वर्ष 1983 में शुल्क से प्राप्तियों की राशि 71.17 करोड रुपये रही जबकि प्राप्त दावों की राशि 60.42 करोड़ रुपये रही। चूंकि निगम को अपनी योजनाएं अर्थक्षमता के आधार पर चलानी होती हैं, इसलिए यह जरूरी है कि गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्य प्राप्तियाँ इतनी पर्याप्त बनी रहें कि भावी दावों सहित सभी दावों का भुगतान किया जा सके। अतः भविष्य की प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए योजनाओं की

वित्तीय अर्थक्षमता का लगातार पुनरीक्षण करते रहना जरूरी है।

22.2 हालांकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की विशेष भूमिका है, परंतु उनमें से कुछ कारोबार का वह स्तर अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं जो उन्हें पूर्णतया अर्थसक्षम बना सके। इसे देखते हुए उनके द्वारा दिये जाने वाले गारंटी शुल्क की दर 1 जुलाई 1979 अथवा गैर-औद्योगिक क्षेत्र की गारंटी योजना में शामिल होने की तारीख, जो भी तारीख बाद में हो, से शुरू होनेवाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 1/2 प्रतिशत से घटाकर 1/4 प्रतिशत वार्षिक कर दी गयी थी। अब यह अवधि अंतिम रूप से बढ़ाकर कुल पाँच वर्ष कर दी गयी है और उसके बाद ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को गारंटी शुल्क संबंधित योजनाओं के अधीन निर्धारित सामान्य दरों पर अदा करना होगा।

22.3 30 जून, 1983 तक लघु औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजना के अधीन गारंटी शुल्क निगम के चार शाखा कार्यालयों द्वारा प्राप्त किया जा रहा था जबकि गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अधीन उक्त शुल्क सीधे प्रधान कार्यालय में प्राप्त किया जा रहा था। इन शुल्कों की प्राप्ति का कम्प्यूटरीकरण हो जाने के कारण लघु उद्योग योजना के अधीन गारंटी शुल्क की वसुली का कार्य भी 1 जुलाई 1983 के Guarantee fee

22.1 The rate of the guarantee fee in force under the four schemes in operation is 3/4 per cent per annum (with a concessional rate of 1/2 per cent per annum in the case of small borrowers having credit facilities not exceeding Rs.25,000 in the aggregate per borrower). The fee is payable half-yearly in advance calculated on the outstandings in the guaranteed accounts as on the last Friday of the preceding half-year. With the continuous increase in the inflow of credit guarantee claims and the use of mini-computer for their speedy settlement, it has become necessary to review the financial viability of these schemes. In 1982, fee receipts totalled Rs.57.67 crores against claim receipts amounting to Rs.34.11 crores. In 1983, fee receipts have been Rs.71.17 crores against claim receipts amounting to Rs.60.42 crores. Since the Corporation has to operate its schemes on a viable basis it is essential that receipts by way of guarantee fee continue to be adequate enough to meet all claims including those in the pipeline. The financial viability of the schemes therefore, has to be kept under constant review in the light of trends in future.

22.2 Though the regional rural banks have a special role to play in extending credit to weaker sections in rural and backward areas, some of them are yet to attain a volume of business which would make them fully viable. In view of this, the rate of guarantee fee payable by them was reduced from 1/2 per cent to 1/4 per cent per annum for a period of three years commencing from July 1, 1979 or the date of their joining the guarantee scheme in the non-industrial sector, whichever date was later. This period has been extended finally to a total of 5 years after which such regional rural banks have to pay guarantee fee at normal rates as prescribed under the relative schemes.

22.3 Till 30th June, 1983 guarantee fee under the scheme for small scale industrial sector was being received through the Corporation's four branch offices whereas such fee under the credit guarantee schemes relating to non-industrial sector was being received directly in the Head Office. In the context of computerisation of such fee receipts,

बाद से बंबई स्थित प्रधान कार्यालय में केन्द्रित कर दिया गया है। इस वास्ते गारंटी-शुल्क की गणना और उसके भुगतान, लघु उद्योग की इकाइयों को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों के विवरण इन गारंटीकृत अग्रिमों के उद्योगवार वर्गीकरण आदि के वर्तमान फार्मों (सीजीएस 1, सीजीएस 2 और सीजीएस 3) को उपर्युक्त तारीख से नये फार्म एसएसआई 01, एसएसआई 02 और एसएसआई 03 से बदल दिया गया है।

(ii) तैयार की गयी नयी योजनाएं

सहकारी क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाएं

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था. निगम द्वारा डॉ. म. वि. हाटे की अध्यक्षता में 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों पर निगम ने लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982 तैयार की है। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर की सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए दिए जानेवाले अग्रिमों को गारंटी रक्षा प्रदान करना है और शुरू में कुछ चुनी गयी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं को, जो पिछली वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार पात्र हैं, 1 जनवरी 1983 के बाद से योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकडों के अनुसार 2,466 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, 141 प्राथमिक भूमि विकास बैंक और राज्य भूमि विकास बैंकों की 200 शाखाएं प्रत्यक्षतः योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। राज्य सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय महासंघ ने हाल ही में इस योजना पर विचार किया है और उसके बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि मध्यवर्ती और राज्य सहकारी बैंक कुछ चुनी गयी प्राथमिक समितियों को योजना को परखने और उसे कार्यान्वित करने के बारे में सलाह दें। इसलिए कछ और समय तक इसको प्रतिक्रिया देखी जा रही है और इस बीच कतिपय सहकारी संस्थाओं और सहकारी समितियों के पंजीयकों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरणों का उत्तर दिया जा रहा है।

23.2 हाटे कार्यकारीदल ने यह भी सिफारिश की थी कि कृषि क्षेत्र को दिये जानेवाले अग्रिमों से भिन्न श्रेणियों के जो अग्रिम वाणिज्य बैंकों के लिए लागू ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन दिये जाते हैं, उन collection of guarantee fee under the Small Scale Industries Scheme has also been centralised at the Head Office at Bombay from July 1, 1983 onwards. For this purpose, the existing formats for calculation and remittance of guarantee fee, statements of guaranteed advances to small scale industrial units, industry-wise classification of such guaranteed advances, etc. (CGS 1, CGS 2 and CGS 3) have been replaced by new formats SSI 01, SSI 02 and SSI 03 from the above date.

(ii) New Schemes formulated

Credit Guarantee Schemes relating to co-operative sector

23.1 As stated in the last Annual Report, on the recommendations of the Working Group constituted by the Corporation in 1979 under the Chairmanship of Dr. M. V. Hate, the Corporation formulated Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 for extension of guarantee cover to advances to be granted by cooperative credit institutions at the primary level for agricultural and allied activities and to start with, certain select primary agricultural credit societies (PACS) and primary land development banks (PLDBs)/branches of state land development banks (SLDBs) eligible in accordance with the criteria mentioned in the last Annual Report have been invited to join the scheme from 1st January, 1983 onwards. As per data furnished by the National Bank for Agriculture and Rural Development, 2,466 PACS, 141 PLDBs and 200 branches of SLDBs are prima facie eligible to join the scheme. The National Federation of State Cooperative Banks has recently deliberated on the Scheme and its Board has resolved that the select primary societies be advised by the central and state co-operative banks to try and implement the scheme. The response is, therefore, being watched for some more time and in the meanwhile, clarifications asked for by certain co-operative institutions and the Registrars of Co-operative Societies are being provided.

23.2 The Hate Working Group also recommended that the Corporation may formulate and introduce another suitable credit guarantee scheme for

श्रीणयों के अग्निमों के संबंध में, वाणिज्य शहरी बैंकों को गारंटी सहायता प्रदान करने के लिए, उपर्युक्त योजना में शामिल शर्तों के अनुरूप निगम, एक दूसरी उपयुक्त ऋण गारंटी योजना तैयार करके लागू करे। तदनुसार, निगन ने एक नयी योजना अर्थात् लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 तैयार की है और वह शीघ्र ही पात्र शहरी सहकारी बैंकों को इस योजना में 1 जुलाई 1984 के बाद से शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा। इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जिन लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों तथा लाइसेंसरिहत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के नामों की सिफारिश की गयी है वे सभी इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। ऐसे पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की अनुमानित संख्या 547 है।

निगम की अन्य ऋण गारंटी योजनाओं के समान इस नयी योजना में शामिल होना भी स्वैच्छिक होगा और जो पात्र प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक निर्धारित विधि और तरीके से आवश्यक करार का निष्पादन करके योजना में एक बार शामिल हो जायेगा उसे गारंटी रक्षा स्वतः प्राप्त हो जायेगी और यह ऋण के प्रथम वितरण की तारीख से योजना में उल्लिखित ऋणकर्ताओं की निर्दिष्ट श्रेणियों (जैसे कि एकल परिवहन चालक, खुदरा व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यम, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति आदि) को और निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दी जानेवाली सभी पात्र ऋण सविधाओं के संबंध में सामृहिक रूप से लागू होगी और इसके लिए ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को ऐसी प्रत्येक ऋण सविधा की रक्षा के लिए निगम को पहले से आवेदन-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी,बशर्ते कि ऐसी पात्र ऋण सविधाएं "वास्तविक तारीख' (1 जलाई 1984 या योजना में शामिल होने की तारीख, जो भी तारीख बाद में हो) से पहले वापस न मांगी गयी हों अथवा वे किसी ऐसे उधारकर्ता से प्राप्य न हों जिसने अपना कारोबार या कार्य उस तारीख को बंद कर दिया हो अथवा वे अशोध्य या संदिग्ध वसुलीवाली न मान ली गयी हों अथवा उनका उपयोग किसी अशोध्य या संदिग्ध ऋण के समायोजन के लिए न किया जाये। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा देय गारंटी शुल्क की दर वहीं होगी जो लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों पर लागु है यथा ''छोटे ऋणकर्ताओं'' (अर्थात् जिन्हें कुल मिलाकर 25,000 रुपये से अनधिक राशि की पात्र ऋण सुविधाएं दी गयी हों) को दिये जानेवाले अग्रिमों के संबंध में 0.50 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्य ऋणकर्ताओं के मामले में 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर।

providing guarantee support to co-operative urban banks in respect of such categories of advances other than to agricultural sector as are presently covered by its Small Loans Guarantee Scheme, 1971 applicable to commercial banks, on terms and conditions similar to those incorporated in that Scheme. Accordingly, the Corporation has formulated another Scheme viz., Small Loans (Cooperative Banks) Guarantee Scheme, 1984 and is shortly inviting the eligible urban co-operative banks to join the same from July 1, 1984 onwards. All licensed primary (urban) co-operative banks as also unlicensed primary (urban) co-operative banks which are recommended by the Reserve Bank for the purpose are eligible for participation in the scheme. The approximate number of such eligible primary (urban) co-operative banks is 547.

23.3 As in the case of Corporation's other creditguarantee schemes, participation in this new scheme will also be voluntary and once an eligible primary (urban) co-operative bank joins the scheme by executing the necessary agreement in the manner and form prescribed, the guarantee cover would be automatic and would cover in bulk from the date of first disbursal, all eligible credit facilities granted to specified categories of borrowers (such as single transport operators, retail traders, small business enterprises, professional and self-employed persons etc.) and for purposes mentioned in the scheme without requiring such urban co-operative banks to make a prior application to the Corporation for covering each facility. provided that such eligible credit facilities have not been recalled before the 'material date' (1 July, 1984 or the date of joining the Scheme, whichever date is later) or they are not due from any borrower who has suspended his business or activities as on that date or they have not been treated as bad or doubtful of recovery or they are not utilised for the adjustment of any bad or doubtful debt. The rate of guarantee fee payable by urban co-operative banks will be the same as applicable to commercial banks under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, viz., 0.50 per cent per annum in respect of advances to "small borrowers" (i.e. to whom eligible credit facilities not exceeding Rs.25,000 in the aggregate are provided) and 0.75 per cent per annum in respect of other borrowers.

लेखे

तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा

24. 31 दिसंबर 1983 को जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि, तीनों की अलग-अलग स्थिति को दर्शाते हुए निगम का तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जमा बीमा निधि

25.1 वर्ष के दौरान जमा बीमा प्रीमियम (अतिदेय प्रीमियम पर प्राप्त ब्याज सहित) के रूप में 24.86 करोड़ रुपये की जो आय प्राप्त हुई वह पिछले वर्ष के 20.66 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्धारणीय जमाराशियों में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण हुई। जमा-बीमा निधि में से किये गये निवेशों से हुई 14.83 करोड़ रुपये की आय पिछले वर्ष के 10.97 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक थी।

प्रदत्त जमा-बीमा टावे

25.2 वर्ष 1983 के दौरान कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ। 31 दिसंबर 1983 को 14 वाणिज्य बैंकों के संबंध में कुल 1.13 करोड़ रुपये के जमा बीमा दावों का भुगतान किया गया अथवा उनके भुगतान के लिए व्यवस्था की गयी। इन बैंकों से 1983 तक वसूली के रूप में 0.88 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और 1980 में तीन वाणिज्य बैंकों (यूनिटी बैंक लि., उन्नाव कमिशयल बैंक लि. और चावला बैंक लि.) के संबंध में 0.02 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते डाली गयी। निगम को उनसे अभी 0.23 करोड़ रुपये की शेष राशि प्राप्त करनी है।

वापसी अदायगी

25.3 उन 11 सहकारी बैंकों के संबंध में, जिनका समामेलन हो चुका था या जो परिसमापन के अधीन थे, प्रदत्त दावों या दावों के भुगतान के लिए की गयी व्यवस्था की कुल राशि 1.91 करोड़ रुपये थी। निगम को परिसमापकों/अंतरिती बैंकों से वसूली के रूप में 0.18 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई तथा अब निगम को शेष 1.73 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होनी है। भुगतान किये गये या व्यवस्था किये गये दावों, प्राप्त वसूलियों आदि का विवरण अनुबंध XIII में दिया गया है। 1980 में कोल्लूर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि. (परिसमापनाधीन) के

ACCOUNTS

Balance Sheets & Revenue Accounts

24. The Balance Sheets and Revenue Accounts of the Corporation showing separately the position of the three funds, viz., the Deposit Insurance Fund, the Credit Guarantee Fund and the General Fund, as on the 31st December, 1983 together with the Auditors' Report thereon, are attached.

Deposit Insurance Fund

25.1 During the year, income by way of Deposit Insurance premium (including interest on overdue premium) was higher at Rs.24.86 crores as compared to Rs.20.66 crores in the preceding year. This has been mainly on account of increase in assessable deposits which have gone up by 19.9 per cent. The income from investments of the Deposit Insurance Fund was also higher at Rs.14.83 crores as compared to Rs.10.97 crores in the previous year.

Deposit Insurance Claims paid

25.2 No claim has been received during the year 1983. The total amount of deposit insurance claims paid or provided for as on 31st December, 1983 in respect of 14 commercial banks aggregated Rs.1.13 crores. An amount of Rs.0.88 crore has been received from them till 1983 by way of repayments and Rs.0.02 crore has been written off in respect of three commercial banks (viz., Unity Bank Ltd., Unnao Commercial Bank Ltd. and Chawla Bank Ltd.) in 1980. The Corporation is yet to receive the balance of Rs.0.23 crore from them.

Repayments

25.3 The total amount of claims paid or provided for in respect of 11 co-operative banks, which were either amalgamated or taken into liquidation aggregated Rs.1.91 crores. The Corporation has received Rs.0.18 crore by way of repayment from liquidators/transferee banks, leaving balance due to the Corporation at Rs.1.73 crores. Details of claims paid or provided for, repayments received etc. have been given in Annexure XIII. The claim

परिसमापक से जो 13.70 लाख रुपये की राशि का दावा प्राप्त हुआ था वह तब तक के लिए आस्थिगित कर दिया गया है जब तक असंतुष्ट पक्षों द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गयी लिखित याचिका का फैसला न हो जाये।

25.4 दो वाणिज्य बैंकों और दो सहकारी बैंकों के मामले में निपटाये गये जमा बीमा दावों के संबंध में निगम को वापसी अदायगी के रूप में क्रमशः 8.26 लाख रुपये और 4.12 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई। तदनुसार, वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के संबंध में बीमा हानियों के प्रावधान की राशि क्रमशः 0.31 करोड़ रुपये और 1.91 करोड़ रुपये से घटकर 0.23 करोड़ रुपये और 1.87 करोड़ रुपये हो गयी है। 1983 के अंत में उक्त व्यवस्था की राशि 2.10 करोड़ रुपये थी जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह राशि 2.22 करोड़ रुपये थी।

25.5 वर्ष 1983 के लिए जमा बीमा निधि के आय-व्यय लेखे में नीचे दिये अनुसार 39.81 करोड़ रुपये की आय परिलक्षित हुई जबकि वर्ष 1982 में यह राशि 31.63 करोड़ रुपये थी।

- 1. जमा बीमा प्रीमियम Deposit Insurance Premium
- निवेशों से आय Income from investments
- पुरांकित बीमा हानि के लिए अतिरिक्त व्यवस्था
 Excess provision for insurance loss written back

of Rs.13.70 lakhs received from the Liquidator of Kollur Parvathi Co-operative Bank Ltd. (in liquidation) in 1980 continues to be held in abeyance pending disposal of the revision application of the aggrieved parties by the Andhra Pradesh High Court.

25.4 The Corporation received repayment of Rs.8.26 lakhs and Rs.4.12 lakhs respectively in respect of deposit insurance claims settled in the case of 2 commercial banks and 2 co-operative banks. Accordingly, the provision of insurance losses in respect of commercial and co-operative banks has been reduced from Rs.0.31 crore and Rs.1.91 crores to Rs.0.23 crore and Rs.1.87 crores respectively. Such a provision now stands at Rs.2.10 crores as at the end of 1983 as against Rs.2.22 crores as at the close of the preceding year.

25.5 The Revenue Account of Deposit Insurance Fund for the year 1983 showed an income of Rs.39.81 crores as under, the figures for the year 1982 being Rs.31.63 crores.

(राशियां करोड़ रुपये में) (Amounts in crores of rupees)

	24.86	
	14.83	
* 1	0.12	
	39.81	132

उपर्युक्त आय में से 16.85 करोड़ रुपये की राशि प्रारक्षित निधि में विनियोजित की गयी और शेष 22.96 करोड़ रुपये की राशि जमा बीमा निधि को अंतरित की गयी जिससे इस निधि की राशि वर्ष 1983 के अन्त में 154.04 करोड़ रुपये से बढ़कर 177.00 करोड़ रुपये हो गयी। अब इस निधि में कुल निर्धारणीय जमाराशियों के 0.35 प्रतिशत और कुल बीमाकृत जमाराशियों के 0.47 प्रतिशत के बराबर राशि है। 1982 के लिए संबंधित आंकड़े क्रमशः 0.36 प्रतिशत और 0.48 प्रतिशत थे।

ऋण गारंटी निधि

26. ऋण गारंटी निधि में 1982 के अंत में 88.76 करोड़ रुपये की राशि शेष थी। वर्ष 1983 में गारंटी शुल्क द्वारा प्राप्त आय की राशि Of the above income, a sum of Rs.16.85 crores was appropriated to the investment reserve and the balance of Rs.22.96 crores was transferred to Deposit Insurance Fund raising it from Rs.154.04 crores to Rs.177.00 crores as at the end of 1983. The Fund now constitutes 0.35 per cent of the total assessable deposits and 0.47 per cent of the aggregate insured deposits. The relative figures for 1982 were 0.36 per cent and 0.48 per cent respectively.

Credit Guarantee Fund

26. The Credit Guarantee Fund had a balance of Rs.88.76 crores as at the end of 1982. The income

71.17 करोड़ रुपये थी। निधि के निवेशों से 1983 में 13.60 करोड़ रुपये की आय हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निगम की तीन ऋण गारंटी योजनाओं के अधीन प्रत्यासीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रदत्त दावों में की गयी वसूलियों से निगम को अपने हिस्से के रूप में कुल 2.55 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई जबिक लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अधीन वसूलियों से कुल 0.08 करोड़ रुपये की ग्रशि प्राप्त हुई। कुल 87.40 करोंड़ रुपये की इन प्राप्तियों के मुकाबले, उपर्युक्त चारों योजनाओं के अधीन प्रदत्त गारंटी दावों तथा निगम को सूचित परंतु वर्ष के अंत तक स्वीकृत न होने वाले दावों के संबंध में अनुमानित देयता की ग्रशि (1982 के अंत में उपलब्ध 40.92 करोड़ रुपये की व्यवस्था को हिसाब में लेने के बाद) 47.18 करोड़ रुपये थी और इस प्रकार 40.22 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि बचती है। अधिशेष की उपर्युक्त राशि में से 11.93 करोड़ रुपये की राशि निवेश प्रारक्षित निधि में विनियोजित की गयी और शेष 28.29 करोड़ रुपये की राशि ऋण गारंटी निधि को अंतरित की गयी जिससे वर्ष 1983 के अंत तक इस निधि की राशि बढ़कर 117.05 करोड़ रुपये हो गयी। यह राशि इन चार ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत भविष्य में किये जानेवाले दावों के लिए प्रारक्षित निधि के रूप में है।

सामान्य निधि

27. निगम के व्यय की पूर्ति सामान्य निधि की आय से की जाती है, उक्त आय पूंजी (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त), प्रारक्षित निधियों और आगे पैरा 29.2 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त व्याज-रहित जमाराशियों में से किये गये निवेशों से प्राप्त होती है। वर्ष 1983 में सामान्य निधि की आय 2.97 करोड़ रुपये थी जबकि स्थापना और अन्य व्ययों की कुल राशि 1.30 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार 1.67 करोड़ रुपये का अधिशेष बचा जिसे मूल्यहास के लिए प्रावधान के रूप में निवेश निधि में अंतरित किया गया है।

निवेश

28. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार तीनों निधियों में रखी राशियों का निवेश केन्द्रीय सरकार की प्रतिभृतियों में किया जाता है। जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि में से किये गये ऐसे निवेशों का ब्योरा अनुबंध XIV में दिया गया है।

by way of guarantee fee for the year 1983 amounted to Rs. 71.17 crores. The income from investment of the Fund during the year 1983 amounted to Rs.13.60 crores. The amounts received by the Cor. poration during the year as its share of the reco. veries made in claim paid accounts under its three Credit Guarantee Schemes pertaining to the nonindustrial sector, in exercise of its subrogation rights, aggregated Rs.2.55 crores while recoveries received under the Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 aggregated Rs.0.08 crore. Against these receipts totalling Rs.87.40 crores, the guarantee claims paid under the above four Schemes as well as the estimated liability in respect of claims intimated to the Corporation but not admitted at the end of the year amounted to Rs.47.18 crores (after taking into account the provision of Rs.40.92 crores available at the end of 1982) leaving a surplus of Rs.40.22 crores. Of the above surplus, a sum of Rs.11.93 crores was appropriated to the Investment Reserve and the balance of Rs.28.29 crores transferred to the Credit Guarantee Fund raising it to Rs.117.05 crores as at the end of the year 1983. This amount is in the nature of reserve for future claims under these four Credit Guarantee Schemes.

General Fund

27. The expenses of the Corporation are met from the income in the General Fund which is derived from investments made out of the capital (provided by the Reserve Bank of India), the Reserves and the interest-free deposits received from the Reserve Bank of India as explained in paragraph 29.2 ahead. The income in the General Fund for the year 1983 amounted to Rs.2.97 crores while establishment and other expenses aggregated Rs.1.30 crores leaving a surplus of Rs.1.67 crores which has been transferred to the Investment Reserve as provision for depreciation.

Investments

28. In accordance with provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts held in the three funds are invested entirely in the Central Government securities. Particulars of these investments of the

(क) जमा बीमा निधि

31 दिसंबर 1983 को जमा बीमा निधि के निवेशों का बाज़ार मूल्य 175.49 करोड़ रुपये था जबिक उनका बही मूल्य 208.95 करोड़ रुपये था। निवेशों के मृल्य में 33.47 करोड़ रुपये के मृल्यह्म (जिसकी गणना करते समय कुछ प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य में हुई 0.49 लाख रुपये की वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है) की पूरी राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) ऋण गारंटी निधि

31 दिसंबर 1983 को ऋण गारंटी निधि के निवेशों का बाजार मूल्य 175.42 करोड़ रुपये था जबिक उनका बही मूल्य 195.74 करोड़ रुपये था। निवेशों के मूल्य में 20.32 करोड़ रुपये के मृल्यहास (जिसकी गणना करते समय कुछ प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य में हुई 0.20 लाख रुपये की वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है) की पूरी राशि के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) सामान्य निधि

वर्ष 1983 के अंत में सामान्य निधि के निवेशों का बही मूल्य 41.90 करोड़ रुपये था जबिक उनका बाज़ार मूल्य 38.47 करोड़ रुपये था। निवेशों के मूल्य में 3.43 करोड़ रुपये का जो मूल्यहास हुआ उसके लिए वर्ष 1983 के आय—व्यय लेखे में से व्यय की तुलना में हुई अधिक आय की 1.67 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि को निधि में अंतरित करने के बाद मूल्यहास के लिए 2.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है। निवेशों के बाज़ार मूल्य की तुलना में उनका बही मूल्य 3.43 करोड़ रुपये अधिक है जबिक इसकी तुलना में निवेश प्रारक्षित निधि में शेष राशि 2.12 करोड़ रुपये है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निगम आम तौर पर अपने निवेशों को उनकी समाप्ति अविध तक अपने पास ही रखता है।

पूंजी में वृद्धि

29.1 पहली अप्रैल 1981 से पहले निगम अपने स्टाफ़ और स्थापना आदि से संबंधित व्यय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी 15 करोड़ रुपये की पूंजी (जिसे निगम ने अपनी सामान्य निधि में रखा हुआ है) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करके ब्याज के रूप में प्राप्त होनेवाली आय से पूरा करता रहा है। चूंकि निगम के कारोबार, मुख्य रूप

Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund are given in Annexure XIV.

(a) Deposit Insurance Fund

The market value of investments of Deposit Insurance Fund as on 31st December, 1983 stood at Rs.175.49 crores as against their book value of Rs.208.95 crores. The depreciation in investments at Rs.33.47 crores which has been arrived at without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.49 lakh, has been fully provided for.

(b) Credit Guarantee Fund

The market value of the investments of Credit Guarantee Fund as on 31st December, 1983 stood at Rs.175.42 crores as against their book value of Rs.195.74 crores. The depreciation in investments at Rs.20.32 crores (which has been arrived at without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.20 lakh) has been fully provided for.

(c) General Fund

The book value of the investments of the General Fund as at the close of the year 1983 stood at Rs.41.90 crores as against their market value of Rs.38.47 crores. The depreciation in investments amounts to Rs.3.43 crores against which a provision of Rs.2.11 crores is available after transferring to it the surplus of income over expenditure at Rs.1.67 crores from the Revenue Account for 1983. As against the excess of book value of investments over their market value amounting to Rs.3.43 crores, the balance in Investment Reserve stands at Rs.2.12 crores. It may be mentioned in this connection that the Corporation generally holds on to its investments till maturity.

Augmentation of capital

29.1 Prior to 1st April, 1981, the Corporation was meeting its staff and establishment etc. expenditure from the income derived by way of interest on investments in Central Government securities of its capital of Rs.15 crores contributed by the Reserve Bank of India and held in its General

से ऋण गारंटी दावों, में काफी वृद्धि होती जा रही है, निगम के स्टाफ़ और स्थापना पर होने वाले व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है और अपनी पूंजी के निवेश से प्राप्त होने वाली आय से निगम के व्यय को पूरा करना मुश्किल होगया है। इसके अलावा, पहली अप्रैल 1981 से निगम द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्ववर्ती ऋण गारंटी संगठन से लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी के कार्यों के संबंध में उत्तरदायित्व को लेने के परिणामस्वरूप निगम के कारोबार की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो गयी है और व्यय को पूरा करने के लिए पूंजी में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार निगम की पुंजी को 15 करोड़ रुपये से बढाकर 50 करोड़ रुपये करने के लिए अधिनियम बनाने के वास्ते सहमत हो गयी है और रिज़र्व बैंक 35 करोड़ रुपये की पूरी अतिरिक्त पूंजी को तीन वर्षों की अवधि में देने के लिए सहमत हो गया है। संबंधित अधिनियम संसद द्वारा पारित हो चुका है और 12 जनवरी 1984 को उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वह 15 फरवरी 1984 से अर्थात् जिस तारीख से संशोधन अधिनियम (अर्थात् बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983) के प्रावधान लागू हुए हैं, निगम की प्राधिकृत पूंजी को 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के संबंध में एक औपचारिक अधिसुचना जारी करे।

29.2 अधिनियम के संबंध में कार्रवाई पूरी होने तक रिज़र्व बैंक ने हमारे अनुरोध पर 7 अगस्त 1982 को 15 करोड़ रुपये और 12 अगस्त 1983 को 10 करोड़ रुपये की ब्याज रिहत जमाराशियाँ निगम को उपलब्ध करा दी हैं, और इनका समायोजन बैंक द्वारा अतिरिक्त पूंजी के रूप में किये जानेवाले अंशदान की रिशा में रे किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक ने पहले मार्च 1983 तक दो वर्षों की अविध के लिए निगम को लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी के कार्यों को करने के लिए स्टा फ, परिसर, फर्नीचर और जुड़नार तथा कार्यालय संबंधी अन्य आवश्यक सहायता निःशुल्क उपलब्ध की थी और अब मार्च 1984 तक की अविध के लिए लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी के कार्यों को करने वाले स्टाफ़ के स्थापना व्यय (वेतन और भत्ते आदि) को वहन करने के लिए सहमत हो गया है।

Fund. As the volume of business, especially of credit guarantee claims, has been rising steeply. the Corporation's expenditure on staff and establishment etc. has also been rising and the income from the investment of its capital has been barely adequate to meet the expenditure. Further, consequent on the Corporation's assuming responsibilities in respect of credit guarantee functions relating to Small Scale Industries from the erstwhile Credit Guarantee Organisation of the Reserve Bank of India with effect from 1st April, 1981, the volume of business of the Corporation increased substantially and to meet the expenditure it has become necessary to augment the capital. To meet the situation, Government of India had agreed to enact legislation to raise the capital from Rs.15 crores to Rs.50 crores and the Reserve Bank has agreed to meet the entire additional contribution of Rs.35 crores to the capital over a period of three years. The relative amending legislation has since been passed by the Parliament and has also received assent of the President, on 12th January, 1984. Government of India are being requested to issue formal notification increasing the Corporation's authorised capital to Rs.50 crores with effect from 15th February, 1984, the date on which the provisions of the amending legislation (i.e. Banking Laws (Amendment) Act, 1983) have come into force.

29.2 Pending completion of enactment, the Reserve Bank has, at our request, been kind enough to place with the Corporation interest-free deposits of Rs.15 crores on 7th August, 1982 and of Rs.10 crores on 12th August, 1983 which are being adjusted towards their contribution to the additional capital. The Reserve Bank which had initially made available the staff, premises, furniture and fixtures and other office assistance necessary for carrying out the credit guarantee functions relating to Small Scale Industries free of cost for a period of two years upto March, 1983 has agreed to bear the establishment cost (salaries and allowances, etc.) of the staff attending to the credit guarantee functions relating to Small Scale Industries for a further period upto March, 1984.

सामान्य

हिन्दी का संवर्धन

30.1 निगम अपने कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट और संबंधित तुलन-पत्र और आय व्यय लेखे हिन्दी में भी प्रकाशित करता है। निगम के प्रचार-पत्रक भी हिन्दी में प्रकाशित किये जाते हैं। निगम हिन्दी के दैनिक समाचार पत्र खरीदता है और हिन्दी न जाननेवाले अपने कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। निगम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं में भी अपने स्टाफ़ को प्रतिनियुक्त करता है।

30.2 निगम द्वारा बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान किये जाने वाले संरक्षण का प्रचार करने के लिए अंग्रेज़ी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित पोस्टरों की प्रतियाँ निगम सभी बीमाकृत बैंकों को निःशुल्क प्रदान करता है। जमा बीमा का संदेश अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए निगम क्षेत्रीय भाषाओं में आकर्षक पत्रक प्रकाशित करता है और जनता के बीच वितरित करने के लिए पत्रकों की मांग करने वाले बैंकों को ये मामूली कीमत पर दिये जाते हैं।

स्थापना

31.1 निगम अपने कार्य कर सके, इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उसे आवश्यक स्टाफ़, कार्यालय स्थान और अन्य प्रासंगिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जारी रखा। इन पर होने वाले खर्चों की रिज़र्व बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है। निगम में कार्यरत स्टाफ़ से संबंधित प्रशासनिक कार्य जो अभी तक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बंबई में किया जा रहा था, उस का कुछ अंश अब निगम द्वारा ले लिया गया है। गारंटी संबंधी दावों के संबंध में की गयी अदायगी से संबंधित खातों, निगम को देय गारंटी शुल्क और जमा बीमा प्रीमियम की सही संगणना और अदायगी तथा निगम द्वारा निपटाये गये दावों के संबंध में की गयी वसूलियों में से निगम को प्राप्य अंश के प्रेषण के सत्यापन से संबंधित क्षेत्र-कार्य रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा किया जाता है और ये सेवाएं निगम को निःशुल्क प्रदान की जाती है। निगम भविष्य में ये कार्य भी रिज़र्व बैंक से अपने हाथ में लेने का विचार रखता है। रिज़र्व बैंक अपने प्रशिक्षण केंद्रों में निगम में कार्य कर रहे हैं स्टाफ को भी प्रशिक्षण देता है।

31.2 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, निगम का सम्पूर्ण व्यय, निगम की शेयर पूंजी, जो पूर्णतः रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी है, के

GENERAL

Promotion of Hindi

30.1 The Corporation brings out the Hindi version of the Annual Report on its working and relative Balance Sheets and Revenue Accounts. Its publicity leaflets are also brought out in Hindi. It subscribes to Hindi dailies and encourages its non-Hindi knowing staff to learn Hindi. The Corporation also deputes its staff to Hindi Workshops conducted by the Reserve Bank of India.

30.2 The Corporation continues to supply free of cost to all insured banks, copies of posters in English, Hindi and other regional languages publicising the protection afforded to bank depositors by the Corporation. Attractive leaflets are being brought out in regional languages to spread the message of deposit insurance and these are supplied to the indenting banks at a subsidised rates for distribution among the public.

Establishment

31.1 The Reserve Bank of India continues to make available to the Corporation the required staff, office accommodation and other incidental facilities for discharging its functions. The expenses incurred are reimbursed to the Bank. Part of the administrative work in respect of staff placed on duty with the Corporation, which was hitherto being attended to by the Reserve Bank of India at Bombay has since been taken over by the Corporation. The field work by way of verification of guarantee claim paid accounts, correct computation and payment of guarantee fee and deposit insurance premium and remittance of the Corporation's share of recoveries, was being carried out by the Reserve Bank's Inspecting Officers, and these services are provided free of cost to the Corporation. The Corporation proposes to take over this function as well from the Reserve Bank in the near future. The Bank also provides training facilities in its training centres for the staff on duty with the Corporation.

31.2 As stated earlier, the entire expenditure of the Corporation is met from income on the investment of the share capital of the Corporation which

निवेश से प्राप्त आय से पूरा किया जाता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक निगम को लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों के संबंध में आवश्यक स्टाफ़ की सेवाएं, परिसर, फर्नीचर और जुड़नार तथा कार्यालय संबंधी अन्य सहायता प्रदान करता है। सहकारी क्षेत्र से संबंधित नयी योजना के लागू होने से भी अतिरिक्त व्यय होंगे। निगम अपनी परिचालनगत क्षमता तथा सहभागी ऋण संस्थाओं को दी जानेवाली सेवाओं में सुधार ला सके और साथ ही अततः सारे व्यय को अपने साधनों से पूरा कर सके, इस उद्देश्य से निगम ने सितंबर 1983 से कुछ चुने हुए कार्य-क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटरीकरण शुरू कर दिया है। कार्यप्रणालियों में इन परिवर्तनों के स्थिर होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। इस बीच चुंकि निगम की वर्तमान आय स्थापना के समस्त व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, निगम ने रिज़र्व बैंक से अनुरोधं किया है कि वह निःशुल्क स्टाफ आदि और 2 वर्ष अर्थात् मार्च 1986 तक की अवधि के लिए देना जारी रखे। रिज़र्व बैंक ने यह सुविधा अगले दो वर्षों के लिए सीमित रूप से देना सैद्धांतिक रूप से लिया है। निगम -की गयी सहायता के लिए बोर्ड रिज़र्व बैंक तथा उसके प्रबंध सेवा विभाग के प्रति आभार प्रकट करता है।

लेखा परीक्षक

32. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29(1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमित से निदेशक बोर्ड मेसर्स हरिभक्ति एण्ड कं., सनदी लेखाकार, बंबई को वर्ष 1983 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त करता है।

प्रशिक्षण

33. विभिन्न वाणिज्य बैंकों के कर्मचारी ऋण गारंटी योजना के परिचालन के अध्ययन के वास्ते निगम में आये। बैंकों द्वारा आयोजित सेमीनारों में भाग लेने तथा उनकी विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में, निगम की विविध योजनाओं के प्रावधानों से संबंधित सत्र लेने के लिए हमारे अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। साथ ही,हमारे प्रधान कार्यालय में विभिन्न ऋण संस्थाओं के अधिकारियों को गारंटी लागू करने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया।

is solely contributed by the Reserve Bank. Besides. the Reserve Bank is making available to the Cor. poration, free of cost, the services of the required staff, premises, furniture and fixtures and other office assistance in connection with its credit guarantee functions relating to small scale industries The introduction of new Schemes relating to cooperative sector will also entail extra expenditure. To enable the Corporation to improve its operational efficiency and services rendered to the participating credit institutions and also to eventually meet its entire expenditure from its resources, the Corporation has already introduced computerisation in a phased manner in certain selected functional areas from September, 1983 onwards. It will take some time for these changes in work systems to be stabilised. Meanwhile, as the present income of the Corporation is insufficient to meet the entire cost of the establishment, the Corporation is requesting the Reserve Bank for continued assistance by providing cost-free staff, etc., for further period of two years upto March, 1986. The Reserve Bank has already agreed in principle to extend this facility in a limited way over the next two years. The Board expresses its gratitude to the Reserve Bank including its Management Services Department for all the assistance provided by it to the Corporation.

Auditors

32. In terms of Section 29(1) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors, with the prior approval of the Reserve Bank of India, re-appointed Messrs. Haribhakti & Co., Chartered Accountants, Bombay, as Auditors of the Corporation for the year 1983.

Training

33. The staff from various commercial banks visited the Corporation to study the operation of credit guarantee schemes. Our officers were deputed to participate in seminars organised by banks and to their various training institutions for handling sessions regarding the provisions of various schemes of the Corporation. In addition, training relating to invocation of guarantee was also pro-

34. वर्ष के दौरान निगम के कार्य के परिणाम और कार्यक्षेत्र में वृद्धि को संभाल लेने और खासतौर पर कार्यपद्धित में किये गये परिवर्तनों को सहजता से अपना लेने में महा प्रबधक और सभी स्तरों के स्टाफ़ द्वारा दिये गये श्रेष्ठ और बहुमूल्य योगदान के लिए बोर्ड अपनी सराहना व्यक्त करता है।

vided to officers of various credit institutions at our Head Office.

34. The Board records its appreciation of the rich and valuable contribution made during the year by the General Manager and staff at all levels in coping with increased range and volume of work devolving on the Corporation, especially in adopting smoothly changes in the work systems.

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, बंबई- 400039.

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

Gı Ba

दिनांक 23 मार्च, 1984

म.वि. हाटे अध्यक्ष Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Bombay – 400 039

For and on behalf of the Board of Directors

Dated the 23rd March, 1984

M. V. Hate Chairman

अनुबंध 1

उन बैंकों के नाम दर्शानेवाला विवरण जिनका दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण किया गया तथा पंजीकरण रद्द किया गया।

अ. उन बैंकों के नाम जिनका वर्ष 1983 के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण किया गया

वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज़) लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 1. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
- 2. छिन्दवाडा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 3. विदर ग्रामीण बैंक
- 4. मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 5. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 6. चंद्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
- 7. कोलार ग्रामीण बैंक
- 8. रायगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 9. चैतन्य ग्रामीण बैंक
- 10. नैनीताल अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- शाहजहाँप्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 12. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
- 13. कप्रथला फिरोज़पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 14. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 15. विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक
- 16. नागालैण्ड रूरल बैंक
- 17. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 18. शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 19. बीजापर ग्रामीण बैंक
- 20. सरयू ग्रामीण बैंक
- 21. मिजोरम रूरल बैंक
- 22. अकोला ग्रामीण बैंक
- 23. रत्नागिरि सिधुदुर्ग ग्रामीण बैंक
- 24. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
- 25. जमुना ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

- 1. वासवी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 2. कुप्पम को-ऑपरेंटिव टाउन बैंक लि.

ANNEXURE I

Statement showing the names of the banks registered and deregistered as insured banks during the year ended December, 1983

A. Names of the banks registered as insured banks during the year 1983

Commercial Bank

 Bank of Credit & Commerce International (Overseas) Ltd.

Regional Rural Banks

- 1. Aurangabad-Jalna Gramin Bank
- 2. Chhindwara-Seoni Kshetriya Gramin Bank
- 3. Vidur Gramin Bank
- 4. Mewar Anchalik Gramin Bank
- 5. Thar Anchalik Gramin Bank
- 6. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
- 7. Kolar Gramin Bank
- 8. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
- 9. Chaitanya Grameena Bank
- 10. Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank
- 11. Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank
- 12. Sri Sathavahana Grameena Bank
- 13. Kapurthala Ferozpur Kshetriya Gramin Bank
- 14. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
- 15. Vindhyavasini Gramin Bank .
- 16. Nagaland Rural Bank
- 17. Gurdaspur-Amritsar Kshetriya Gramin Bank Bank
- 18. Shahdol Kshetriya Gramin Bank
- 19. Bijapur Grameena Bank
- 20. Sarayu Gramin Bank
- 21. Mizoram Rural Bank
- 22. Akola Gramin Bank
- 23. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank
- 24. Arunachal Pradesh Rural Bank
- 25. Jamuna Gramin Bank

Co-operative Banks

Andhra Pradesh

- 1. Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd.
- 2. Kuppam Co-operative Town Bank Ltd.

गुजरात

- राजकोट कमिशियल एंड इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- श्री जनता सहकारी बैंक लि.
- दि सौराष्ट्र को-आँपरेटिव बैंक लि.
- श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लि.

कर्नाटक

मुरगोड अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.

केरल

1. पय्यानूर को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.

मध्य प्रदेश

- 1. नागरिक सहकारी संस्था मर्यादित, सनावाड़
- 2. नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, रतलाम
- 3. नागरिक सहकारी बैंक लि., धामतरी

महाराष्ट्र

- 1. पाटन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. पूना को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. यशवंत सहकारी बैंक लि., मिरज
- 4. भुसावल तापी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- लातुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 7. शालिनी सहकारी बैंक लि., बंबई
- 8. पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., हिंगोली
- 9. यूथ डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर
- 10. भाग्यलक्ष्मी महिला सहकारी बैंक लि., नांदेड
- इंदिरा सहकारी बैंक लि, औरंगाबाद
- 12. समता सहकारी बैंक लि., बंबई
- 13. अमृतवाहिनी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., घुलेवाडी

उड़ीसा

कुछ नहीं

राजस्थान

कुछ नहीं

Gujarat

- Rajkot Commercial & Industrial Co-operative Bank Ltd.
- 2. Shri Janta Sahakari Bank Ltd.
- 3. The Saurashtra Co-operative Bank Ltd.
- 4. Shri Mahila Seva Sahakari Bank Ltd.

Karnataka

1. Murgod Urban Co-operative Credit Bank Ltd.

Kerala

1. Payyanur Co-operative Town Bank Ltd.

Madhya Pradesh

- 1. Nagrik Sahakari Sanstha Maryadit, Sanawad
- Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Ratlam
- 3. Nagrik Sahakari Bank Ltd., Dhamtari

Maharashtra

- 1. Patan Co-operative Bank Ltd.
- 2. Poona Co-operative Bank Ltd.
- 3. Yeshwant Sahakari Bank Ltd., Miraj
- 4. Bhusaval Tapi Urban Co-operative Bank Ltd.,
- 5. Pratap Co-operative Bank Ltd.
- 6. Latur Peoples' Co-operative Bank Ltd.
- 7. Shalini Sahakari Bank Ltd., Bombay
- 8. Peoples' Co-operative Bank Ltd., Hingoli
- Youth Development Co-operative Bank Ltd., Kolhapur
- Bhagyalakshmi Mahila Sahakari Bank Ltd., Nanded
- 11. Indira Sahakari Bank Ltd., Aurangabad
- 12. Samata Sahakari Bank Ltd., Bombay
- Amrutvahini Urban Co-operative Bank Ltd., Ghulewadi

Orissa

Nil

Rajasthan

Nil

तमिलनाडु

- 1. तिरुवल्लुर टाउन को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 2. अत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

त्रिपुरा

कुछ नहीं

उत्तर प्रदेश

कूमाँचल नगर सहकारी बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

- 1. खरदा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. रामकृष्णपुर को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि.

संघशासित क्षेत्र

कुछ नहीं

आ उन बैंकों के नाम दर्शानेवाला विवरण जिनका वर्ष 1983 के दौरान पंजीकरण रद्द किया गया

वाणिज्य बैंक

कुछ नहीं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

कुछ नहीं

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

कुछ नहीं

गुजरात

 सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज प्रोफेसर्स एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि.

कर्नाटक

कुछ नहीं

Tamil Nadu

- Thiruvalluvar Town Co-opertive Bank Ltd.
- 2. Attur Town Co-operative Bank Ltd.

Tripura

Nil

Uttar Pradesh

1. Kurmanchal Nagar Sahakari Bank Ltd.

West Bengal

- 1. Khardah Co-operative Bank Ltd.
- 2. Ramkrishnapur Co-operative Credit Society Ltd.

Union Territories

Nil

B. Statement showing the names of the banks deregistered during the year 1983

Commercial Banks

Nil

Regional Rural Banks

Nil

Co-operative Banks

Andhra Pradesh

Nil

Gujarat

 Sardar Vallabhabhai College Professors' Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Karnataka

Nil

मध्य प्रदेश

कुछ नहीं

राजस्थान

कुछ नहीं

तमिलनाडु

1. दि निर्मला को-ऑपरेटिव सेविंग्स एंड क्रेडिट सोसायटी लि.

त्रिपुरा

कुछ नहीं

उत्तर प्रदेश

कुछ नहीं

पश्चिम बंगाल

कुछ नहीं

संघशासित क्षेत्र

कुछ नहीं

Madhya Pradesh

Nil

Rajasthan

Nil

Tamil Nadu

 The Nirmala Co-operative Savings and Credit Society Ltd.

Tripura

Nil

Uttar Pradesh

Nil

West Bengal

Nil

Union Territories

Nil

बीमाकृत बैंकों का सारांश

SUMMARY OF INSURED BANKS 31 दिसम्बर 1983 की स्थिति के अनुसार (As on 31st December, 1983)

I.	वाणिज्य बैंक	South and the second se
	COMMERCIAL BANKS	• • 83
II.	क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक	
	REGIONAL RURAL BANKS	• • 148
III.	सहकारी बैंक	
	CO-OPERATIVE BANKS	••

राज्य STATE	शिखर APEX	मध्यवर्ती CENTRAL	प्राथमिक PRIMARY	जोड़ TOTA
आंध्र प्रदेश				
ANDHRA PRADESH	1	26	54	8
गुजरात GUJARAT		-		
हिमाचल प्रदेश	1	21	279	30
HIMACHAL PRADESH	1	2	3	
जम्मू और कश्मीर		-	3	
JAMMU & KASHMIR	1	3	1	
कर्नाटक				
KARNATAKA	1	23	200	22
केरल KERALA				
स्टारस्य प्रदेश	1	11	52	64
MADHYA PRADESH				
महाराष्ट्	i	44	28	73
MAHARASHTRA	1	0.7		
उ ड़ीसा		27	346	374
ORISSA	1	17	10	28
गजस्थान			10	20
RAJASTHAN	1	26	13	40
तमिलनाडु TAMIL NADU			10	-10
त्रिपुरा	1	18	131	150
TRIPURA				
उत्तर प्रदेश	1		1	2
UTTAR PRADESH				
पश्चिम बंगाल	1	56	17	74
WEST BENGAL	1			
आगे ले जाया गया		17	47	65
Carried over	14	291	1182	1487

आगे लाया गया Brought Forward संघशासित क्षेत्र	14	291	1182	1487
UNION TERRITORIES				
दिल्ली				
DELHI	1	- A.	10	11
गोवा, दमण और दीव				
GOA, DAMAN & DIU	1		4	. 5
पांडिचेरी PONDICHERRY				
PONDICHERRY	1		1	2
उप जोड़				
SUB TOTAL:-	17	291	1,197	1,505
जोड़ TOTAL (I + II + III)				1,736
			,	

अनुबंध॥ ANNEXURE II

वर्ष 1962 से जमा बीमा योजना के अंतर्गत आनेवाले बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी) की संख्या दशनिवाला विवरण STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS (COMMERCIAL, REGIONAL RURAL AND CO. OPERATIVE) COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME, SINCE 1962

वर्ष	वर्ष के आरंभ में पंजीकृत बैंब की संख्या		_	हों की संख्या जहाँ वि of banks deregis		वर्ष के अंत में पंजीकृत बैंकों
Year	No. of regis	- No. of banks	Where	Corporation's	liability	- की संख्या No.of regis-
	at the commencement of the year	n- during the year	आयी was attracted	नहीं आयी was not attracted	जोड़ Total (4+5)	tered banks at the close of the year (2+3-6)
1	2	3	4	5	6	7
1962	287		2	9	11	276
1963	276		1	25	26	
1964	250	1@	6	88	94	250
1965	157		•	48		157
1966	109	1@	2	8	48	109
1967	100	16	2		10	100
1968	91		7	9	9	91
1969	88			3	3	88
1970 .	85		2	1	3	85
1971	83	385**	1	1	2	. 83
1972	465	16 @	1050	3	3\$	465
1973	476	18@	·	5	5@	476
1974	492	37 @		2	2@	492
1975	526	88tt		3	3@.	526
1976	611	155+		, 3	3\$	611
1977	757	223*	3**	6	9,@	757
1978	975		2	3	5**	975
1979	1,021	51++	4	1	5**	1,021
1980	1,392	375£		4	4**	1,392
1981	1,582	191££		1	1**	1,582
1982	1,647	69\$\$	1	3	4**	1,647
1983	1,683	44 @@	1	7	8**	1,683
	1,000	55(x) -		2	2**	1,736

अनुबंध II (समाप्त) ANNEXURE II (Concld.)

- 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 215 सहकारी बैंक 8 Regional Rural Banks and 215 co-operative banks
- @ एक वाणिज्य बैंक शामिल है Includes one commercial bank
- ये सभी सहकारी बैंक हैं All these are co-operative banks
- \$ दो वाणिज्य बैंक शामिल हैं Includes two commercial banks
- tt 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 83 सहकारी बैंक 5 Regional Rural Banks & 83 co-operative banks
- + 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 120 सहकारी बैंक 35 Regional Rural Banks & 120 co-operative banks
- ++ 1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 50 सहकारी बैंक 1 Regional Rural Bank & 50 co-operative banks
- £ 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 365 सहकारी बैंक 10 Regional Rural Banks & 365 co-operative banks
- ££ 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 166 सहकारी बैंक 25 Regional Rural Banks & 166 co-operative banks
- \$\$ 4 वाणिज्य बैंक, 22 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 43 सहकारी बैंक 4 Commercial banks, 22 Regional Rural Banks & 43 co-operative banks
- @@ 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 27 सहकारी बैंक
 - 17 Regional Rural Banks & 27 co-operative banks
- (x) 1 वाणिज्य बैंक , 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 29 सहकारी बैंक
 - 1 Commercial bank, 25 Regional Rural Banks & 29 co-operative banks

टिप्पणी: 1981–1983 के अंत में बीमाकृत बैंकों का अलग-अलग विवरण

Note: Break-up of insured banks at the end of 1981-1983

ਕਰੀ		बीमाकृत बैंके No. of inst	ों की संख्या ured banks	
Year	वाणि ज्य Commercial	क्षेत्रीय ग्रामीण Regional Rural	सहकारी Co-operative	जोड़ Total
1981	82	106,	1,459	1,647
1982	82	123	1,478	1,683
1983	83	148	1,505	1,736

अनुबंध III

ANNEXURE

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदत्त रक्षा की मात्रा दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF **INSURED BANKS**

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(Commercial Banks, Regional Rural Banks & Co-operative Banks)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार, 1967, 1970, 1971 तथा 1976 के प्रत्येक सितंबर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982 तथा 1983 के अंतिम कार्य-दिवस की स्थिति)

(As on last Fridays of December 1961, September each of 1967, 1970, 1971, 1976, 1st July, 1980 and the last working day of June 1981, 1982 and 1983)

वर्ष	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या (लाखों में)	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) में (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियाँ (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ (करोड़ रुपयों में)	(6) में (5) का प्रतिशत
Year	No. of fully protected accounts @ (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	% of (2) to (3)	Insured depo- sits £ (Rs. in crores)	Total assess- able deposits (Rs. in crores)	% of (5) to (6)
1	2	3	4	5	. 6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976.	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983 11	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3

[@] अर्थात् ऐसे खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 🔻 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनिधक बकाया राशियाँ थीं। i.e. number of accounts with balances not exceeding Rs.1,500 till end of 1967, Rs.5,000 till 31st March, 1970, Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

Provisional

[£] अर्थात् सभी खातों में 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1979 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,0 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमाराशियाँ।

i.e. deposits upto Rs.1,500 in all accounts till the end of 1967, Rs.5,000 till 31st March, 1970, Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June 1980 and Rs.30,000 thereafter.

¹¹ अनंतिम

अनुबंध IV -अ

ANNEXURE IV-A

बैंकों के आकार के अनुसार बीमा के अंतर्गत आनेवाली जमाराशियों का विश्लेषण ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE ACCORDING TO THE SIZE OF THE BANKS

वाणिज्य बैंक Commercial Banks

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार, 1967, 1970,1971,1976 प्रत्येक के सितंबर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982 और 1983 के अंतिम कार्य-दिवस की स्थित)

(As on the last Fridays of December 1961, September each of 1967, 1970, 1971, 1976, 1st July, 1980 and the last working day of June 1981, 1982 and 1983)

बैंकों की श्रेणी और वर्ष	बैंकों की संख्या	पूणर्तः रक्षित खातों की संख्या	खातों की कुल संख्या	(4) में (3) का प्रतिशत		ें बीमा-किस्त के लिए निधारिणीय कुल जमाराशियाँ	(7) में (6) का प्रतिशत
Category of banks and year	No. of banks	No. of fully protected accounts	Total number of accounts	% of (3) to (4)	Insured deposits \$	Total amount of deposits assessable to premium	% of (6) to (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	,	(लाखों में)	(लाखों में)		(करोड़ रुपयों में) (करोड़ रुपयों में)	A TAN
		(in lakhs)	(in lakhs)		(Rs. in crores)	(Rs. in crores)	
बैंक जिनकी जमाराशियाँ BANKS WITH DEPOSITS							
(i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores							
1961	5	19.08	26.08	73.1	172.44	860.24	20.4
1967	9	66.42	90.41	73.5	610.39	2,434.80	25.1
1970	13	168.15	175.84	95.6	2,654.83	4,246.76	62.5
1971	16	220.91	230.12	96.0	3,343.02	5,407.17	61.8
1976	26	571.73	582.64	98.1	10,310.89	9 14,450.40	71.4
1980	34	985.35	995.28	99.0	21,140.00	28,353.69	74.6
1981	39	1,057.08	1,068.05	99.0	22,352.43	30,154.05	74.1
1982	38	1,237.97	1,253.59	98.8	27,819.43	36,869.05	75.5
1983	41	1,424.09	1,453.09	98.0	33,555.28	8 44,997.55	74.6

अनुबंध IV - अ (जारी) ANNEXURE IV - A (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(ii) 50 करोड़ रुपये से अधिक,परंतु 100 करोड़ रुपये तक हैं exceeding Rs.50 crores but upto Rs.100 crores							
1961	5	7.70	10.14	75.8	61.97	311.66	19.8
1967	7	24.05	29.86	80.5	156.48	511.98	30.6
1970	9	32.04	32.98	97.1	390.48	598.99	65.2
1971	9	23.10	23.96	96.4	318.61	542.33	58.7
1976	7 '	18.16	18.54	98.0	343.33	514.61	66.7
1980	13	50.48	50.80	99.4	715.76	971.71	73.
1981	11	30.48	30.74	99.1	541.23	793.89	68.2
1982	10	32.62	32.86	99.3	441.24	699.52	63.
1983	9	41.88	42.13	99.4	412.13	648.77	63.
(iii) 25 करोड़ रुपये से अधिक, परंतु 50 करोड़ रुपये तक हैं exceeding Rs.25 crores but upto Rs.50 crores						,	
1961	5	6.72	8.31	80.8	43.05	150.26	28.
1967	10	12.87	16.26	79.2	85.49	365.31	23.
1970	5	7.05	7.30	96.6	101.90	207.93	49.
1971	6	9.16	9.45	96.8	120.10	204.01	58.
1976	15	38.71	39.07	99.1	430.87	569.21	75.
1980	10	28.42	28.54	99.6	239.52	349.15	68.
1981	9	27.25	27.36	99.6	220.10	334.16	65.
1982	9	15.74	15.86	99.2	236.80	354.69	66.
1983	8.	13.59	13.73	99.9	199.86	320.93	62.
(iv) 10 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 25 करोड़ रुपये तक हैं							
exceeding Rs.10 crores but upto Rs.25 crores							
1961	11	9.52	11.31	84.2	49.52	170.70	27.
1967	8	5.66	6.94	81.6		178.72	32
1970	13	12.54	12.84	97.7	33.95	105.13	
1971	10	9.32	9.57	97.2	144.41	218.23	66
1976	10	12.16	12.25	99.3	114.57	171.78	66
1980	7	6.00	6.04	99.5	106.94	167.06	64
1981 *	8	6.60	6.65	99.5	79.07	108.78	72
1982`	10	9.58	9.63		88.85	120.11	74
1983	. 8	6.01	6.05	99.5	125.76	167.77	75
The second secon		,	0.05	99.9	89.33	124.71	71

अनुवंध IV – अ (समाप्त) ANNEXURE IV – A (Concl	अनुवंध	IV — अ	(समाप्त)	ANNEXURE	IV	- A	(Concla
-----------------------------------------------	--------	--------	----------	-----------------	----	-----	---------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(v) एक करोड़ रुपये से व						(/)	(0)
10 करोड़ रुपये तक	हैं						
exceeding Rs.1							
crore but upto Rs.10 crores						2	
1961							
1967	45	8.80	10.56	83.4	47.75	155.22	30.8
	40	9.06	11.07	81.8	53.61	178.71	30.0
1970	34	10.25	10.48	97.8	116.89	173.10	67.5
1971	32	11.04	11,34	97.4	130.28	181.91	71.6
1976	15	5.84	5.88	99.3	63.05	78.47	80.3
1980	8	3.19	3.20	99.9	38.30	48.14	79.5
1981	10	3.01	3.03	99.3	40.65	54.46	74.6
1982	8	1.37	1.38	99.3	24.95	40.77	61.2
1983	7	0.52	0.53	98.1	12.97	26.53	48.9
(vi) एक करोड़ रुपये अथ							10.5
Rs.1 crore or le	ess						
1961	214	3.60	4.18	86.1	17.56	37.63	46.7
1967	19	0.61	0.72	85.1	2.96	7.54	39.2
1970	9	0.35	0.35	100.0	2.11	2.87	73.7
1971	8	0.32	0.32	100.0	1.98	2.66	74.3
1976	5	0.09	0.09	100.0	0.83	1.24	66:9
1980	1	0.01	0.01		0.14	0.29	48.0
1981	1	0.01	0.01	100.0	0.21	0.32	65.6
1982	2	0.03	0.03	100.0	0.81	1.37	59.1
1983	1	0.01	0.01	100.0	0.30	0.43	69.8
जोड़			7		0.00	0.10	02.0
Totals:	4 2						
1961	285	55.42	70.58	78.5	392.31	1,693.74	23.1
1967	93	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	83	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	81	273.85	284.76	96.2	4,028.56	6,509.86	61.9
1976	78	646.69	658.47	98.2	11,255.91	15,780.99	71.3
1980	73	1,073.45	1,083.87	99.0	22,212.79	29,831.76	75.6
1981	78	1,124.43	1,135.84	99.0	23,243.47	31,456.99	74.5
1982	77	1,297.30	1,313.35	98.8	28,648.99	38,133.17	75.1
1983*	74	1,486.10	1,515.54	98.1	34,269.87	46,118.92	74.3

[@] अर्थात् ऐसे खातों की संख्या, जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनिधक बकाया ग्रशियां थीं।

i.e. number of accounts with balances not exceeding Rs.1,500 till the end of 1967, Rs.5,000 till 31st March, 1970, Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

^{\$} अर्थात् सभी खातों में 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये तक और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमाराशियां। i.e. deposits upto Rs.1,500 in all accounts till the end of 1967, Rs.5,000 till 31st March, 1970, Rs.10,000 till 30th June, 1976,

आंकड़े अनंतिम हैं (कुछ बैंकों ने अभी तक अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की है)। Provisional figures (several banks have not yet submitted the final returns)

अनुबंध IV-आ

ANNEXURE IV-B

बैंकों के आकार के अनुसार बीमा के अंतर्गत आनेवाली जमाराशियों का विश्लेषण

ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE ACCORDING TO THE SIZE OF THE BANKS

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks

(दिसंबर 1976 के अंतिम शुक्रवार,पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982 और 1983 के अंतिम कार्य –दिवस की स्थिति) (As on the last Fridays of December 1976, 1st July 1980 and the last working day of June 1981, 1982 and 1983)

बैंकों की श्रेणी और वर्ष	बैंकों की संख्या	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या	खातों की कुल संख्या	(4) में (3) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियाँ	बीमा-किस्त के लिए निर्घारणीय कुल जमाराशियाँ	(7) मे (6) क प्रतिशत
Category of banks and year	No. of banks	No. of fully protected accounts @	Total number of accounts	% of (3) to (4)	Insured deposits \$	Total amount of depo- sits asse- ssable to premium	% o (6) t (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(i) 50 करोड़ रुपये से अधिक		(लाखों में) (in lakhs)	(लाखों में) (in lakhs)		(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)	(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)	
परंतु 100 करोड़ रुपये तक exceeding Rs.50 crores but upto Rs.100 crores से 1976 to 1982							
1983 (ii) 10 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 25 करोड़ रुपये तक	1	2.73	- 2.77	99.0	53.39	- 73.96	72.
exceeding Rs.10 crores but upto Rs.25 crores							
1000 4	-						
1976 to 1980				1000		7 Table 1	
1981	1	2.09	2.09	100.0	8 28	10.04	75
	1 3 6	2.09 5.70 16.80	2.09 5.71 16.81	100.0 99.8	8.28 42.95	10.94 48.73	75. ⁷

अनुबंध IV – आ (समाप्त) ANNEXURE IV – B (Concld.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(iii) 1 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपये तक							
exceeding Rs.1 crore but upto Rs.10 crores							
1976	-	- 4			-		
1980	38	24.92	24.93	99.9	98.71	111.26	88.7
1981	43	33.97	34.00	99:9	138.71	158.09	87.7
1982	56	45.04	45.08	99.9	198.10	219.21	90.4
1983	58	44.48	44.51	99.9	213.51	238.93	89.4
(iv) एक करोड़ रुपये या उससे व Rs.1 crore or less	Б						
1976	24	0.71	0.71	100.0	1.78	2.27	78.6
1980	21	0.91	0.92	99.9	3.52	4.63	76.0
1981	44	1.48	1.48	100.0	6.31	9.33	67.6
1982	49	2.70	2.70	100.0	12.59	17.20	73.2
1983	45	2.25	2.26	99.9	10.53	12.10	87.0
जोड़							
TOTALS:							70.6
1976	24	0.71	0.71	100.0	1.78	2.27	78.6
1980	59	25.83	25.85	99.9	102.23	115.89	88.2
1981	88	37.54	37.57	99.9	153.30	178.36	85.9
1982	108	53.44	53.49	99.9	253.65	285.14	89.0
1983°	110	66.26	66.35	99.9	352.63	405.09	87.0

[@] अर्थात् ऐसे खातों की संख्या जिनमें 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनिधक बकाया राशियाँ थी।

વર્ભાયા પારાયા થા i.e. number of accounts with balances not exceeding Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 the confidence of accounts with balances not exceeding Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 till 30th June,

^{\$} अर्थात् सभी खातों में 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये तक और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमाग्रशियाँ। i.e. deposits upto Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

[•] आंकड़े अनंतिम हैं । Provisional figures.

अनुबंध IV-इ

ANNEXURE IV-C

सहकारी बैंकों की बीमा के अंतर्गत आनेवाली जमाराशियों का विश्लेषण

ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE OF THE CO-OPERATIVE BANKS

(1971 और 1976 प्रत्येक के सितंबर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982 और 1983 के अंतिम कार्य-दिवस की स्थिति)

(As on the last Fridays of September each of 1971, and 1976, 1st July 1980 and the last working day of June 1981, 1982 and 1983)

बैंकों की श्रेणी और वर्ष	बैंकों की संख्या	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या	खातों की कुल संख्या	(4) में (3) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियौँ	बीमा किस्त के के लिए निर्घारणीय कुल जमाराशियाँ	(7) मे (6) क प्रतिशत
Category of banks and year	No. of banks	No. of fully protected accounts @	Total number of accounts	% of (3) to (4)	Insured deposits £	Total amount of deposits assessable to premium.	% of (6) to (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(लाखों में) (in lakhs)	(लाखों में) (in lakhs)		(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)	(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)	
भ वैंकों के आकार के अनुस		Falled S			7 1 0 2 1		
	E 4L - 1	hanke.			8 2,		
A. According to size	e or the	Junias.	1 200 1 200				
वैंक जिनकी जमाराशियाँ	e or the	Junes.					
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits							
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक							
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100		V					
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores	₹						
बैंक जिनकी जम्मराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976	₹		005				
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976	i t	2.21	2.25	98.1	62.33	144.91	
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976 1980 1981	1 1	2.21 2.30	2.35	98.0	62.33 76.93	144.91 158.14	
बैंक जिनकी जम्मराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976 1980 1981 1982	1 1 1 2	2.21 2.30 3.84	2.35 3.90	98.0 98.4		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	48.6
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976 1980 1981 1982 1983	5 1 1 2 4	2.21 2.30	2.35	98.0	76.93	158.14	48.6 39 .3
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976 1980 1981 1982 1983 (ii) 50 करोड़ रुपये से अधिक, परंतु 100 करोड़ रुपये तक exceeding Rs.50 crores but upto	5 1 1 2 4	2.21 2.30 3.84	2.35 3.90	98.0 98.4	76.93 128.52	158.14 326.79	43.0 48.6 39. 3 52.0
बैंक जिनकी जमसाशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976 1980 1981 1982 1983 (ii) 50 करोड़ रुपये से अधिक, परंतु 100 करोड़ रुपये तक exceeding Rs.50 crores but upto Rs.100 crores	5 1 1 2 4	2.21 2.30 3.84	2.35 3.90	98.0 98.4	76.93 128.52	158.14 326.79	48.6 39 .3
बैंक जिनकी जमाराशियाँ Banks with deposits (i) 100 करोड़ रुपये से अधिक exceeding Rs.100 crores और 1971 and 1976 1980 1981 1982 1983 (ii) 50 करोड़ रुपये से अधिक, परंतु 100 करोड़ रुपये तक exceeding Rs.50 crores but upto	5 1 1 2 4	2.21 2.30 3.84	2.35 3.90	98.0 98.4	76.93 128.52	158.14 326.79	48.6 39. 3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1980	3	5.20	5.24	99.1	128.84	209.88	61.4
1981	6	11.68	11.78	99.1	234.59	389.85	60.2
1982	5	14.02	14.17	98.9	269.27	364.74	73.8
1983	7	15.87	15.98	99.0	237.25	427.16	55.0
(iii) 25 करोड़ रुपये से अधिक परंतु 50 करोड़ रुपये तक हैं exceeding Rs.25 crores but upto Rs.50 crores							
1971	1	0.93	0.98	94.6	18.23	45.29	40.3
1976	1	1.25	1.27	98.4	20.68	25.77	80.3
1980	11	13.83	13.91	99.4	202.41	354.30	57.1
1981	16	22.75	22.88	99.4	340.50	547.89	62.1
1982	18	27.97	28.13	99.4	389.96	619.77	62.9
1983	19	30.33	30.56	99.0	466.72	665.59	70.0
परंतु 25 करोड़ रुपये तक है exceeding Rs.10 crores but upto Rs.25 crores						00.71	740
1971	2	1.19	1.26	94.2	17.58	23.71	74.2
1976	12	13.00	13.14	99.0	106.39	177.74	59.9
1980	44	48.45	48.62	99.7	445.94	623.40	71.5
1981	48	52.62	52.83	99.6	522.97	729.84	71.7
1982	57	58.71	58.99	99.5	614.73	874.52	70.3
1983	62	65.79	66.12	99.0	733.55	959.22	76.0
(v) एक करोड़ रुपये से अधि परंतु 10 करोड़ रुपये तक exceeding Rs.1 crore but upto	क त हैं						
Rs.10 crores	54	13.97	14.20	98.6	104.42	157.13	66.5
1971		38.71	38.89	99.5	288.58	376.76	76.6
1976	138	76.50	76.81	99.6	838.23	1029.03	81.5
1980	368 423	80.64	81.03	99.5	1022.83	1259.22	81.2
1981		95.07	95.52	99.5	1200.69	1464.96	82.0
1982	488	87.01	87.46	99.0	1200.90	1462.35	82.0
1983	473	67.01					•
(vi) एक करोड़ रुपये या उसरे Rs.1 crore or less	से कम हैं					65.43	85.1
1971	285	8.92	9.00	99.2	55.70	125.41	88.6
1976	432	16.08	16.13	99.6	111.10	120,41	00.0

अनुवंध IV - इ (समाप्त) ANNEXURE IV - C (Concld.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	744	28.20	28.26	99.8	240.73	260.43	92.4
1980	744	32.66	32.79	99.6	264.61	284.14	93.1
1981	710	30.63	30.69	99.8	268.11	291.32	92.0
1982 1983	714 532	23.42	23.46	99.0	204.47	222.74	91.0
जोड़ TOTALS:							
1971	342	25.01	25.44	98.7	195.93	291.56	67.2
1976	584	70.61	71.05	99.4	569.74	804.59	70.8
1980	1171	174.39	175.09	99.6	1918.48	2621.95	73.2
1981	1204	202.65	203.66	99.5	2462.43	3369.08	73.1
1982	1284	230.24	231.40	99.5	2871.28	3942.10	72.8
1983*	1097	232.61	233.93	99.4	3123.89	4272.53	73.1

[•] आंकड़े अनंतिम हैं (कुछ बैंकों ने अभी तक अंतिम विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की हैं)। Provisional figures (several banks have not yet submitted the final returns).

i.e., number of accounts with balances not exceeding Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

[@] अर्थात् ऐसे खातों की संख्या जिनमें 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनिधक बकाया ग्रिशयाँ थीं।

[£] अर्थात् सभी खातों में 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमाराशियाँ। i.e., deposits upto Rs.10,000 in all accounts till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

अनुबंध IV-ई

ANNEXURE IV-D

सहकारी बैंकों के बीमा के अन्तर्गत आनेवाली जमाराशियों का विश्लेषण ANALYSIS OF COVERAGE OF INSURANCE OF THE CO-OPERATIVE BANKS (1971 और 1976 प्रत्येक के सितम्बर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982 और 1983 के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

(As on the last Fridays of September each of 1971, and 1976, 1st July 1980 and the last working day of June 1981, 1982 and 1983)

बैंकों की श्रेणी और वर्ष	बैंकों की संख्या	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या	खातों की कुल संख्या	(4) में (3) का प्रतिशत	बीमाकृत जमाराशियाँ	बीमा किस्त के लिए निर्घारणीय कुल जमाराशियाँ	(7) में (6) का प्रतिशत
Category of banks and year	No. of banks	No. of fully protected accounts	Total number of accounts	% of (3) to (4)	Insured deposits	Total amount of deposits assessable to premium	% of (6) to (7)
(1)	(2)	(3)					1 - 8
		(लाखों में) (in lakhs)	(लाखों में) (in lakhs)	/	करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)	(करोड़ रुपयों में) (Rs. in crores)	
the bank							
(i) राज्य सहकारी बैंक State Co-operative Banks							
State Co-operative Banks	4	1 25	1.31	95.5	22.31	60.92 .	
State Co-operative Banks 1971	4 11	1.25 3.17	1.31 3.23	95.5 98.1	22.31 61.92	60.92 . 167.22	37.0
State Co-operative Banks 1971 1976	11	3.17		121		167.22 409.70	37.0 39.1
State Co-operative Banks 1971 1976 1980	11 14	3.17 6.23	3.23	98.1	61.92	167.22 409.70 508.15	37.0 39.1 39.1
State Co-operative Banks 1971 1976 1980 1981	11 14 14	3.17	3.23 6.31	98.1 98.8	61.92 162.66 201.99 224.51	167.22 409.70 508.15 564.72	37.0 39.3 39.3
State Co-operative Banks 1971 1976 1980	11 14	3.17 6.23 8.41	3.23 6.31 8.52 9.55	98.1 98.8 98.8	61.92 162.66 201.99	167.22 409.70 508.15	37.0 39.3 39.3
State Co-operative Banks 1971 1976 1980 1981 1982	11 14 14 14	3.17 6.23 8.41 9.43	3.23 6.31 8.52 9.55	98.1 98.8 98.8 98.8	61.92 162.66 201.99 224.51	167.22 409.70 508.15 564.72	37.0 39.3 39.3
State Co-operative Banks 1971 1976 1980 1981 1982 1983	11 14 14 14 16	3.17 6.23 8.41 9.43	3.23 6.31 8.52 9.55	98.1 98.8 98.8 98.8	61.92 162.66 201.99 224.51 233.68	167.22 409.70 508.15 564.72 585.49	36.6 37.0 39.3 39.3 39.3
State Co-operative Banks 1971 1976 1980 1981 1982 1983 (ii) मध्यवर्ती सहकारी बेंक Central Co-operative	11 14 14 14 16	3.17 6.23 8.41 9.43	3.23 6.31 8.52 9.55	98.1 98.8 98.8 98.8	61.92 162.66 201.99 224.51 233.68	167.22 409.70 508.15 564.72 585.49	37.0 39.3 39.3

अनुबंध IV - ई (समाप्त) ANNEXURE IV - D (Concld.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)			97.30	99.9	872.79	1,193.52	73.1
1980	204	97.15	98.43	99.6	997.70	1,363.54	73.2
1981	164	98.01	125.04	99.5	1,265.50	1,784.74	70.9
1982	226	124.46		99.5	1,329.43	1,861.92	71.4
1983	183	123.74	124.36	99.5	1,025.10		
(iii) प्राथमिक सहकारी बैंक							
Primary Co-operative Banks							
1971	253	10.85	10.96	98.9	76.51	90.07	84.9
1976	428	24.46	24.57	99.5	212.15	239.66	88.5
1980	953	71.00	71.48	99.3	883.03	1,018.73	86.7
1981	1026	96.23	96.71	99.5	1,262.74	1,497.39	84.3
1982	1044	96.35	96.81	99.5	1,381.27	1,592.64	86.7
1983	898	97.76	98.31	99.4	1,560.78	1,825.12	85.5
जोड							
TOTALS:							
1971	342	25.01	25.44	98.7	195.93	291.56	67.2
1976	584	70.61	71.05	99.4	569.74	804.59	70.8
1980	1171	174.39	175.09	99.6	1,918.48	2,621.95	73.2
1981	1204	202.65	203.66	99.5	2,462.43	3,369.08	73.1
1982	1284	230.24	231.40	99.5	2,871.28	3,942.10	72.8
1983*	1097	232.61	233.93	99.4	3,123.89	4,272.53	73.1

आंकड़े अनंतिम हैं (कुछ बैंकों ने अभी तक अंतिम विवरिणयां प्रस्तुत नहीं की है)। Provisional figures (several banks have not yet submitted the final returns).

अर्थात् ऐसे खातों की संख्या जिनमें 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियां थीं। i.e. number of accounts with balances not exceeding Rs.10,000 till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000

[£] अर्थात् सभी खातों में 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमाराशियाँ। i.e. deposits upto Rs.10,000 in all accounts till 30th June, 1976, Rs.20,000 till 30th June, 1980 and Rs.30,000 thereafter.

अनुबंध- V ANNEXURE – V

निगम की गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटीकृत आग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण — पृष्ठ 52, 53

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR – Pages 52 and 53

अनुबंध ANNEXURE निगम की गारंटी योजनाओं के अंतर्गत गैर-औद्योगिक

SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S

			र्वों के जून के अंत end of June	
Charles and the Control of the Contr		As at the	ena of June	
	1972	1974	1976	1978
योजना/ऋणकर्ताओं का वर्ग	377/12			
Scheme/Category of Borrowers				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	·			
Small Loans Guarantee Scheme, 1971 (i) कृषक और काश्तकार	205.71	471.46	993.20	1,706.29
Farmers and Agriculturists (ii) परिवहन चालक	134.67	306.71	650.18	1,057.04
Transport Operators (iii) फुटकर व्यापारी	28.29	58.58	149.91	282.66
Retail Traders (iv) व्यावसायिक और स्विनयोजित व्यक्ति	28.34	61.16	99.40	178.92
Professional & Self-employed Persons	9.14	28.87	51.33	87.96
Business Enterprises (vi) विभेदक ब्याज दर	5.27	15.00	31.90	68.07
योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी Residual Category of Borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	<u>-</u>	1.14	10.48	31.64
Small Loans (Financial Company)				
(i) परिवहन चालक	2.56	2.87	5.25	8.66
Transport Operators (ii) कारोबारी उद्यम	2.35	2.68	5.01	7.97
Business Enterprises	0.21	0.19	0.24	0.69
III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971				
I,II और III का जोड़ TOTAL OF I, II AND III:	0.12	0.75	0.29	0.22
, a muo III:	208.39	475.08	998.74	1,715.17

- V

क्षेत्र से संबंधित गारंटीकृत अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR

(करोड़ रुपयों में) (In crores of Rupees)

		निम्नलिखित वर्षी के जू As at the end o					
1979	1980	1981	1982	·	1983		
				Amount Per	में I,II ,III का प्रतिशत centage to total of I, II, III		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
X-12-5							
2,154.45	2,789.13	3,546.24	4,819.77	5,736.44	99.35		
1,345.80	1,796.10	2,267.52	3,041.59	3,594.84	62.26		
310.54	368.50	477.56	731.31	937.68	16.24		
257.39	316.65	398.86	511.83	574.80	9.95		
108.11	127.09	165.66	199.12	240.76	4.17		
92.18	116.64	150.08	209.70	239.62	4.15		
40.43	64.15	86.56	126.22	148.74	2.58		
9.38	10.23	10.89	18.58	35.64	0.62		
8.69	9.58	10.33	18.35	35.40	0.61		
0.69	0.65	0.56	0.23	0.24	0.01		
0.89	0.36	1.32	1.53	1.75	0.03		
2,164.72	2,799.72	3,558.45	4,839.88	5,773.83	100.00		

अनुबंध 🗸

31 दिसम्बर 1983 को गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सुची

। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

स्टेट बैंक समूह

- 1. भारतीय स्टेट बैंक
- 2. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
- 3. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
- स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
- स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
- 6. स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
- 7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
- स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

- 9. इलाहाबाद बैंक
- 10. आन्ध्र बैंक
- 11. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- 12. बैंक ऑफ़ इंडिया
- 13. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
- 14. केनरा बैंक
- 15. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
- 16. कार्पोरेशन बैंक
- 17. देना बैंक
- 18. इंडियन बैंक
- 19. इंडियन ओवरसीज बैंक
- 20. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
- 21. ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कामर्स
- 22. पंजाब नेशनल बैंक
- 23. पंजाब एण्ड सिंघ बैंक
- 24. सिंडीकेट बैंक
- 25. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
- 26. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
- 27. यूनाइटेड कर्माशयल बैंक
- 28. विजया बैंक

LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR AS ON 31st DECEMBER, 1983

I. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

- 1. State Bank of India
- 2. State Bank of Bikaner and Jaipur
- 3. State Bank of Hyderabad
- 4. State Bank of Indore
- 5. State Bank of Mysore
- 6. State Bank of Patiala
- 7. State Bank of Saurashtra
- 8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

- 9. Allahabad Bank
- 10. Andhra Bank
- 11. Bank of Baroda
- 12. Bank of India
- 13. Bank of Maharashtra
- 14. Canara Bank
- 15. Central Bank of India
- 16. Corporation Bank
- 17. Dena Bank
- 18. Indian Bank
- 19. Indian Overseas Bank
- 20. New Bank of India
- 21. Oriental Bank of Commerce
- 22. Punjab National Bank
- 23. Punjab and Sind Bank
- 24. Syndicate Bank
- 25. Union Bank of India
- 26. United Bank of India
- 27. United Commercial Bank
- 28. Vijaya Bank

विदेशी बैंक

- 29. एल्जिमिन बैंक नीदरलैंड एन.वी.
- 30. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पेरिशन
- 31. बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्ज एसोसिएशन
- 32. बैंक ऑफ़ टोक्यो लि.
- 33. बैंक नेशनल दि पेरिस
- 34. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
- 35. चार्टर्ड बैंक
- 36. सिटी बैंक एन.ए.
- 37. ग्रिण्डलेज बैंक पी.एल.सी.
- 38. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
- 39. मित्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

- 40. बैंक ऑफ़ कोचीन लि.
- 41. बैंक ऑफ़ कराड़ लि.
- 42. बैंक ऑफ़ मद्दै लि.
- 43. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
- 44. बैंक ऑफ़ तमिलनाड लि.
- 45. बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
- 46. बरेली कापेरिशन (बैंक) लि.
- 47. बनारस स्टेट बैंक लि.
- 48. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
- 49. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
- 50. धनलक्ष्मी बैंक लि.
- 51. फेडरल बैंक लि.
- 52. हिन्दुस्तान कमिशयल बैंक लि.
- 53. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
- 54. कर्नाटक बैंक लि.
- 55. करूर वैश्य बैंक लि.
- 56. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लि.
- 57. लक्ष्मी कमरिंगयल बैंक लि.
- 58. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
- 59. लार्ड कृष्ण बैंक लि.
- 60. मिरज स्टेट बैंक लि.
- 61. नैनीताल बैंक लि.
- 62. नेदुंगाडि बैंक लि.
- 63. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 64. पूर्वांचल बैंक लि.
- 65. रत्नाकर बैंक लि.
- 66. सांगली बैंक लि.

Foreign Banks

- 29. Algemene Bank Nederland N.V.
- American Express International Banking Corporation
- 31. Bank of America National Trust & Savings Association
- 32. Bank of Tokyo Ltd.
- 33. Banque Nationale de Paris
- 34. British Bank of the Middle East
- 35. Chartered Bank
- 36. Citibank N.A.
- 37. Grindlays Bank p.l.c.
- 38. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
- 39. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

- 40. Bank of Cochin Ltd.
- 41. Bank of Karad Ltd.
- 42. Bank of Madura Ltd.
- 43. Bank of Rajasthan Ltd.
- 44. Bank of Tamilnad Ltd.
- 45. Bank of Thanjavur Ltd.
- 46. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
- 47. Benares State Bank Ltd.
- 48. Bharat Overseas Bank Ltd.
- 49. Catholic Syrian Bank Ltd.
- 50. Dhanalakshmi Bank Ltd.
- 51. Federal Bank Ltd.
- 52. Hindustan Commercial Bank Ltd.
- 53 Jammu & Kashmir Bank Ltd.
- Karnataka Bank Ltd.
- 55. Karur Vysya Bank Ltd.
- 56. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
- 57. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
- 58. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
- 59. Lord Krishna Bank Ltd.
- 60. Mirai State Bank Ltd.
- 61. Naini Tal Bank Ltd.
- 62. Nedungadi Bank Ltd.
- 63. Punjab Co-op. Bank Ltd.
- 64. Purbanchal Bank Ltd.
- 65. Ratnakar Bank Ltd.
- 66. Sangli Bank Ltd.
- 67. South Indian Bank Ltd.

- 67. साउथ इंडियन बैंक लि.
- 68. तमिलनाड् मर्केन्टाइल बैंक लि.
- 69. ट्रेडर्स बैंक लि.
- 70. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
- 71. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
- 72. वैश्य बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 73. अकोला ग्रामीण बैंक
- 74. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
- 75. अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 76. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 77. वैतरणी ग्राम्य बैंक
- 78. बालासोर ग्राम्य बैंक
- 79. बलिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 80. बनासकांठा-मेहसाणा ग्रामीण बैंक
- 81. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
- 82. वर्धमान ग्रामीण बैंक
- 83. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 84. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 85. बस्ती ग्रामीण बैंक
- 86. भगीरथ ग्रामीण बैंक
- 87. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
- 88. बीजापुर. ग्रामीण बैंक
- 89. बिलासपुर-गयपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 90. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
- 91. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 92. कछार ग्रामीण बैंक
- 93. कावेरी ग्रामीण बैंक
- 94. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 95. चैतन्य ग्रामीण बैंक
- 96. चन्द्रपुर गढ़िचरोली ग्रामीण बैंक
- 97. छत्रसाल ग्रामीण वैंक
- 98. छिन्दवाड़ा सेओनी क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक
- 99. चित्रदुर्ग ग्रामीण वैंक
- 100. कंटक ग्राम्य बैंक
- 101. देवी पट्टन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 102. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक
- 103. धणकनाल ग्राम्य वैंक
- 104. दुर्ग-राजनांदगांव ग्रामीण बैंक
- 105. इलाकाई देहाती बैंक
- 106. एटा ग्रामीण वैंक
- 107. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 108. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 109. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
- 110. फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 68. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
- 69. Traders' Bank Ltd.
- 70. United Industrial Bank Ltd.
- 71. United Western Bank Ltd.
- 72. Vysya Bank Ltd.

Regional Rural Banks

- 73. Akola Gramin Bank
- 74. Aligarh Gramin Bank
- 75. Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank
- 76. Aravali Kshetriya Gramin Bank
- 77. Baitarani Gramya Bank
- 78. Balasore Gramya Bank
- 79. Ballia Kshetriya Gramin Bank
- 80. Banaskantha-Mehsana Gramin Bank
- 81. Bara Banki Gramin Bank
- 82. Bardhaman Gramin Bank
- 83. Bareilly Kshetriya Gramin Bank
- 84. Bastar Kshetriya Gramin Bank
- 85. Basti Gramin Bank
- 86. Bhagirath Gramin Bank
- 87. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
- 88. Bijapur Grameena Bank
- 89. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
- 90. Bolangir Anchalik Gramya Bank
- 91. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
- 92. Cachar Gramin Bank
- 93. Cauvery Grameena Bank
- 94. Champaran Kshetriya Gramin Bank
- 95. Chaitanya Grameena Bank
- 96. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
- 97. Chhatrasal Gramin Bank
- 98. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank
- 99. Chitradurga Gramin Bank
- 100. Cuttack Gramya Bank
- 101. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
- 102. Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank
- 103. Dhenkanal Gramya Bank
- 104. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank
- 105. Ellaquai Dehati Bank
- 106. Etah Gramin Bank
- 107. Etawah Kshetriya Gramin Bank
- 108. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
- 109. Farrukhabad Gramin Bank
- 110. Fatehpur Kshetriya Gramin Bank

- 111. गौड़ ग्रामीण बैंक
- 112. गोमती ग्रामीण बैंक
- 113. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 114. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 115. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
- 116. हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 117. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 118. हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक
- 119. हिमाचल ग्रामीण बैंक
- 120. हावडा ग्रामीण बैंक
- 121. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 122. जम्मू रूरल बैंक
- 123. जामनगर ग्रामीण बैंक
- 124. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 125. काकथिया ग्रामीण बैंक
- 126. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
- 127. कल्पतरू ग्रामीण बैंक
- 128. कामराज रूरल बैंक
- 129. काशी ग्रामीण बैंक
- 130. खासी जयंतिया रूरल बैंक
- 131. किसान ग्रामीण बैंक
- 132 कोलार ग्रामीण बैंक
- 133. कोरपुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
- 134. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-
- 135. कृष्णा ग्रामीण बैंक
- 136. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 137. कच्छ ग्रामीण बैंक
- 138. लिखमी गांवलिया बैंक
- 139. लांगपी देहांगी रूरल बैंक
- 140. मधबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 141. मगध ग्रामीण बैंक
- 142. मालप्रभा ग्रामीण बैंक
- 143. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
- 144. मंडला बालाधाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 145. मणिप्र रूरल बैंक
- 146. मंजीरा ग्रामीण बैंक
- 147. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 148. मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 149. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 150. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 151. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
- 152. मारवाड ग्रामीण बैंक
- 153. मयुराक्षी ग्रामीण बैंक
- 154. नदिया ग्रामीण बैंक
- 155. नागार्जुन ग्रामीण बैंक

- 111. Gaur Gramin Bank
- 112. Gomati Gramin Bank
- 113. Gopalganj Kshetriya Gramin Bank
- 114. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
- 115. Gurgaon Gramin Bank
- 116. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
- 117. Haryana Kshetriya Gramin Bank
- 118. Hardoi Unnao Gramin Bank
- 119. Himachal Gramin Bank
- 120. Howrah Gramin Bank
- 121. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
- 122. Jammu Rural Bank
- 123. Jamnagar Gramin Bank
- 124. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- 125. Kakathiya Grameena Bank
- 126. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
- 127. Kalpatharu Grameena Bank
- 128. Kamraz Rural Bank
- 129. Kashi Gramin Bank
- 130. Khasi Jaintia Rural Bank
- 131. Kisan Gramin Bank
- 132. Kolar Gramin Bank
- 133. Koraput Panchabati Gramya Bank
- 134. Kosi Kshetriya Gramin Bank
- 135. Krishna Grameena Bank
- 136. Kshetriya Gramin Bank
- 137. Kutch Gramin Bank
- 138. Lakhimi Gaonlia Bank
- 139. Langpi Dehangi Rural Bank
- 140. Madhubani Kshetriya Gramin Bank
- 141. Magadh Gramin Bank
- 142. Malaprabha Grameena Bank
- 143. Mallabhum Gramin Bank
- 144. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank
- 145. Manipur Rural Bank
- 146. Manjira Grameena Bank
- 147. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
- 148. Mewar Anchalik Gramin Bank
- 149. Mithila Kshetriya Gramin Bank
- 150. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
- 151. Marathwada Gramin Bank
- 152. Marwar Gramin Bank
- 153. Mayurakshi Gramin Bank
- 154. Nadia Gramin Bank
- 155. Nagarjuna Grameena Bank

156. Nalanda Gramin Bank

156. नालंदा ग्रामीण बैंक 157. नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 158. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक 159. पलाम् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 160. पंचमहल ग्रामीण बैंक 161. पंड्यन ग्राम बैंक 162. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक 163. प्राग्यज्योतिष गांवलिया बैंक 164. प्रतापगढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 165. प्रथमा बैंक 166. पुरी ग्राम्य बैंक 167. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 168. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 169. राजगाठ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 170. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 171. रायलसीमा ग्रामीण बैंक 172. रीवां सीधी ग्रामीण बैंक 173. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक 174. सागर ग्रामीण बैंक 175. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 176. संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 177. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक 178. संथाल परगना ग्रामीण बैंक 179. सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 180. सरयू ग्रामीण बैंक 181. शारदा ग्रामीण बैंक 182. शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 183. शाहजहांप्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 184. शेखावटी ग्रामीण वैंक 185. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 186. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 187. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक 188. सिंहभूमि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 189. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 190. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक 191. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक 192. श्री सरवस्ती ग्रामीण बैंक 193. श्री अनंत ग्रामीण बैंक 194. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक 195. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 196. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 197. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक 198. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक

199. तुलसी ग्रामीण बैंक 200. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक

	156.	Nalanda Gramin bank
	157.	Nimar Kshetriya Gramin Bank
	158.	North Malabar Gramin Bank
	159.	Palamau Kshetriya Gramin Bank
	160.	Panchamahal Gramin Bank
	161.	Pandyan Grama Bank
	162.	Pinakini Grameena Bank
	163.	Pragjyotish Gaonlia Bank
	164.	Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank
	165.	Prathama Bank
	166.	Puri Gramya Bank
	167.	Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank
	168.	Raigarh Kshetriya Gramin Bank
	169.	Rajgath Kshetriya Gramin Bank
	170.	Ranchi Kshetriya Gramin Bank
	171.	Rayalaseema Grameena Bank
	172.	Rewa Sidhi Gramin Bank
	173.	Rushikulya Gramya Bank
	174.	Sagar Gramin Bank
	175.	Samastipur Kshetriya Gramin Bank
	176.	Samyut Kshetriya Gramin Bank
	177.	Sangameshwara Grameena Bank
	178.	Santhal Pargana Gramin Bank
	179.	Saran Kshetriya Gramin Bank
	180.	Saryu Gramin Bank
	181.	Sharda Gramin Bank
	182.	Shahdol Kshetriya Gramin Bank
	183.	Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank
	184.	Shekhawati Gramin Bank
	185.	Shivalik Kshetriya Gramin Bank
	186.	Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank
	187.	Shri Venkateswara Grameena Bank
	188.	Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
	189.	Siwan Kshetriya Gramin Bank
	190.	South Malabar Gramin Bank
	191.	Sravasthi Grameena Bank
3	192.	Sri Saraswathi Grameena Bank
	193.	Sree Anantha Grameena Bank
	194.	Sri Visakha Gramin Bank
	195.	Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
	196.	Surguja Kshetriya Gramin Bank
	197.	Thar Anchalik Gramin Bank
	198.	Tripura Gramin Bank
	199.	Tulsi Gramin Bank
	200.	Tungabhadra Gramin Bank
		Ordinii Dalik

- 201. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 202. बैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 203. विदुर ग्रामीण बैंक
- 204. विध्यवासिनी ग्रामीण बैंक

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

- 205. गणेश बैंक ऑफ कुरूंदवाड़ लिमिटेड
- 206. काशीनाथ सेठ बैंक लि.
- 207. परूर सेंट्ल बैंक लि.
- ll लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971
 - 1. आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कर्पोरेशन
 - 2. असम फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
 - 3. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
 - दिल्ली फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
 - 5. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
 - 6. हरियाणा फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
 - 7. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
 - 8. जम्म एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कार्पेरिशन
 - 9. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 10. केरल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 11. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 12.- महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कापेरिशन
- 13. उडीसा स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 14. पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 15. राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 16. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
- 17. उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 18. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कार्पेरिशन

III सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971

स्टेट बैंक समह

- 1. भारतीय स्टेट बैंक
- 2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
- 3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
- 4. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
- 5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
- 6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

- 201. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
- 202. Vaishali Kshetriya Gramin Bank
- 203. Vidur Gramin Bank
- 204. Vindhyavasini Gramin Bank

Non-scheduled Commercial Banks

- 205. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.
- 206. Kashi Nath Seth Bank Ltd.
- 207. Parur Central Bank Ltd.

II. SMALL LOANS (FINANCIAL CORPORA-TIONS) GUARANTEE SCHEME, 1971

- Andhra Pradesh State Financial Corporation
- 2. Assam Financial Corporation
- 3. Bihar State Financial Corporation
- Delhi Financial Corporation
- 5. Gujarat State Financial Corporation
- 6. Haryana Financial Corporation
- 7. Himachal Pradesh Financial Corporation
- Jammu & Kashmir State Financial Corporation
- 9. Karnataka State Financial Corporation
- 10. Kerala Financial Corporation
- 11. Madhya Pradesh Financial Corporation
- 12. Maharashtra State Financial Corporation
- 13. Orissa State Financial Corporation
- 14. Punjab Financial Corporation
- 15. Rajasthan Financial Corporation
- Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
- 17. Uttar Pradesh Financial Corporation
- 18. West Bengal Financial Corporation

III. SERVICE CO-OPERATIVE SOCIETIES GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

- 1. State Bank of India
- 2. State Bank of Bikaner and Jaipur
- 3. State Bank of Hyderabad
- 4. State Bank of Indore
- 5. State Bank of Mysore
- 6. State Bank of Patiala

- 7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
- 8. स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

- 9. इलाहाबाद बैंक
- 10. आन्ध्र बैंक
- 11. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- 12. बैंक ऑफ़ इंडिया
- 13. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
- 14. केनरा बैंक
- 15. सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
- 16. कापेरिशन बैंक
- 17. देना बैंक
- 18. इंडियन बैंक
- 19. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
- 20. न्यू बैंक ऑफ़ इंडिया
- 21. ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कामर्स
- 22. पंजाब नेशनल बैंक
- 23. पंजाब एंड सिंघ बैंक
- 24. सिंडीकेट बैंक
- 25. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया
- 26. यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
- 27. यूनाइटेड कम्शियल बैंक
- 28. विजया बैंक

विदेशी बैंक

- 29. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैर्किंग कार्पोरेशन
- 30. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्ज एसोसिएशन
- 31. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
- 32. सिटी बैंक एन.ए.
- 33. मित्सुई बैंक लिमिटेड

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

- 34. बैंक ऑफ़ कराड लि.
- 35. बैंक ऑफ्र मद्रै लि.
- 36. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
- 37. बैंक ऑफ़ तमिलनाडू लि.
- 38. बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
- 39. बरेली कार्पोरेशन (बैंक) लि.
- 40. बनारस स्टेट बैंक लि.
- 41. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.

- 7. State Bank of Saurashtra
- 8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

- 9. Allahabad Bank
- 10. Andhra Bank
- 11. Bank of Baroda
- 12. Bank of India
- 13. Bank of Maharashtra
- 14. Canara Bank
- 15. Central Bank of India
- 16. Corporation Bank
- 17. Dena Bank
- 18. Indian Bank
- 19. Indian Overseas Bank
- 20. New Bank of India
- 21. Oriental Bank of Commerce
- 22. Punjab National Bank
- 23. Punjab and Sind Bank
- 24. Syndicate Bank
- 25. Union Bank of India
- 26. United Bank of India
- 27. United Commercial Bank
- 28. Vijaya Bank

Foreign Banks

- 29. American Express International Banking Corporation
- Bank of America National Trust & Savings Association
- 31. British Bank of the Middle East
- 32. Citibank N.A.
- 33. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

- 34. Bank of Karad Ltd.
- 35. Bank of Madura Ltd.
- 36. Bank of Rajasthan Ltd.
- 37. Bank of Tamilnad Ltd.
- 38. Bank of Thanjavur Ltd.
- 39. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
- 40. Benares State Bank Ltd.
- 41. Bharat Overseas Bank Ltd.

- 42. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
- 43. फेडरल बैंक लि.
- 44. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि.
- 45. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.
- 46. कर्नाटक बैंक लि.
- 47. करूर वैश्य बैंक लि.
- 48. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लि.
- 49. लक्ष्मी कम्शियल बैंक लि.
- 50. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
- 51. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.
- 52. मिरज स्टेट बैंक लि.
- 53. नेदुंगाडि बैंक लि.
- 54. पूर्वांचल बैंक लि.
- 55. रत्नाकर बैंक लि.
- 56. सांगली बैंक लि.
- 57. साउथ इंडियन बैंक लि.
- 58. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.
- 59. ट्रेडर्स बैंक लि.
- 60. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
- 61. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 62. अकोला ग्रामीण बैंक
- 63. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
- 64. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 65. बस्ती ग्रामीण बैंक
- 66. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
- 67. बीजापुर ग्रामीण बैंक
- 68. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 69. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
- 70. कछार ग्रामीण बैंक
- 71. कावेरी ग्रामीण बैंक
- 72. चंद्रपुर गढ़िचरोली ग्रामीण बैंक
- 73. कटक ग्राम्य बैंक
- 74. दुर्ग-राजनांदगाव ग्रामीण बैंक
- 75. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 76. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
- 77. हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 78. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 79. हिमाचल ग्रामीण बैंक
- 80. हावड़ा ग्रामीण बैंक
- 81. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 82. जामनगर ग्रामीण बैंक
- 83. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 84. काकथिया ग्रामीण बैंक

- 42. Catholic Syrian Bank Ltd.
- 43. Federal Bank Ltd.
- 44. Hindustan Commercial Bank Ltd.
- 45. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
- 46. Karnataka Bank Ltd.
- 47. Karur Vysya Bank Ltd.
- 48. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
- 49. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
- 50. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
- 51. Lord Krishna Bank Ltd.
- 52. Miraj State Bank Ltd.
- 53. Nedungadi Bank Ltd.
- 54. Purbanchal Bank Ltd.
- 55. Ratnakar Bank Ltd.
- 56. Sangli Bank Ltd.
- 57. South Indian Bank Ltd.
- 58. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
- 59. Traders' Bank Ltd.
- 60. United Industrial Bank Ltd.
- 61. United Western Bank Ltd.

Regional Rural Banks

- 62. Akola Gramin Bank
- 63. Aligarh Gramin Bank
- 64. Aravali Kshetriya Gramin Bank
- 65. Basti Gramin Bank
- 66. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
- 67. Bijapur Grameena Bank
- 68. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
- 69. Bolangir Anchalik Gramya Bank
- 70. Cachar Gramin Bank
- 71. Cauvery Grameena Bank
- 72. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
- 73. Cuttack Gramya Bank
- 74. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank
- 75. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
- 76. Gurgaon Gramin Bank
- 77. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
- 78. Harvana Kshetriya Gramin Bank
- 79. Himachal Gramin Bank
- 80. Howrah Gramin Bank
- 81. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
- 82. Jamnagar Gramin Bank
- 83. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- 84. Kakathiya Grameena Bank

- 85. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
- 86. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 87. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
- 88. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 89. लखिमी गांवलिया बैंक
- 90. मणिपुर रूरल बैंक
- 91. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
- 92. मयुराक्षी ग्रामीण बैंक
- 93. मेवाड आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 94. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 95. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 96. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
- 97. नालंदा ग्रामीण बैंक
- 98. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
- 99. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 100. पंचमहल ग्रामीण बैंक
- 101. पंड्यन ग्रामीण वैंक
- 102. प्राग्ज्योतिष गांवलियां बैंक
- 103. पुरी ग्राम्य बैंक
- 104. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 105. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 106. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
- 107. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
- 108. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रःमीण बैंक
- 109. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
- 110. सरयू ग्रामीण बैंक
- 111. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
- 112. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक
- 113. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 114. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
- 115. श्री सरस्वती ग्रामीण वैंक
- 116. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 117. थार आंचलिक ग्रामीण वैंक
- 118. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
- 119. उत बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

- 120. आदिलाबाद जिला केंद्र सहकारी बैंक लि.
- 121. भोंगीर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- 122. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- 123. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि., नेल्लूर
- 124. को-ऑपरेंटिव सेंट्रल बैंक लि., विजयनगर

- 85. Kalpatharu Grameena Bank
- 86. Kosi Kshetriya Gramin Bank
- 87. Koraput Panchabati Gramya Bank
- 88. Kshetriya Gramin Bank
- 89. Lakhimi Gaonlia Bank
- 90. Manipur Rural Bank
- 91. Marathwada Gramin Bank
- 92. Mayurakshi Gramin Bank
- 93. Mewar Anchalik Gramin Bank
- 94. Mithila Kshetriya Gramin Bank
- 95. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
- 96. Nagarjuna Grameena Bank
- 97. Nalanda Gramin Bank
- 98. North Malabar Grameena Bank
- 99. Palamau Kshetriya Gramin Bank
- 100. Panchmahal Gramin Bank
- 101. Pandyan Grama Bank
- 102. Pragjyotish Gaonlia Bank
- 103. Puri Gramya Bank
- 104 Ranchi Kshetriya Gramin Bank
- 105. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
- 106. Rayalaseema Grameena Bank
- 107. Rushikulya Gramya Bank
- 108. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
- 109. Sangameshwara Grameena Bank
- 110. Saryu Gramin Bank
- 111. Shri Venkateswara Grameena Bank
- 112. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
- 113. Siwan Kshetriya Gramin Bank
- 114. Sree Anantha Grameena Bank
- 115. Sri Saraswathi Grameena Bank
- 116. Surguja Kshetriya Gramin Bank
- 117. Thar Anchalik Gramin Bank
- 118. Tungabhadra Gramin Bank
- 119. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank

Co-operative Banks

Andhra Pradesh

- 120. Adilabad Jilla Kendra Sahakari Bank Ltd.
- 121. Bhongir Co-operative Central Bank Ltd.
- 122. Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd.
- 123. Co-operative Central Bank Ltd., Nellore
- 124. Co-operative Central Bank Ltd. Vizianagaram

- 125. खम्मम डिस्ट्क्ट को-ऑपरेटिव सेंटल बैंक लि.
- 126. कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेंटिव सेंट्रल बैंक लि.

गुजरात

- 127. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 128. खेड़ा डिस्ट्क्ट सेंट्ल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 129. पंचमहल डिस्ट्क्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

- 130. जम्मू सेंट्ल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 131. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

132. कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

133. मलाबार को-ऑपरेटिव सेंट्ल बैंक लि.

मध्य प्रदेश

- 134. बस्तर सेंट्ल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 135. विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव सेंट्रस बैंक लि.
- 136. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- 137. मंडला डिस्ट्क्ट को-ऑपरेटिव सेंट्ल बैंक लि.
- 138. रायगढ़ को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- 139. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- 140. शुजालपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

- 141. अहमदनगर डिस्ट्क्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 142. औरंगाबाद डिस्ट्क्ट सेंट्ल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

- Khammam District Co-operative Central Bank Ltd.
- Kurnool District Co-operative Central Bank Ltd.

Gujarat

- 127. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
- 128. Kaira District Central Co-operative Bank Ltd.
- 129. Panchmahals District Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

- 130. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.
- Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

132. Karnataka District Central Co-operative Bank Ltd.

Kerala

133. Malabar Co-operative Central Bank Ltd.

Madhya Pradesh

- 134. Bastar Central Co-operative Bank Ltd.
- Bishnudatta Co-operative Central Bank Ltd.
- Gwalior District Co-operative Central Bank Ltd.
- 137. Mandla District Co-operative Central Bank Ltd.
- 138. Raigarh Co-operative Central Bank Ltd.
- 139. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.
- 140. Shujalpur Central Co-operative Bank Ltd.

Maharashtra

- Ahmednagar District Central Co-operative Bank Ltd.
- Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.

अनुबंध VI (समाप्त) ANNEXURE - VI (Concld.)

143. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

- 143. बुलाढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- पुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 146. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 147. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 148. रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 149. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 150. यवत्नाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

उड़ीसा

151. सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

राजस्थान

- 152. भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 153. चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

तमिलनाडु

154. तिरुनेलवेलि सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

155. रुड़की को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

- Bhir District Central Co-operative Bank Ltd.
- 144. Buldana District Central Co-operative Bank Ltd.
- 145. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.
- 146. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.
- 147. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
- Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.
- Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.
- Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.

Orissa

 Sambalpur District Co-operative Central Bank Ltd.

Rajasthan

- 152. Bharatpur Central Co-operative Bank Ltd.
- 153. Chittorgarh Kendriya Sahakari Bank Ltd.

Tamil Nadu

154. Tirunelveli Central Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh

155. Roorkee Co-operative Bank Ltd.

अनुबंध- VII ANNEXURE – VII

निगम की गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण - पृष्ठ 66, 67

SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR – Pages 66, 67

क्रम. सं. Sr. No.	ऋणकर्ताओं की श्रेणी Category of borrowers	31 दिसंबर 1982 तक प्राप्त दावों की कुल संख्या Total claims received upto 31st December, 1982			
		संख्या Number	য়িश Amount		
(1)	(2)	(3)	(4)		
I.	कृषक और काश्तकार Farmers & Agriculturists	2,01,801	45.28		
П.	परिवहन चालक Transport Operators	26,465	17.13		
III.	फुटकर व्यापारी Retail Traders	89,758	11.36		
IV. V.	व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति Professional and self-employed persons कारोबारी उद्यम	, 72,796	5.28		
VI.	Business Enterprises विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	15,694	2.64		
	Residual category of borrowers under the DRI Scheme	16,663	0.88		
VIL	उपभोग आवश्यकताओं और मकान या आवास खरीदने, बनवाने के लिए सुविधाएं Credit facilities for consumption neeeds and for purchase or construction of house or tenement	73	0.05		
	जोड़ Total:	4,23,250	82.62		

[@] राशि नगण्य है | The figure is negligible 1983 में प्राप्त कुल दावों में से नये फार्म में प्राप्त दावों को कोष्ठकों में दिखाया गया है। Of the total claims received in 1983, those lodged in new format are indicated in brackets.

1983 के दौरान प्राप्त दावे Claims received during 1983

जोड़ Total

			The state of the s		
संख्या Number	राशि Amount	कालम 6 में कुल राशि का प्रतिशत % to total amount in column (6)	-संख्या Number (3+5)	ग्रशि Amount (4+6)	कालम 9 में कुल राशि का प्रतिशत % to total amount in column (9)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78,323 (9,500)	15.53 (2.56)	55.78	2,80,124 (9,500)	60.81 (2.56)	55.05
6,972 (788)	4.50 (0.99)	16.16	33,437 (788)	21.63 (0.99)	19.58
26,087 (3,393)	4.40 (0.78)	15.80	1,15,845 (3,393)	· 15.76 (0.78)	14.27
17,612 (1,389)	1.79 (0.27)	6.43	90,408 (1,389)	7.07 (0.27)	6.40
5,521 (732)	0.98 (0.16)	3.52	21,215 (732)	3.62 (0.16)	
12,829 (1,339)	0.63 (0.07)	2.26	29,492 (1,339)	1.51 (0.07)	
130 (12)	0.01 (-@)	0.05	203 (12)	1 0)
1,47,474 (17,153)	27.84 (4.83)	100.00	5,70,724 (17,153		

अनुबंध VIII ANNEXURE - VIII

निगम की गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं केअंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR (राशि करोड़ रुपयों में)

(Amount in crores of rupees)

अवधि Period	प्राप्त Claims re	ा दावे eceived	निपटाये ग Claims disp				पटाये गये दाव e claims d		of	
				अदा किये गये दावे वापस लिये गये दावे Claims paid Claims withdrawn			अस्वीकृत दावे Claims rejected			
	संख्या No.	यशि Amount	संख्या No.	यशि Amount	संख्या No.A	यशि Amount	संख्या No.A	राशि Amount	संख्या No.A	राशि Amoun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1976 के अंत तक						72,6				
Upto the end of 1976 1977 के दौरान	6,806	2.28	2,529	0.70	2,137	0.58	230	0.06	162	0.07
During 1977 1978 के दौरान	14,832	4.42	9,881	2.60	9,469	2.36	193	0.07	219	0.16
During 1978 1979 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24
During 1979 1980 के दौरान	36,\$35	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85
During 1980 1981 के दौरान	83,557	.14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62
During 1981 1982 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77
During 1982 उप-जोड़(क)	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43
Sub-total (A):	4,23,250	82.62	2,79,796	46.43	2,69,021	39.73	4,049	1.56	6,726	5.14
1983 के दौरान During 1983						75a				
i) पुराने फार्म में Old Format आगे ले जाया गया	1,30,321	23.01	76,589	14.26	73,890	12.79	1,643	0.52	1,056	0.95
Carried over	1,30,321	23.01	76,589	14.26	73,890	12.79	1,643	0.52	1,056	0.95

अनुबंध VIII (समाप्त) ANNEXURE - VIII (Concld.)

अवधि Period	प्राप्त Claims re	। दावे eceived	निपटाये ग Claims disp		निपटाये गये दावों में से of Of the claims disposed of						
					अदा किये ग Claims		वापस लिये Claims wi		अस्त्रीकृ Claims n	त दावे zjected	
	संख्या No.	राशि _ Amount	संख्या No.	राशि Amount	संग्र्या No.1	য়িগ Amoun	संख्या t No. A	राशि Amount	संग्ड्या No. <i>1</i>	राशि Amount-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
आगे लाया गया Brought Forward	1,30,321	23.01	76,589	14.26	73,890	12.79	1,643	0.52-	1,056	0.95	
ii) नये रूप में परिवर्तित पुराने फार्म में दावे		A A I								X.	
Claims on old forma	its	Walter Walter									
transcribed into new format ii) नये फार्म एनआई-11 में	-		45,624	4.56	44,018	4.33	_	-	1,606	0.23	
New Format NI-11	17,153	4.83	5,501	0.82	5,294	0.82	-	_	207		
डप- जोड़ (ख) Sub-total (B) :	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	2 17.9	4 1,643	0.52	2,869	1.18	
कुल जोड़ GRAND TOTAL:	5,70,724	110.46	4,07,510	66.07	3,92,223	57.6	7 5,692	2.08	9,595	6.32	

[•] अंक नगण्य है। Figure negligible

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (जो अब रद्द हो सुकी है) के संबंध में चूक करनेवाले खातों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण-31 मार्च 1981† की स्थिति

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF ACCOUNTS IN DEFAULT IN RESPECT OF THE GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED) AS ON 31ST MARCH, 1981†

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in crores of rupees)

	बंबई कलकत्ता मद्रास BOMBAY CALCUTTA MADRAS			नयी दिल NEW DI	जोड़ TOTA	AL .				
-	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No. 1	गशि Amount	संख्या No. A	য়া Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
स्टेट बैंक समूह State Bank Group	5,106	12.09	3,137	7.38	10,744	10.91	6,496	11.61	25,483	41.99
राष्ट्रीयकृत बैंक Nationalised Banks अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6,167	37.75	5,965	19.49	11,659	29.73	4,484	26.14	28,275	113.11
Scheduled Commercial Banks राज्य सहकारी बैंक	191	1.40	14	0.37	402	1.94	253	2.01	860	5.72
State Co-operative Banks	77	0.35	,		-	-	<u>-</u>	-	. 77	0.35
सहकारी बैंक Co-operative Banks	12,584	3.04	- -	-	1	(0.001)*	72	0.08	12,657	3.12
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks	240	0.01	1	(0.001)*	419	0.02	-	-	- 660	0.03
राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporations	404	3.79	27	0.54	414	7.17	415	8.04	1,260	19.54
जोड़ Total:	24,769	58.43	9,144	27.78	23,639	49.77	11,720	47.88	69,272	183.86

† (31 दिसंबर 1983 तक प्राप्त सूचना के आधार पर)

(Information received upto 31st December, 1983)

टिप्पणीः उपर्युक्त जानकारी अपूर्ण है क्योंकि ऋण संस्थाओं की 7600 से अधिक शाखाओं द्वारा आंकडे अभी प्रस्तुत किये जाने हैं। N.B. The information, however, is incomplete as about 7,600 branches of credit institutions have yet to report the figures.

कोष्ठकों में दिये गये आंकडे एक लाख रुपये से कम हैं और उन्हें जोड में शामिल नहीं किया गया है। Figures mentioned in bracket are less than Rs.1 lakh and not taken into account while taking total.

अनुबंध X

निर्धारित करार का निष्पादन करके लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में शामिल होनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची-31 दिसंबर 1983 की स्थिति

स्टेट बैंक समूह

- 1. भारतीय स्टेट बैंक
- 2. स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर
- 3. स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद
- 4. स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर
- 5. स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर
- स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला
- 7. स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र
- स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

- 1 इलाहाबाद बैंक
- 2 आंध्र बैंक
- 3. बैंक ऑफ़ बड़ौदा
- 4. बैंक ऑफ़ इंडिया
- 5. बैंक ऑफ़ महाराष्ट्
- 6. केनरा बैंक
- 7. सेंट्ल बैंक ऑफ़ इंडिया
- 8. कार्पेरिशन बैंक
- 9. देना बैंक
- 10. इंडियन बैंक
- 11. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
- 12. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
- 13. ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कामर्स
- 14. पंजाब नेशनल बैंक
- 15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
- 16. सिंडीकेट बैंक
- 17. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- 18. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
- 19. यूनाइटेड कमिशयल बैंक
- 20. विजया बैंक

विदेशी बैंक

- 1. एल्जिमिन बैंक नीदरलैंड एन.वी.
- 2. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन

ANNEXURE - X

List of Credit Institutions Participating in the Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 as on 31st December, 1983

State Bank Group

- 1. State Bank of India
- 2. State Bank of Bikaner and Jaipur
- State Bank of Hyderabad
- 4. State Bank of Indore
- 5. State Bank of Mysore
- 6. State Bank of Patiala
- 7. State Bank of Saurashtra
- 8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

- 1. Allahabad Bank
- 2. Andhra Bank
- 3. Bank of Baroda
- 4. Bank of India
- 5. Bank of Maharashtra
- 6. Canara Bank
- 7. Central Bank of India
- 8. Corporation Bank
- 9. Dena Bank
- 10. Indian Bank
- 11. Indian Overseas Bank
- 12. New Bank of India
- 13. Oriental Bank of Commerce
- 14. Puniab National Bank
- 15. Punjab & Sind Bank
- 16. Syndicate Bank
- 17. Union Bank of India
- 18. United Bank of India
- 19. United Commercial Bank
- 20. Vijaya Bank

Foreign Banks

- 1. Algemene Bank-Nederland N.V.
- 2. American Express International Banking Corporation

- बैंक ऑफ़ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्ज एसोसिएशन
- 4. बैंक ऑफ़ टोक्यो लि.
- 5. बैंक नेशनल दि पेरिस
- 6. ब्रिटिश बैंक ऑफ़ दि मिडिल ईस्ट
- 7. सिटी बैंक एन.ए.
- 8. एमीरेट्स कमर्शियल बैंक लि.
- 9. प्रिण्डलेज़ बैंक लि.
- 10. हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन
- 11. मित्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

- 1. बैंक ऑफ़ कोचीन लि.
- 2. बैंक ऑफ़ मदुरा लि.
- 3. बैंक ऑफ़ राजस्थान लि.
- 4. बैंक ऑफ़ तमिलनाड लि.
- बैंक ऑफ़ तंजावुर लि.
- 6. बनारस स्टेट बैंक लि.
- 7. बरेली कापेरिशन बैंक लि.
- 8. भारत ओवरसीज बैंक लि.
- 9. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
- 10. धनलक्ष्मी बैंक लि.
- 11. फेडरल बैंक लि.
- 12. हिन्दुस्तान कमिशयल बैंक लि.
- 13. जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.
- 14. कर्नाटक बैंक लि.
- 15. करूर वैश्य बैंक लि.
- 16. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लि.
- 17. लक्ष्मी कमिशयल बैंक लि.
- 18. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
- 19. लॉर्ड कृष्ण-बैंक लि.
- 20. नैनीताल बैंक लि.
- 21. नेदुंगाडि बैंक लि.
- 22. पेरूर सेंट्रल बैंक लि.
- 23. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 24. पूर्वांचल वैंक लि.
- 25. स्ताकर बैंक लि.
- 26. सांगली बैंक लि.
- . 27. साउथ इंडियन बैंक लि.
- 28. तिमलनाड मर्केन्टाइल बैंक लि.
- 29. ट्रेडर्स बैंक लि.
- 30. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
- 31. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
- 32. वैश्य बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

- Bank of America National Trust & Savings Association
- 4. Bank of Tokyo Ltd.
- 5. Banque Nationale De Paris
- 6. British Bank of the Middle East
- 7. Citibank N.A.
- 8. Emirates Commercial Bank Ltd.
- 9. Grindlays Bank Ltd.
- Hongkong & Shanghai Banking Corporation
- 11. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

- 1. Bank of Cochin Ltd.
- 2. Bank of Madura Ltd.
- 3. Bank of Rajasthan Ltd.
- 4. Bank of Tamilnad Ltd.
- 5. Bank of Thanjavur Ltd.
- 6. Benares State Bank Ltd.
- 7. Bareilly Corporation Bank Ltd.
- 8. Bharat Overseas Bank Ltd.
- 9. Catholic Syrian Bank Ltd.
- Dhanalakshmi Bank Ltd.
- 11. Federal Bank Ltd.
- 12. Hindustan Commercial Bank Ltd.
- 13. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
- 14. Karnataka Bank Ltd.
- 15. Karur Vysya Bank Ltd.
- 16. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
- 17. Lakshmi Commercial Bank Ltd.
- 18. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
- 19. Lord Krishna Bank Ltd.
- 20. Nainital Bank Ltd.
- 21. Nedungadi Bank Ltd.
- 22. Parur Central Bank Ltd.
- 23. Punjab Co-op. Bank Ltd.
- 24. Purbanchal Bank Ltd.
- 25. Ratnakar Bank Ltd.
- 26. Sangli Bank Ltd.
- 27. South Indian Bank Ltd.
- 28. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
- 29. Traders Bank Ltd.
- 30. United Industrial Bank Ltd.
- 31. United Western Bank Ltd.
- 32. Vysya Bank Ltd.

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

काशीनाथ सेठ बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- 1 अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
- 2. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 3 अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक
- वैतरणी ग्राम्य बैंक
- 6. बालासोर ग्राम्य बैंक
- 7. बाराबंकी ग्रामीण वैंक
- बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 9. भोजपुर रोहतास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 10. बीजापुर ग्रामीण बैंक
- 11. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 12. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
- 13. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 14. कावेरी ग्रामीण बैंक
- 15. चैतन्य ग्रामीण बैंक
- 16. छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 17. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
- 18. कटक ग्राम्य बैंक
- द मोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 20. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 21. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 22. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
- 23. दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक
- 24. इलाकाई देहाती बैंक
- 25. एटा ग्रामीण बैंक
- 26. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 27. फ्रेंखाबाद ग्रामीण बैंक
- 28. गौड़ ग्रामीण बैंक
- 29. गोमती ग्रामीण बैंक
- 30. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 31. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
- 32. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 33. हिमाचल ग्रामीण बैंक
- 34. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 35. जामनगर ग्रामीण बैंक
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 37. काकथिया ग्रामीण बैंक
- 38. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
- 39. कल्पतरु ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - X (Contd.)

Non-Scheduled Commercial Bank

1. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

Regional Rural Banks

- 1. Aligarh Gramin Bank
- 2. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank
- 3. Aravali Kshetriya Gramin Bank
- 4. Aurangabad Jalna Gramin Bank
- 5. Baitarani Gramya Bank
- 6. Balasore Gramya Bank
- 7. Barabanki Gramin Bank
- 8. Bastar Kshetriya Gramin Bank
- 9. Bhojpur Rohtas Kshetriya Gramin Bank
- 10. Bijapur Grameena Bank
- 11. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
- 12. Bolangir Anchalik Gramya Bank
- 13. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
- 14. Cauvery Grameena Bank
- 15. Chaitanya Grameena Bank
- 16. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank
- 17. Chitradurga Gramin Bank
- 18. Cuttack Gramya Bank
- Damoh-Panna Sagar Kshetriya Gramin Bank
- 20. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
- 21. Dewas Shajapur Kshetriya Gramin Bank
- 22. Dhenkanal Gramya Bank
- 23. Durg Rajnandgaon Gramin Bank
- 24. Ellaquai Dehati Bank
- 25. Etah Gramin Bank
- 26. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
- 27. Farrukhabad Gramin Bank
- 28. Gaur Gramin Bank
- 29. Gomati Gramin Bank
- 30. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
- 31. Gurgaon Gramin Bank
- 32. Haryana Kshetriya Gramin Bank
- 33. Himachal Gramin Bank
- 34. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
- 35. Jamnagar Gramin Bank
- 36. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
- 37. Kakathiya Grameena Bank
- 38. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
- 39. Kalpatharu Grameena Bank

- 40. कामराज रूरल बैंक
- 41. काशी ग्रामीण बैंक
- 42. किसान ग्रामीण वैंक
- 43. कोलार ग्रामीण बैंक
- 44. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
- 45. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 46. कष्ण ग्रामीण बैंक
- 47. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद
- 48. लखिमी गांवलिया बैंक
- 49. मगध ग्रामीण बैंक
- 50. म लप्रभा ग्रामीण बैंक
- 51. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
- 52. मणिपुर रूरल बैंक
- 53. मंजीरा ग्रामीण बैंक
- 54. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
- 55. मारवाड ग्रामीण बैंक
- 56. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 57. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
- 58. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 59. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 60. नादिया ग्रामीण बैंक
- 61. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
- 62. नालंदा ग्रामीण बैंक
- 63. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 64. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
- 65. पलामऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 66. पंड्यन ग्राम्य बैंक
- 67. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक
- 68. प्रथमा बैंक
- 67. पुरी ग्राम्य बैंक
- 70. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 71. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 72. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 73. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
- 74. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक
- 75. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
- 76. सागर ग्रामीण बैंक
- 77. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 78. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
- 79. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
- 80. सरयू ग्रामीण बैंक
- 81. शारदा ग्रामीण वैंक
- 82. शेखावटी ग्रामीण वैंक
- 83. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 84. शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - X (Contd.)

- 40. Kamraz Rural Bank
- 41. Kashi Gramin Bank
- 42. Kisan Gramin Bank
- 43. Kolar Gramin Bank
- 44. Koraput Panchabati Gramya Bank
- 45. Kosi Kshetriya Gramin Bank
- 46. Krishna Grameena Bank
- 47. Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad
- 48. Lakhimi Gaonlia Bank
- 49. Magadh Grameena Bank
- 50. Malaprabha Grameena Bank
- 51. Mallabhum Gramin Bank
- 52. Manipur Rural Bank
- 53. Manjira Grameena Bank
- 54. Marathwada Gramin Bank
- 55. Marwar Gramin Bank
- 56. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
- 57. Mayurakshi Gramin Bank
- 58. Mithila Kshetriya Gramin Bank
- 59. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
- 60. Nadia Gramin Bank
- 61. Nagarjuna Grameena Bank
- 62. Nalanda Gramin Bank
- 63. Nimar Kshetriva Gramin Bank
- 64. North Malabar Gramin Bank
- 65. Palamau Kshetriya Gramin Bank
- 66. Pandyan Grama Bank
- 67. Pragjyotish Gaonlia Bank
- 68. Prathama Bank
- 69. Puri Gramya Bank
- 70. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
- 71. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
- 72. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
- 73. Rayalaseema Grameena Bank
- 74. Rewa Sidhi Gramin Bank
- 75. Rushikulya Gramya Bank
- 76. Sagar Gramin Bank
- 77. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
- 78. Sangameshwara Grameena Bank
- 79. Santhal Parganas Gramin Bank
- 80. Saryu Gramin Bank
- 81. Sharda Gramin Bank
- 82. Shekhavati Gramin Bank83. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
- 84. Shivpuri Guna Kshetriya Gramin Bank

- 85. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 86. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
- 87. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
- 88. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
- 89. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण वैंक
- 90. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
- 91. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 92. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- 93. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
- 94. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
- 95. तुलसी ग्रामीण बैंक
- 96. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
- 97. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

राज्य वित्तीय निगम

- 1. असम फाइनेन्शियल कार्पेरिशन
- 2. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 3. दिल्ली फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 4. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 5. हरियाणा फाइनेन्शियल कार्पेरिशन
- 6. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 7. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 8. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कार्पेरिशन
- 9. केरल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 10. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 11. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 12. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कार्पेरिशन
- 13. पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
- 14. राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पेरेशन
- 15. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट कार्पेरिशन लि.
- 16. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएं

- अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शियल कार्पोरेशन लि.
- इकॉनॉमिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ गोवा, दमण एण्ड दीव
- 3. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
- 4. नागालैंड इंडस्टियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

- 85. Siwan Kshetriya Gramin Bank
- 86. South Malabar Gramin Bank
- 87. Sravasthi Gramin Bank
- 88. Sri Saraswathi Grameena Bank
- 89. Sri Venkateswara Grameena Bank
- 90. Sri Visakha Grameena Bank
- 91. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
- 92. Surguja Kshetriya Gramin Bank
- 93. Thar Anchalik Gramin Bank
- 94. Tripura Gramin Bank
- 95. Tulsi Gramin Bank
- 96. Tungabhadra Gramin Bank
- 97. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank

State Financial Corporations

- 1. Assam Financial Corporation
- 2. Bihar State Financial Corporation
- 3. Delhi Financial Corporation
- 4. Gujarat State Financial Corporation
- 5. Haryana Financial Corporation
- 6. Himachal Pradesh Financial Corporation
- Jammu & Kashmir State Financial Corporation
- 8. Karnataka State Financial Corporation
- 9. Kerala Financial Corporation
- 10. Madhya Pradesh Financial Corporation
- 11. Maharashtra State Financial Corporation
- 12. Orissa State Financial Corporation
- 13. Punjab Financial Corporation
- 14. Rajasthan Financial Corporation
- 15. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
- 16. West Bengal Financial Corporation

Other Term Lending Institutions

- Arunachal Pradesh Industrial Development & Financial Corporation Ltd.
- Economic Development Corporation of Goa,
 Daman & Diu
- Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
- 4. Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.

- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल, प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
- 6. सिक्किम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कापोरेशन लि.

सहकारी बैंक राज्य सहकारी बैंक

- 1. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
- 3. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. विजयवाडा को-ऑपरेटिव सेंट्ल बैंक लि.

बिहार

1. धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

गुजरात

- 1. अहमदाबाद डिस्टिक्ट को-ऑवरेटिव बैंक लि.
- गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 4. कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

हरियाणा

1. ब्रायने सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

- 1. बेलगांव इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- कनारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

- Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd.
- Sikkim Industrial Development & Investment Corporation Ltd.

Co-operative Banks State Co-operative Banks

- 1. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
- Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit.
- 3. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

Central Co-operative Banks Andhra Pradesh

1. Viziavada Co-operative Central Bank Ltd.

Bihar

1. Dhanbad Central Co-operative Bank Ltd.

Gujarat

- 1. Ahmedabad District Co-operative Bank Ltd.
- 2. Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd.
- 3. Jamnagar District Co-operative Bank Ltd.
- 4. Kutch District Central Co-operative Bank Ltd.
- Sabarkantha District Central Co-operative Bank Ltd.

Haryana

1. Brayne Central Co-operative Bank Ltd.

Himachal Pradesh

1. Kangra Central Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

- Belgaum Industrial Co-operative Bank Ltd.
- 2. Kanara District Central Co-operative Bank Ltd.

केरल

1. कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिं.

मध्य प्रदेश .

- भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
- 3. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाडा
- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर
- 5. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा
- 6. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रीवा
- 7. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
- उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्

- 1. अहमदनगर डिस्ट्क्ट सेंट्ल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. अमरावती डिस्टिक्ट सेंटल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 4. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- बीड डिस्ट्क्ट सेंट्ल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 6. भंडारा डिस्ट्क्ट सेंट्ल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 7. बाम्बे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 8. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 9. चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 10. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 11. जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 12. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 13. नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 14. नांदेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

Kerala

1. Kottayam District Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

- Bhopal Co-operative Central Bank Ltd.
- Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur
- Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara
- Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Jabalpur
- Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Khandwa
- 6. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Rewa
- 7. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.
- 8. Ujjain District Co-operative Bank Ltd.

Maharashtra

- Ahmednagar District Central Co-operative Bank Ltd.
- Akola District Central Co-operative Bank Ltd.
- Amravati District Central Co-operative Bank Ltd.
- Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.
- 5. Beed District Central Co-operative Bank Ltd.
- Bhandara District Central Co-operative Bank Ltd.
- Bombay District Central Co-operative Bank Ltd.
- 8. Buldana District Central Co-operative Bank Ltd.
- Chandrapur District Central Co-operative Bank Ltd.
- 10. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.
- 11. Jalgaon District Central Co-operative Bank Ltd.
- 12. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.
- 13. Nagpur District Central Co-operative Bank
- Nanded District Central Co-operative Bank Ltd.

- नासिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 17. परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बेंक लि.
- 18. पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित
- 19. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 20. रत्नागिरि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 21. सांगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 22. सातारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 23. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 24. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 25. ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 26. वर्घा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

- 1. कोयम्बतूर सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 2. रामनाथप्रम डिस्ट्क्ट सेंट्ल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 3. सालेम सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान सेंट्रल को-ऑपरेंटिव बैंक लि. .

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक आंध्र प्रदेश

- भीमावरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 2. गुडिवाड़ा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

गुजरात

1. अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

- Nasik District Central Co-operative Bank Ltd.
- Osmanabad District Central Co-operative Bank Ltd.
- 17. Parbhani District Central Co-operative Bank Ltd.
- Pune Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit
- Raigad District Central Co-operative Bank Ltd.
- 20. Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.
- 21. Sangli District Central Co-operative Bank
- 22. Satara District Central Co-operative Bank Ltd.
- Sholapur District Central Co-operative Bank Ltd.
- 24. Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.
- 25. Thane District Central Co-operative Bank Ltd.
- 26. Wardha District Central Co-operative Bank Ltd.
- 27. Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

- 1. Coimbatore Central Co-operative Bank Ltd.
- Ramnathpuram District Central Co-operative Bank Ltd.
- 3. Salem Central Co-operative Bank Ltd.

West Bengal

1. Burdwan Central Co-operative Bank Ltd.

Primary Urban Co-operative Banks Andhra Pradesh

- 1. Bhimavaram Co-operative Urban Bank Ltd.
- 2. Gudiwada Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat

1. Ahmedabad Urban Co-operative Bank Ltd.

- अहमदाबाद मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. आनंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 4. अन्योन्य सहकारी मंडली को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- बनासकांठा मर्केन्याइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 6. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
- 7. सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि., राज्कोट
- 8. को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लि.
- 9. दोहद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 10. जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
- 11. हिम्मतनगर नागरिक सहका री बैंक लि.
- 12. झालोड़ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 13. कालूपुर कर्माशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 14. करमसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 15. माधवपुरा मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 16. मानेकचौक को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 17. न डियाड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 18. नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 19. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 20. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
- 21. पाटण नागरिक सहका री बैंक लि.
- 22. राजकोट नागरिक सहका री बैंक लि.
- 23. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 24. सरदार भीलवाडा पारदी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 25. सरदारगंज मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,आणंद
- 26. सरदारगंज मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.,पाटण
- 27. सर्वोदय कमिशयल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 28. श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 29. सुरेन्द्रनगर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 30. टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 31. ऊंझा नागरिक सहकारी बैंक लि.
- 32. यूनाइटेड मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 33. विजय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 34. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.
- 35. प्रोग्रेसिव मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 36. उमा को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

- Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 3. Anand Peoples Co-operative Bank Ltd.
- 4. Anyonya Sahayakari Mandli Co-operative Bank Ltd.
- Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- Bavala Nagrik Sahakari Bank Ltd.
- 7. Citizen Co-operative Bank Ltd., Rajkot
- 8. Co-operative Bank of Ahmedabad Ltd.
- 9. Dohad Urban Co-operative Bank Ltd.
- General Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad
- 11. Himatnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.
- 12. Jhalod Urban Co-operative Bank Ltd.
- 13. Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd.
- Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd.
- Madhavpura Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 16. Maneckchowk Co-operative Bank Ltd.
- 17. Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 18. Natpur Co-operative Bank Ltd.
- 19. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
- 20. Nutan Nagrik Sahakari Bank Ltd.
- 21. Patan Nagrik Sahakari Bank Ltd.
- 22. Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd.
- 23. Sahyog Co-operative Bank Ltd.
- Sardar Bhiladwala Pardi People's Co-operative Bank Ltd.
- Sardargunj Mercantile Co-operative Bank Ltd., Anand
- 26. Sardargunj Mercantile Co-operative Bank Ltd., Patan
- 27. Sarvodaya Commercial Co-operative Bank Ltd.
- 28. Shree Lakshmi Co-operative Bank Ltd.
- Surendranagar Peoples Co-operative Bank Ltd.
- 30. Textile Traders' Co-operative Bank Ltd.
- 31. Unjha Nagarik Sahakari Bank Ltd.
- 32. United Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 33. Vijay Co-operative Bank Ltd.
- 34. Visnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.
- 35. Progressive Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 36. Uma Co-operative Bank Ltd.

37. श्री महालक्ष्मी मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

- 1. बीजापुर श्री सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. होनावर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 4. कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- मैसूर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 6. श्री कन्यका परमेश्वरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

- 1. कासरकोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
- 2. पालघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. पेरिन्थलमन्ना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

मध्य प्रदेश

- 1. भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
- 2. सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., दमोह
- 3. इंदौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

- अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. अमलनेर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. चोपड़ा पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- डेक्कन मर्चेंट्स को-ऑपरेंटिव बैंक लि.
- 5. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
- इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि.
- 7. जालना पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 8. जनता सहकारी बैंक लि., नंदूरबार
- 9. जनता सहकारी बैंक लि., पुणे
- 10. जनता सहकारी बैंक लि., सांगली
- 11. कराड़ जनता सहकारी बैंक लि.
- 12. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 13. मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 14. मुर्घराजेन्द्र सहकारी बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

37. Shree Mahalakshmi Mercantile Co-operative Bank.Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Citizens' Co-operative Bank Ltd., Jammu

Karnataka

- Bijapur Shri Siddheshwar Urban Co-operative Bank Ltd.
- 2. City Co-operative Bank Ltd.
- 3. Honavar Urban Co-operative Bank Ltd.
- 4. Karnataka Industrial Co-operative Bank Ltd.
- 5. Mysore Co-operative Bank Ltd.
- Sri Kanyaka Parameswari Co-operative Bank Ltd.

Kerala

- 1. Kasargod Co-operative Town Bank Ltd.
- 2. Palghat Co-operative Urban Bank Ltd.
- 3. Perintalmanna Co-operative Urban Bank Ltd.

Madhya Pradesh

- 1. Bhilai Nagrik Sahakari Bank Maryadit
- 2. Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh
- 3. Indore Cloth Market Co-operative Bank Ltd.

Maharashtra

- 1. Abhyudaya Co-operative Bank Ltd.
- 2. Amalner Co-operative Urban Bank Ltd.
- Chopada Peoples' Urban Co-operative Bank Ltd.
- 4. Deccan Merchant's Co-operative Bank Ltd.
- 5. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
- 6. Indira Mahila Sahakari Bank Ltd.
- 7. Jalna Peoples' Co-operative Bank Ltd.
- 8. Janata Sahakari Bank Ltd., Nandurbar
- 9. Janata Sahakari Bank Ltd., Pune
- 10. Janata Sahakari Bank Ltd., Sangli
- 11. Karad Janata Sahakari Bank Ltd.
- 12. Mandvi Co-operative Bank Ltd.
- 13. Memon Co-operative Bank Ltd.
- 14. Murgharajendra Sahakari Bank Ltd.

- 15. मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 16. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 17. नासिक मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- नार्थ केनरा गौड़-सारस्वत ब्राह्मण को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 19. पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 20. प्रवर सहकारी बैंक लि.
- 21. सह्याद्रि सहकारी बैंक लि.
- 22. सांगली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 23. सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 24. शामराव विटठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 25. सोलापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 26. शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 27. शोलापुर जनता सहकारी बैंक लि.
- 28. स्व स्तिक जनता सहकारी बैंक लि.
- 29. ठाणे जनता सहकारी बैंक लि.
- 30. वैद्यनाथं को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 31. विठा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मणिपुर

1. इम्फाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिं. 🕖

पांडिचेरी

पांडिचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

तमिलनाडु

- 1. अम्मापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 2. अत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 3. भूपतिराजू को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
- 4. बिग कांचीप्रम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
- 5. चिंताद्रिपेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 6. कोयम्बत्र सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 7. कुन्नूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 8. धरमपुरी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
- 9. कृष्णगिरि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 10. मन्नार्गुडी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 11. मेत्तुपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 12. नामक्कल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 13: नजरेथ को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 14. पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 15. परमकुडी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- पोल्लाच्चि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

ANNEXURE - X (Contd.)

- 15. Muslim Co-operative Bank Ltd.
- 16. Nagar Urban Co-operative Bank Ltd,
- 17. Nasik Merchants' Co-operative Bank Ltd.
- North Kanara Goud Saraswat Brahmin Co-operative Bank Ltd.
- 19. Pachora Peoples' Co-operative Bank Ltd..
- 20. Pravara Sahakari Bank Ltd.
- 21. Sahyadri Sahakari Bank Ltd.
- 22. Sangli Urban Co-operative Bank Ltd.
- 23. Saraswat Co-operative Bank Ltd.
- 24. Shamrao Vithal Co-operative, Bank Ltd.
- 25. Sholapur Merchants' Co-operative Bank Ltd.
- 26. Shirpur Merchant's Co-operative Bank Ltd.
- 27. Sholapur Janata Sahakari Bank Ltd.
- 28. Swastik Janata Sahakari Bank Ltd.
- 29. Thane Janata Sahakari Bank Ltd.
- 30. Vaidyanath Co-operative Urban Bank Ltd.
- 31. Vita Merchant's Co-operative Bank Ltd.

Manipur

1. Imphal Urban Co-operative Bank Ltd.

Pondicherry

1. Pondicherry Co-operative Urban Bank Ltd.

Tamil Nadu

- 1. Ammapet Urban Co-operative Bank Ltd.
- 2. Attur Town Co-operative Bank Ltd.
- 3. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd.
- Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd.
- 5. Chintadripet Co-operative Bank Ltd.
- 6. Coimbatore City Co-operative Bank Ltd.
- 7. Coonoor Co-operative Urban Bank Ltd.
- 8. Dharampuri Co-operative Town Bank Ltd.
- 9. Krishnagiri Urban Co-operative Bank Ltd.
- 10. Mannargudi Co-operative Bank Ltd.
- Mettupalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
- 12. Namakkal Co-operative Urban Bank Ltd.
- 13. Nazareth Co-operative Bank Ltd.
- 14. Palani Co-operative Urban Bank Ltd.
- 15. Paramkudi Co-operative Urban Bank Ltd.
- 16. Pollachi Co-operative Urban Bank Ltd.

अनुबंध X (समाप्त)

- 17. प्रासवल्कम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 18. रासीपुरम् को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
- 19. सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 20. सांकरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 21. शिवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 22. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 23. त्यागरायनगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 24. तिन्नेवेली जंक्शन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 25. तिरुप्पत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 26. तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 27. तिरुच्चिरापिंक सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 28. तिरुवन्नमलै को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
- 29. वनियम्बाडी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
- 30. विल्लुपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. भाटपाड़ा नईहाटी को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि

ANNEXURE - X (Concld.)

- 17. Purasawalkam Co-operative Bank Ltd.
- 18. Rasipuram Co-operative Town Bank Ltd.
- 19. Salem Urban Co-operative Bank Ltd.
- 20. Sankari Co-operative Urban Bank Ltd.
- 21. Shevapet Urban Co-operative Bank Ltd.
- 22. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
- 23. Thyagarayanagar Co-operative Bank Ltd.
- 24. Tinnevelly Junction Co-operative Bank Ltd.
- 25. Tirupattur Town Co-operative Bank Ltd.
- 26. Tiruppur Co-operative Urban Bank Ltd.
- 27. Tiruchirapalli City Co-operative Bank Ltd.
- 28. Tiruvannamalai Co-operative Urban Bank Ltd.
- 29. Vaniyambadi Town Co-operative Bank Ltd.
- 30. Villupuram Co-operative Urban Bank Ltd.

West Bengal

 Bhatpara Naihati Co-operative Credit Bank Ltd.

अनुबंध – XI

ANNEXURE - XI

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना और निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना; 1981 - 31 दिसंबर 1983 को विचाराधीन दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गिकरण

GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES AND CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981 – AMOUNT-WISE AND AGE-WISE CLASSIFICATION OF CLAIMS PENDING AS ON 31ST DECEMBER, 1983

अनुबंध ANNEXURE लघु उद्योग) गारंटी योजना;

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना और निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना; GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGE-WISE CLASSIFICATION OF CLAIMS PENDING

दावों की राशि Claims for amounts	1 - 1 y		1 से 2 1 to 2		2 से 3 वर्ष 2 to 3 years	
*	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount
1	2	3	4	5	6	7
1. सरकार की योजना (31 मार्च 1981 से ख्द्)			1 1001)			
Government's Scheme (Cancell	ed as on	31st Mar	ch,1981)	¥		×
1. 25,000 रुपये तक		0.50	500	017	1,893	0.14
Upto Rs.25,000/-	2,375	0.50	580	0.17	1,093	0.14
2. 25,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक Above Rs.25,000/- and upto Rs.1 lakh	469	2.41	365	1.98	251	1.53
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक				0.00	101	0.45
Above Rs.1 lakh and upto Rs.2 lakhs	179	2.53	141	2.00	171	2.45
. 4. 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक Above Rs.2 lakhs and upto Rs.5 lakhs	177	5.26	113	3.52	165	4.90
5. 5 लाख रुपये से अधिक			8	12	1	
Above Rs.5 lakhs	. 53	4.04	68	5.61	72	5.45
जोड़ Total:	3,253	14.74	1,267	13.28	2,552	14.47
2. निगम की योजना (1 अप्रैल 1981 से शुरू)						
Corporation's Scheme (introdu	ced fro	n 1st Apr	il, 1981)			
1. 25,000 रुपये तक			100 100 100			
Upto Rs.25,000/-	2,152	0.75	106	0.10	400	0.04
2. 25,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक						
Above Rs.25,000/- and upto Rs.1 lakh	742	3.63	107	0.58	5	0.02
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक						
Above Rs.1 lakh and upto Rs.2 lakhs	269	3.78	34	0.48	1	0.02
4. 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक			ii ii			
Above Rs.2 lakhs and upto Rs.5 lakhs	214	6.75	36	1.12	5	0.19
5. 5 लाख रुपये से अधिक		8	, ===		J	:51
Above Rs.5 lakhs	120	9.53	21	1.57	1	0.10
जोड़ Total:	3,497	24.44	304	3.85	412	0.37

-XI

1981-31 दिसंबर 1983 को विचाराधीन दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण

CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981 -- AMOUNT-WISE AND AS ON 31ST DECEMBER, 1983 (राशि करोड़ रुपयों में)

(Amount in crores of rupees)

3 से 4 3 to 4 y		4 वर्ष से आ Over 4 ye		जोड़ Total		पूर्ण जोड़ में प्र % to Grand	
संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	गशि Amount.	संख्या No.	राशि Amount	संख्या ।No.	राशि Amount
8	9	10	11	12	13	14	15
							. 1
2,943	0.63	5,092	0.47	12,883	1.91	72.78	1.96
668	3.54	446	2.41	2,199	11.87	12.42	12.18
. 399	5.81	221	3.24	1,111	16.03	6.28	16.45
384	11.97	234	7.06	1,073	32.71	6.06	33.57
161	12.45	81	7.38	, 435	34.93	2.46	35.84
4,555	34.40	6,074	20.56	17,701	97.45	100.00	100.00
_	_	_	_	2,658	0.89	63.09	3.11
_	_		_	854	4.23	20.27	14.76
_	_		=	304	4.28	7.22	14.93
	, _	_	_	255	8.06	6.05	28.12
_			_	142	11.20	3.37	39.08
				4,213	28.66	100.00	100.00

अनुबंध ANNEXURE निगम की लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजना और सरकार की लघु उद्योगों के लिए STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S UNDER THE GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME

•	प्राप्त Claims r	न दावे received	निपटाये Claims dis	गये दावे posed of
अवधि • Period	सं. No.	राशि Amount	स. No.	राशि Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5).
भाग अः निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 19	181			Alexander de la constante de l
Part A:- Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981'				*
पहली अप्रैल, 1981 से 31 दिसंबर, 1981 1st April, 1981 to 31st December, 1981 पहली जनवरी, 1982 से 31 दिसंबर, 1982	1,308	1.74	_	. =
1st January, 1982 to 31st December, 1982 पहली जनवरी, 1983 से 31 दिसंबर, 1983	4,013	9.40	3,105	2.13
1st January, 1983 to 31st December, 1983	9,325	32.58	7,328	12.93
जोड़ Total::-	14,646	43.72	10,433	15.06
भाग आ: लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब 31 मार्च, 1981 से रद्द)** Part B:- Government's Credit Guarantee Scheme for small scale industries (since	*	-		
cancelled as on 31st March, 1981)"				
\$1 अप्रैल, 1981 को अनिर्णीत दावे (भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये) Claims pending as on 1st April, 1981 (taken over from the Reserve Bank of India) पहली अप्रैल, 1981 से 31 दिसंबर, 1981	30,826	98.18		
1st April, 1981 to 31st December, 1981 पहली जनवरी, 1982 से 31 दिसंबर, 1982	13,911	20.56	5,447	10.69
1st January, 1982 to 31st December, 1982 पहली जनवरी, 1983 से 31 दिसंबर, 1983	10,447	20.53	20,445	24.43
1st January, 1983 to 31st December, 1983	7,878	20.08	19,469	26.78
उप-जोड़ Sub Total:	32,236	61.17	45,361	61.90
जोड़ Total:	63,062	159.35	45,361	61.90

^{*}भाग अ : यह निगम की देयताओं का हिस्सा है।

Part A: This is Corporation's Liability.

^{**}भाग आ : यह सरकार की देयता है। •• Part B: This is Government's Liability.

ऋण गारंटी योजना (31 मार्च 1981 को रिद्द) के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

CREDIT GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIAL SECTOR AND ALSO FOR SMALL SCALE INDUSTRIES (CANCELLED AS ON 31ST MARCH 1981) (राशि करोड़ रुपयों में)

FOR SMALL SCALE INDUSTRIES (CANCELLED AS ON 31ST MARCH, 1981) (राशि करोड़ रुपयों में) (Amount in crores of rupees

		· Of	निपटाये गये दाव the claims dis				वर्ष के अंत Claims pendi			
	अदा किये ग		वापिस लिये गये	-	रद्द किये गरे		अनिर्णीत पडे दावे			
	Claims p	aid	Claims withd	Irawn	Claims reje	ected	the end of th	ne year		
	सं. No.	राशि Amount	सं. No.	राशि Amount	सं. No.	राशि Amount	सं. No. 1	यशि Amount		
	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
			:							
	_	-	-	-	, -	-	1,308	1.74		
	1,542	0.37	1,537	1.72	26	0.04	2,216	9.01		
	5,184	3.43	2,066	9.00	78	0.50	4,213	28.66 @		
	6,726	3.80	3,603	10.72	104	0.54				
-										
				~						
			• ,							
	4,225	6.54	. 462	1.94	760	2.21	39,290	108.05		
	16,936	14.62	2,309	5.57	1,200	4.24	29,292	104.15		
	16,394	16.28	1,734	7.23	1,341	3.27	17,70	97.45		
	37,555	37.44	4,505	14.74	3,301		_			
	37,555	37.44	4,505	14.74	3,301	9.72	2			

[@] इनमें से 10.85 करोड़ रुपये के लिए 2,971 दावों की जांच की जा चुकी है और ऋण संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।
Of these, 2,971 Claims for Rs.10.85 crores have already been scrutinised and clarifications have been sought for from the credit institutions.

[£] इनमें से 67.10 करोड़ रुपये के लिए 15,850 दावों की जांच की जा चुकी है और ऋण संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

Of these, 15,880 calims for Rs.67.10 crores have already been scrutinised and clarifications have been sought for from the credit institutions.

अनुबंध XIII ANNEXURE XIII

31 दिसंबर 1983 को अदा किये गये या जिनके लिए व्यवस्था की गयी वे जमा बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID OR PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENTS RECEIVED AS ON 31ST DECEMBER, 1983

वर्तणञ्च तथा सहकारी बैंक जिनके दावे निपटाये गये

राशि लाख रुपयों में

Commercial and Co-operative Banks whose claims were met

(Amount in lakhs of rupees)

क्रम र	संख्या बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये, उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)	ायाँ निगम द्वारा प्राप्ताः नके अदायगियाँ ो	शेष ग्रशि (3)-(4)	
Sr. No.	Name of bank (indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid or provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3)–(4)
(1)	(2)	(3)	· (4)	. (5
I.	वाणिज्य बैंक Commercial Banks	3		
	(i) उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है.: Particulars relating to banks in respect of which the corporation has been reimbursed in full:	₩ is		' .
	£ 1. बैंक ऑफ़ चाइना, कलकत्ता (1963) Bank of China, Calcutta (1963)	0.05		
	• 2. श्री जादेय शंकरिलंग बैंक लि., बीजापुर (1965)	9.25	9.25	,
	Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965) जोड ''अ''	0.12	0.12	
	Total 'A' (ii) उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को आशिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी है और शेष देय	9.37	9.37	•
	गशि बट्टे खाते डाल दी गयी है: Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off:	*		
	* 3. यूनिटी बैंक लि., मद्रास (1963) Unity Bank Ltd., Madras (1963) 4. उन्नाव कमिशियल बैंक लि., उन्नाव (1964)	.2.53	1.37	@@
	Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964) * 5. चावला बैंक लि., देहरादून (1969)	1.08	0.31	@@
	Chawla Bank Ltd., Dehra Dun (1969) जोड़ "आ"	0.18	0.14	@@
	Total 'B'	3.79	1.82	

अनुबंध XIII (जारी)

ANNEXURE - XIII (Contd.)

T. N. Kutty

	ाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये, कोष्ठकों में दिखाया गया है)	न्हुल बीमाकृत जमाराशि जो अदा की गयीं या जिन लिए व्यवस्था की गर्य	नके अदायगियाँ	शेष गीश (3)-(4)
Sr. Name of bank (indica No. in which the claims w	ting in brackets-the year ere met)	Total insured deposits paid or provided for	Repayments received by the Corporation	. Balance (3)-(4)
1)	(2)	. (3)	(4)	(5)
(iii) उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है	बारे में निगम को			
Particulars relating to be the Corporation has no	anks in respect of which ot been reimbursed in full:	*	*	
	_td., Alagapuri(1963)	0.28	0.18	0.10
	Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	4.39
	k Ltd., Trichur (1964)	7.10	4.15	2.95
* 9. लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि Latin Christian Ba Ernakulam (1964)	The state of the s	2.08	1.14	0.94
	d., Calcutta (1964)	7.34	3.26	4.08
+ 11. नेशनल बैंक ऑफ़ पाकि National Bank of Calcutta (1966)		0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
+12.) हबीब बैंक लि., बंबई (1 Habib Bank Ltd., l		17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
• 13. बैंक ऑफ़ बिहार लि., Bank of Behar L	पटना (1970) td., Patna (1970)	46.32	46.14	0.18
• 14. नेशनल बैंक ऑफ़ लाह National Bank o Delhi(1970)	ोर लि., दिल्ली (1970) f Lahore Ltd.,	9.69	-	9.69
T.	जोड़ ' इ '' Total 'C'	99.86 (2.03)	76.94	22.92 (2.03)
	जोड़ (''अ'' ''आं' ''इ' Total 'A' + 'B' + 'C'	113.02 (2.03)	88.13	22.92 @@ (2.03)

अनुबंध XIII (जारा)

ANNEXURE - XIII (Contd.)

क्रम र	संख्या बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये, उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)		कुल बीमाकृत जमाराशि जो अदा की गयीं या जि लिए व्यवस्था की गर्य	नके अदायगियाँ	शेष राशि (3)-(4)
Sr. No.	Name of bar in which the	ok (indicating in brackets the year claims were met)	Total insured deposits paid or provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3)-(4)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
II.	पूरी प्रतिपूर्ति । Particular	सहकारी बैंक Co-operative Banks संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को नहीं की गयी है: s relating to banks in respect of which		*	
	@ 15. बंबई क Bomb	oration has not been reimbursed in full: मर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1976) ay Commercial Co-operative Bank Bombay (1976)	5.73	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.73
	@ 16. मालवण Malva Malva	को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मालवण (1977) n Co-operative Urban Bank Ltd., n (1977) जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1977)	1.86		1.86
	Bomba	opar Janata Sahakari Bank Ltd., ay (1977)	2.76		2.76
	Bomba Bomba	ल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1978) ay Peoples' Co-operative Bank Ltd., ay (1978) क कालोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1978)	10.72	7.24	3.48
	Aarey Bomba	Milk Colony Co-operative Bank Ltd., ay (1978) अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरि (1978)	0.60	-	0.60
	Ratnag Ratnag	gari Urban Co-operative Bank Ltd., giri (1978) र्ग को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1979)	46.43	7.88	38.55
	Vishwa Bomba	akarma Co-operative Bank Ltd., ay (1979) ानता सहकारी बैंक लि., बंबई (1979)	11.57	-	11.57
	Prabha Bombay	adevi Janata Sahakari Bank Ltd., (1979)	4.22	_	4.22
@	Kalavil Bomba 24. रामदुर्ग अ	र को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1979) har Co-operative Bank Ltd., ıy (1979) र्वन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981)	13.16	2.41	10.75
	Bank I	irg Orban Co-opertive Credit .td., Ramdurg (1981)	2.30	1 y	2.30
-	आग ले उ	ताया गया Carried over	99.35	17.53	81.82

अनुबंध XIII (समाप्त)

ANNEXURE - XIII (Concld.)

	क्रम सं	उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)	कुल बीमाकृत जमाराशिय जो अदा की गयीं या जिन लिए व्यवस्था की गयी	के अदायगियाँ	शेष राशि (3)-(4)
,	Sr. No.	Name of bank (indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid or provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3)-(4)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		आगे लाया गया Brought forward	99.35	17.53	81.82
		• 25. वैश्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंगलूर (1982)			
		Vysya Co-operative Bank Ltd., Bangalore (1982) जोड ''ई''	91.31	_	91.31
		Total 'D' जोड ''अ'' ''आ'' ''इ'' ''ई''	190.66	17.53	173.13
		Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D'	303.68 (2.03)	105.66	196.05 (2.03)

- £ बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रदद कर दिया। Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India
- @@ कल 1.97 लाख रुपये की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी। इसमें 0.04 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है, जो अदा नहीं की गयी है किन्तु उसके लिए व्यवस्था की गयी है। Balances aggregating Rs.1.97 lakhs have been written off. These include a sum of Rs.0.04 lakh not paid but only provided for.
- समामेलन योजना Scheme of Amalgamation
- + व्यवस्था योजना Scheme of Arrangement
- @ ये बैंक परिसमापनाधीन हैं

Banks taken into liquidation

टिप्पणी : (क) ऊपर दिये गये दावों के आंकड़े समायोजन करने के बाद के हैं।

Note: (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.

- (ख) कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के बारे में निषद्ध देयताओं को सूचित करते हैं।
 - (b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

1 दिसंबर 1983 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, INVESTMENTS OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND THE

क्रम विवरण Sr. Particulars			जमा बीम EPOSIT INSU		JND
No.	बाज़ार दर प्रतिशत Market rate %	अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	बाज़ार मूल्य Market Value	बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य का प्रतिशत % of Market Value to Book Value
1 2	3	4	5	6	7
अ. जिन प्रतिभूतियों में मूल्य ह्रास हुआ है					
A. SECURITIES WHICH H		CIATED			· v
 6 1/2 प्रतिशत ऋण 2002 					= 2
6 1/2% Loan 2002	86.00	_	=	-	_
2. 6 1/2 प्रतिशत ऋण-2003					
6 1/2% Loan 2003	, 77.00	-	· ·	=	i
3. 6 1/2 प्रतिशत ऋण 2004	. 50.50	0.00	0.00	7.00	76.40
6 1/2% Loan 2004	76.50	9.26	9.28	7.09	76.40
4. 6 1/2 प्रतिशत ऋण 2005 6 1/2% Loan 2005	74.00	5.95	5.98	4.40	73.58
5. 6 3/4 प्रतिशत ऋण 2006	14.00	5.75	3.70	4.40	73.36
6 3/4 % Loan 2006	77.00	14.30	14.28	11.01	77.10
6. 6 3/4 प्रतिशत ऋण 2007		2	2	,22.02	
6 3/4% Loan 2007	74.95	9.41	9.36	7.05	75.32
 7 प्रतिशत ऋण 2009 					•
7% Loan 2009	74.80	34.63	34.66	25.90	74.73
8. 7 1/2 प्रतिशत ऋण 2010					586
7 1/2%Loan 2010	79.75	36.56	. 35.88	29.16	. 81.27
9. 8 प्रतिशत ऋण 2011	* ***	*			S4.
8% Loan 2011 10. 8 3/4 प्रतिशत ऋण 2010	84.00	42.30	41.32	35.53	85.99
10. 8 3/4 प्रतिशत ऋण 2010 8 3/4% Loan 2010	00.05	. 0 70	à = a		-0.0-
11. 9 प्रतिशत ऋण 2013	92.25	0.78	0.78	0.72	92.31
9% Loan 2013	92.00	34.70	24.60	01.00	00.04
12. 9 प्रतिशत ऋण 2013 (पाँचवां निर्गम)	22.00	34.70	34.68	31.92	92.04
9% Loan 2013 (V Issue)	100.00	0.12	0.12	0.12	100.00
13. 10 प्रतिशत ऋण 2014 (दूसरा निर्गम)	_00.00	0.12	0.12	0.12	
10% Loan 2014 (II Issue)	100.00	12.52	12.54	12.52	99.84
>>					
आगे ले जाया गया		200.53	198.88	165.42	
Carried over		200.00	170.00	100,42	

ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के निवेश GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON THE 31ST DECEMBER, 1983

(राशि करोड़ रुपयों में) (Amounts in crores of rupees)

	CREI	ऋण गारंटी OIT GUAR <i>A</i>	निधि ANTEE FUND	सामान्य निधि GENERAL FUND					
U	अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	Market बाज़ार Value %	्ल्य की तुलना में मूल्य का प्रतिशत of Market Value to Sook value	अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	Market बाज	मूल्य की तुलना में र मूल्यका प्रतिशत % of Market Value to Book value	
	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,		ř				
	3.37	3.38	2.90	85.80	-	_		-	
	2.66	2.66	2.05	77.07	-	_	_	-	
	2.80	2.81	2.14	76.16	-	_	(-)	-	
	3.00	3.02	2.22	73.51	-	-	_	-	
	2.42	2.42	1.86	76.86	2.15	2.15 .	1.65	76.74	
	4.00	4.01	3.00	74.81	-	-	_	-	
	6.00	6.01	4.49	74.71	0.05	0.05	0.04	80.00	
	11.29	11.13	9.00	80.86	5.88	5.84	4.69	80.31	
	59.91	59.35	50.32	84.79	6.80	6.24	5.71	91.51	
•	3.00	3.00	2.77	92.33	_	-	_	01.00	
	51.65	50.76	47.52	93.62	15.00	15.02	13.80	91.88	
	10.00	10.00	10.00	100.00		, -	-	99.80	
	21.00	21.04	21.00	99.81	10.00	10.02	10.00	99.80	
	181.10	179.59	159.27		39.88	39.32	35.89		

अनुबंध

ANNEXURE

ян Sr.	Particulars	बाज़ार	1	जमा बीम DEPOSIT INSI		JND
No		दर प्रतिशत Market rate %	अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	बाज़ार मूल्य Market Value	बही मूल्य की तुलना में बाज़ार मूल्य का प्रतिशत % of Market Value to Book Value "
1	2	3	4	5	6	. 7
	आगे लाया गया E	Brought forwa	ard 200.53	198.88	165.42	
14.	10 प्रतिशत ऋण 2014 (तीसरानिर्गम) 10% Loan 2014 (III Issue) 10 प्रतिशत ऋण 2014 (चौथा निर्गम)	100.00	0.16	0.16	0.16	100.00
	10% Loan 2014 (IV Issue)	100.00	6.31	6.32	6.31	99.84
16.	10 प्रतिशत ऋण 2014 (पाँचवां निर्गम) 10% Loan 2014 (V Issue) जोड ''अ''	100.00	0.30	0.30	0.30	100.00
आ.	Total 'A': जिन प्रतिभृतियों के मूल्य में वृद्धि हु ईं	}	207.30	205.66	172.19	83.73
В.	SECURITIES WHICH HA		CIATED			
	10% Loan 2014	100.20	3.15	3.15	3.16	100.32
₹.	जोड़ ''अ'' ''आ'' Total 'A' + 'B': खजाना बिल		210.45	208.81	175.35	83.98
	Treasury Bills		0.14	0.14	0.14	100.00
	कुल जोड़ (''अ'' ''आ'' ''इ'')' : Grand Total ('A' + 'B' + 'C'):		210.59	208.95	175.49	83.99

बाजार दरें 23 दिसंबर 1983 की स्टॉक एक्सचेंज की दरों के अनुसार हैं। (राशि करोड़ रुपयों में) Market rates are as per Stock Exchage quotations as on 23rd December 1983 (Russey)

	निवेशों के बाजार मूल्य में हास Depreciation in the market value of investments	er, 1983 (Rupees in crores) वर्तमान व्यवस्था Existing provision	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	33.47		
ऋण गारंटी निधि	55.47	33.47	
Credit Guarantee Fund सामान्य निधि	20.32	20.32	
General Fund	3.43	211 .	

XIV (समाप्त)

XIV (Concld.)

	197.33	195.74	175.42	89.62	42.46	41.90	38.47	91.8	
	6.73	6.65	6.65	100.00	0.58	0.58	0.58 	100.0	
-	190.60	189.09	168.77	89.25	41.88	41.32	37.89	91.7	
	1.00	1.00	1.00	100.00	_				
	189.60	188.09	167.77	89.20	41.88	41.32	37.89	91.70	
	3.50	3.50	3.50	100.00	0.75	0.75	0.75	100.00	
	_	_		_	0.25	0.25	0.25	100.00	
	5.00	5.00	5.00	Brought forward	1.00	1.00	1.00	100.00	
	- 181.10	179.59	159.27	आगे लाया गया	39.88	39.32	35.89		
	8	9	10	11	12	13	14	15	
	अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	Market %	मृल्य की तुलना में आं मृल्य का प्रतिशत of Market Value to Book value	केत मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	भागार मूरप बाज़	मृल्य की तुलना ग ार मृल्य का प्रतिश % of Market - Value to Book value	
	CR	ऋण गारंट EDIT GUAR	ANTEE FUND		सामान्य निधि GENERAL FUND				

तुलनपत्र आय-व्यय लेखा और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

Balance Sheet Revenue Account And Auditor's Report

DEPOSIT INSURANCE AND

(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के अधिनियम

(Established under the Deposit Insurance and Credit

विनियम 18

Regulation 18

31 दिसंबर 1983 को कारोबार

Balance Sheet as at the close of

जमा बीमा निधि और

I - DEPOSIT INSURANCE FUND

पिछले Previo			1.			
जमा बीमा निधि ऋण गारंटी निधि Deposit Credit Insurance Guarantee Fund Fund		देयताएं LIABILITIES	Deposit I	मा निधि nsurance ind	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
लाग्व रुपये Rs. in lakhs	लाखं रुपये Rs. in lakhs		लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakh
	,	1. 			,	×
13300.62	8090.29	वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year जोड़िए: वर्ष के दौरान निधि में शुद्ध उपचय आय—व्यय लेखे से अंतरित	15403.68		8876.48	
2103.06	786.19	Add: Net accretion to the Fund during the year transferred from the Revenue Account	2295.83		2828.69	
15403.68	8876.48			17699.51		11705.1
					*	
15403.68	8876.48	आगे ले जाया गया Carr	ied over	17699.51		11705.1

प्रत्यय गारंटी निगम

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

1961 के अधीन स्थापित)

Guarantee Corporation Act, 1961)

-फार्म ''अ''

- Form 'A'

समाप्त होने के समय का तुलनपत्र

business on the 31st December, 1983

, ऋण गारंटी निधि

AND CREDIT GUARANTEE FUND

-	पिछले Previou	वर्ष ıs Year —————							
	मा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटीनिधि Credit Guarantee Fund	•	आरि ASS	तयां ETS	जमा बीमा Deposit I Fu	nsurance		ग्री निधि Juarantee Jind
*	लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs				लाख रुपये Ks. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
9.		,	1.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा					
	1.05	81.75	*		ITH RESERVE DIA	*	13.77		115.22
1	¥	43.00	2.	मार्गस्थ नकदी CASH IN TRA	ANSIT				40.00
		40.00	3.		 प्रतिभूतियों में निवेश (र	लागत पर)			
٠	16958.89	12653.70		INVESTMENT GOVERNMEN (AT COST) जमा बीमा निधि	S IN CENTRAL IT SECURITIES ऋण गारंटी निधि		20894.97		19574.30
		:		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund				
				लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs				
		æ		अंकित मूल्य (Face Value 21058.74 बाज़ार मूल्य	19732.50				*
	16959.94	12778.45		Market Value 17548.93	3 17542.20) आगे ले जाया गया	Carried ove	20908.74	- -	19729.52

(जारी) (Continued)

	पिछले Previou							
	जमा बीमा निधि ऋण गारंटी निधि Deposit Credit Insurance Guarantee Fund Fund		देयताएं LIABILITIES		मा निधि Insurance und	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		
	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs		लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs	
_	15403.68	8876.48	आगे लाया गया Brought forward	,	17699.51		11705.17	
			2. निवेश प्रारक्षित निधि INVESTMENT RESERVE: वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning					
	930.00	365.00	of the year	1661.41		839.05		
	226.86	110.83	घटाइए : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of Investments			 -		
-	703.14	254.17		1661.41		839.05		
	958.27	584.88	जोड़िए : वर्ष के दौरान व्यवस्था की गयी राशि Add: Amount provided during the year	1685.12		1193.25		
	1661.41	839.05			3346.53		2032.30	
			 अदावी बीमाकृत जमाराशियाँ (दुतरफा) अनुबंध II के अनुसार 					
	7.58	-	INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED (PER CONTRA) AS PER ANNEXURE II		7.56			
	17072.67	9715.53	आगे ले जाया गया Carri	ed over	21053.60		13737.47	

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Contd.)

पिछले Previoi	वर्ष us Year 				· · · · · · · · ·	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	आस्तियां ASSETS		ग निधि insurance ind		टी निधि uarantee ind
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाग्ब रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
16959.94	12778.45	आगे लाया गयां Brought forward	•	20908.74		19729.52
		4. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज INTEREST ACCRUED ON		*		
169.56	148.82	INVESTMENTS		204.06		210.16
		5. ज्माकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे SUBROGATED CLAIMS OF DEPOSITORS		•		
	* *	(क) पहले ही अदा की गयी बीमाकृत जमाराशियों के संबंध में			1	
296.06	-	(a) In respect of insured depo- sits already paid	296.08			-
		घटाइए: आज तक प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति Less:	*		,	
88.93	_	Reimbursements received to date	101.24			-
207.13	-	घटाइए : आज तक बट्टे खाते डाले गये दावे	194.84			·
1.94	_	Less: Claims written off to date	1.94			-
205.19	-	घटाइए: अनुमानित बीमा हानि के लिए व्यवस्था	192.90			-
205.19	_	Less: Provision for estimated insurance losses	192.90	, ,		-
		(अनुबंध I के अनुसार) (as per Annexure I)		_	_	
17129.50	12927.27	आगे ले जाया गया Carried	over	21112.80		19939.68

पिछले Previou			4			2.
जमा बीमा निधि ऋण गारंटी निषि Deposit Credit Insurance Guarantee Fund Fund		देयताएं LIABILITIES		मा निधि Insurance und	Credit C	रंटी निधि Guarantee und
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपरे Rs. in lakh
17072.67	9715.53	आगे लाया गया Brought Forward		21053.60		13737,4
	4.	जिन बैंकों का बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उनकी बीमाकृत जमाराशियाँ (दुतरफा)				
13.70	_	INSURED DEPOSITS IN BANKS WHOSE REGISTRA- TION AS INSURED BANKS HAS BEEN CANCELLED (PER CONTRA)	ν.	.13.70		
	5.	उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं			*	¥
	4092.34	ESTIMATED LIABILITY IN RESPECT OF CLAIMS INTI-MATED BUT NOT ADMITTED				6682.03
	6.	अन्य देयताएं OTHER LIABILITIES: फुटकर लेनदार		,		
47.28	79.79	Sundry Creditors		48.84		24.01
						1
7133.65 13	3887.66	आगे ले जाया गया Carried o	over s	21116.14		0443.51

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Contd.)

पिछले Previou						,	^	
जमा वीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	ď	आस्तियां ASSETS			मा निधि Insurance und		ट्टी निधि Guarantee und
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	E N		20	लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. , in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs
17129.50	12927.27	आगे ल	ाया गया Brought Forward			21112.80		10000 60
7.58 4.35	_	(평) 3 (b) 1	भदावी बीमाकृत जमाराशियों के संबं In respect of insured deposits remaining unclaimed (per contra) घटाइए : आज तक प्राप्त हुई प्रतिपूर्ति Less: Reimbursements received to date		7.56	22.116.00		19939.68
_		τ	घ टाइए : आगे लाया गया गहले से दावा प्रदत्त ⁻ लेखे में अंतरित Less: Fransferred to already paid account	0.02	!			
4.35			-	-	4.43			
4.55			*					
3.23		(ग) ि है र उ	जोड़िएं: जेन बैंकों का बीमाकृत ोंकों के रूप में पंजीकरण द्द कर दिया गया है, ज़की बीमाकृत जमाराशियों हे संबंध में (दुतरफा)	,	3.13			
» . I		P	Add:		r			
13.70		si	n respect of insured depo its in banks whose regist- ation as insured banks ha een cancelled (per contra)		13.70			-
O 16.93	ж		¥	C/	O 16.83			
17129.50	12927.27		आगे ले जाया ग	л Ca	rried over	21112.8	0	19939.68

	पिछले Previo	। वर्ष us Year						
:	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	देयताएं LIABILITIES	Deposit	मा निधि Insurance und	Credit (रंटी निधि Guarantee und	
	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in: lakhs		लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	
	17133.65	13887.66	आगे लाया गया · Brought forward		21116.14	*	20443.51	

17133.65 13887.66

पिछले Previou						
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	आस्तियां ASSETS	जमा बीमा Deposit Ir Fui	surance	ऋण गारंट Credit Gu Fur	ıarantee
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs
17129.50	12927.27	आगे लाया गया Brought Forward		21112.80		19939.68
B/F 16.93		न दे मा मा मा मा सामा निर्मा ने माराद ज्यावरिया	B/F 16.83			
16.93		Less: Provision for estimated insurance losses	16.83			
_		6. अन्य आस्तियां: OTHER ASSETS:		-		19
	1,00	 बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्य प्रीमियम गारंटी शुल्क और अतिरिक्त प्रदत्त दावों की बकाया गिंश 				¥
2.91	86.95	Outstanding premium, guarantee fees and excess claims paid, due from banks/ Credit Institutions ii) अतिदेय प्रीमियम और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	2.36		201.23	
1.16	7.19	Outstanding interest on overdue premium, and guarantee fees	0.92		11.89	¥
0.08		iii) एक बैंक के परिसमापक के पास अवितरित रहने वाले दावों के संबंध में अदा की गयी राशि Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of a bank	0.06		-	
		iv) लघु उद्योग के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) Government of India Credit Guarantee Scheme (Old)			000 71	
-	866.25	for Small Scale Industries		2 24	290.71	503.8
4.15	960.39			3.34		303.0
		आगे ले जाया गया Ca	rried over	21116.14		20443.5

जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	देयताएं LIABILITIES	जमा बी Deposit Fu	मा निधि Insurance und	Credit C	रंटी निधि Guarantee und
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	লান্ত হুণ Rs. in lakh
17133.65	13887.66	आगे लाया गया Brought Forward		21116.14		20443.5
					*:	

17133.65 13887.66

जोड TOTAL

21116.14

20433.51

टिप्पणी : दावों के निपटान होने पर ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत प्रत्यासीन अधिकारों के फलस्वरूप वसूल की जानेवाली राशि जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उसी वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त हुई हो।

Note: The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund, which cannot be estimated, will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year it is received.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

हरिभक्ति एण्ड कं.	के.के. सक्सेना	म.वि.हाट	पी.डी. ओझा	अशोक चंद्र
सनदी लेखाकार	महा प्रबंधक	अध्यक्ष	निदंशक	निदेशक
HARIBHAKTI & CO. Chartered Accountants बंबई, दिनांक 23 मार्च 1984 Bombay, dated the 23rd Marci	KK. SAKSENA General Manager h, 1984	M. V. HATE Chairman	P. D. OJHA Director	ASHOK CHANDRA Director

पिछले Previoi	वर्ष us Year		,				
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		आस्तियां ASSETS	ंजमा बीग Deposit Ft	ना निधि Insurance Ind		टी निधि Suarantee Ind
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs			लाख रूपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
17133.65	13887.66	आगे लाया गया	Brought Forward		21116.14		20443.5
		*					*
*						ie .	
							4

एस.वी. घाटलिया निदेशक S. V. GHATALIA Director

17133.65 13887.66

आर. वी. माधवराव निदेशक R. V. MADHAVA RAO Director

जोड़ TOTAL

बी. वी. सोनालकर निदेशक B. V. SONALKER Director

एम. आर. बी. पुंजा निदेशक M. R. B. PUNJA Director

21116.14

वी. एन. नाडकर्णी निदेशक V. N. NADKARNI Director

20443.51

अनुवंध- I ANNEXURE I

जमाकर्ताओं के अदा किये गये प्रत्यासीन दावे SUBROGATED CLAIMS OF DEPOSITORS PAID

(राशि लाख रूपयों में) (Rupees in lakhs)

पिनने नर्प (1002) ने अंत कर अस नी पार्व कर कर		
पिछले वर्ष (1982) के अंत तक अटा की गयी कुल रकम		006.06
Total amount paid until the end of the previous year (1982)	*	296.06
जोड़िए :		
Add:		
इस वर्ष (1983) के दौरान अदा की गयी बीमाकृत जमाराशियाँ		0.00
Insured deposits paid during the year (1983)		0.02
	-	296.08
		290.00
घटाइए : Less:		
i) प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ :		
54 C		
Reimbursements received: (क) पिछले वर्ष (1982) के अंत तक प्राप्त		760
	00.00	
(a) Until the end of the last year (1982)	88.93	*
(ख) इस वर्ष (1983) के दौरान प्राप्त	10.00	
(b) During the year (1983)	12.29	
ii) ''अदावी लेखें'' से अंतरित ग्रिश		
Amount transferred from 'unclaimed account'	0.02	101.24
tana and the same of the same		10101
घरासा •	i	194.84
घटाइए : Less:		
•		
iii) पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाले गये दावे		
Claims written off in earlier years		1.94
	-	100.00
		192.90
iv) पिछले वर्ष (1982) के अंत तक अनुमानित हानियों के लिए की गयी व्यवस्था		
Provision for estimated losses until the end of		
the last year (1982)	205.19	
घटाइए : इस वर्ष (1983) के दौरान की गयी व्यवस्था में कमी		
Less: Reduction in the provision made during the year (1983)	12.29	
		P
प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ, बट्टे खाते डाले गये दावों और अनुमानित हानियों के लिए की गयी		192.90
व्यवस्था को घटाकर इस वर्ष (1983) के अंत तक अदा की गयी शुद्ध राशि	-	
Net amount paid as at the end of the year (1983) less reimbursement		
received, claims written off and provision made for estimated losses		
,		
	-	Tel.

अनुबंध-॥ ANNEXURE II

31 दिसंबर 1983 को अदावी बीमाकृत जमाराशियाँ

INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED AS ON THE 31ST DECEMBER, 1983

(राशि लाख रुपयों में) (Rupees in lakhs)

इस वर्ष (1982) के आरंभ में बकाया राशि Amount outstanding at the beginning of the year (1982)	
घटाइए:	7.58
वर्ष के दौरान अदा किये गये दावे जो ''पहले अदा किये गये लेखे'' को अंतरित किये गये Less:	
Claim paid during the year transferred to 'already paid account'	0.02
वर्ष के अंत में कुल अदावी बीमाकृत जमाराशियाँ	•
Total insured deposits remaining unclaimed as at the end of the year	7.56

अनुबंध | और || का सारांश Summary of Annexures I and II

जमाकर्ताओं के प्रदत्त या प्रावधानित प्रत्यासीन दावों की राशि (अदावी राशि सहित)

SUBROGATED CLAIMS OF DEPOSITS PAID OR PROVIDED FOR (INCLUDING UNCLAIMED) (यशि लाख रुपयों में)

(Rupees in lakhs)

i) अनुबंध I के अनुसार		
Vide Annexure I	296.08	
ii) अनुबंधा। के अनुसार Vide Annexure II	7.56	
iii) बीमाकृत बैंक के रूप में जिस बैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है उसमें बीमाकृत जमाराशियों के		
संबंध में जमाकर्ताओं के प्रत्यासीन दावे Subrogated claims of depositors in respect of insured deposits in		
bank whose registration as insured bank has been cancelled	13.70	317.34
घटाइए: प्रत्यासीन दावों के संबंध में प्राप्त वापसी अदायिगयों की राशि		
Less: Repayments received in respect of subrogated claims:		
i) पहले अदा की गयी राशि (अनुबंध I के अनुसार) Already paid (vide Annexure I)	101.24	
ii) अदावी राशि (तुलनपत्र में आस्तियाँ पक्ष की मद 5(ख) के अनुसार)		
Remaining unclaimed (vide item 5(b) on the Assets side of the Balance Sheet)	4.43	105.67
आगे ले जाया गया Carried over		211.67

अनुबंध । और ॥ का सारांश (समाप्त) Summary of Annexures I & II (Concld.)

आगे लायी गयी Brought.Forward		211.67
घटाइए: पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाले गये दावों की राशि		
Less: Claims written off in earlier years		
		1.94
निगम को देय शेष राशि	× ,	000.70
Balance due to the Corporation		209.73
घटाइए: बीमा हानि के लिए व्यवस्थाः		
Less: Provision for insurance losses:		
i) पहले अदा की गयी राशि	100.00	
Already paid	192.90	
ii) अदावी ग्रशि	16.00	000 50
Unclaimed	16.83	209.73
प्राप्य प्रत्यासीन दावे		
Subrogated claims receivable		•_
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
 * (तुलनपत्र में आस्तियाँ पक्ष की मद (5) के अनुसार) 		
(Vide Item (5) on the Assets side of the Balance Sheet)		
•		

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम निगम फार्म "आ" 31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 1. आय-व्यय लेखा जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION (FORM – B) REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED THE 31ST DECEMBER, 1983

1. DEPOSIT INSURANCE FUND AND CREDIT GUARANTEE FUND

निक्षेप बीमा और

DEPOSIT INSURANCE AND

फार्म-

(FORM

31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए वर्ष

Revenue Account for the year

ፗ जमा बीमा निधि

1. DEPOSIT INSURANCE FUND

ਪਿਲਕੇ Previou				
	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	व्यय EXPENDITURE	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
_		निम्नलिखित के संबंध में जमा बीमा हानियाँ: To Deposit Insurance Losses:		-
222.12		 (क) वर्ष के अंत में अनुमानित हानियों की व्यवस्था (a) Provision for estimated losses as at the end of the year घटाइए: (ख) वर्ष के प्रारंभ में अनुमानित हानियों की व्यवस्था Less: 	209.73	-
120.30		(b) Provision for estimated losses at the beginning of the year	222.12	_
101.82		जोड़िए: (ग) पुरांकित अधिक राशि की व्यवस्था (दुतरफा)	-12.39	-
101.82	*	Add: (c) Excess provision written back(per contra)	12.39	` -
101.82		आगे ले जाया गया Carried over		

प्रत्यय गारंटी निगम

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

''आ''

B)

के लिए आय-व्यय लेखा

ended the 31st December, 1983

और ऋण गारंटी निधि

AND CREDIT GUARANTEE FUND

	पिछले Previou				
•	जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि	आय	जमा बीमा निधि Deposit	ऋण गारंटी निधि Credit
	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund	INCOME	Insurance Fund	Guarantee Fund
٠	लाख रुपये	लाख रुपये	*	लाख रुपये	लाख रुपये
	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
	in lakhs	in lakhs		in lakhs	in lakhs
		্ ড	मा बीमा प्रीमियम द्वारा (अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज		10000
	2066.45		हित) By Deposit Insurance Premium (including interest on overdue premium) जमा बीमा की हानियों के लिए अधिक	2485.90	_
		-	राशि की व्यवस्था (दुतरफा) Excess provision for deposit insurance losses (per contra) गारंटी शुल्क (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)	12.39	
	_	5767.20	Guarantee fees (including interest on over-due guarantee fees)	_	7116.81
	_	189.26	प्रदत्त गारंटी दावों की वसूलियां Recoveries in respect of guarantee claims paid	_	263.58
	1096.70	793.46	निवेशों से प्राप्त आय Income from Investments	1482.66	1359.56
•					0720.01
	3163.15	6749.92	आगे ले जाया गया Carried over	3980.95	8739.9

(जारी) · (Continued)

REVENUE ACCOUNT - DEPOSIT INSURANCE FUND

	पिछल	वर्ष				
	Previou			,	जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि
		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	व्यय EXPENDITURE		Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
	लाख रुपये	लाख रुपये			लाख रुपये Rs.	लाख रुपये Rs.
	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs			in lakhs	in lakhs
	101.82	<u> </u>	आगे लाया गया Brought forward		-	
		3	हण गारंटी दावे :			
			o Credit Guarantee Claims: वर्ष के दौरान प्रदत्त दावे			
		1286.51	Paid during the year जोड़िए: उन दावों के संबंध में	2 128.32		
`			अनुमानित देयता जिनकी इस वर्ष के अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है,		¥	
			परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं Add: Estimated liability in respect of claims			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		4092.34	intimated but not admitted at the end of the year	6 682.03		
		5378.85	घटाइए : उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी पिछर्लें वर्ष के अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है,	8810.35		
			परंतु जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं			
1		<u> </u>	Less: Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year	4 092.34		*
		5378.85	शुद्ध दावे Net claims			4718.01
	101.82	5378.85	आगे ले जाया गया Carried over			4718.01

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Contd.)

in lakhs in lakhs Rs. Rs. Rs. in lakhs in lakhs	Previo	Insurance Guarantee		,	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	Credit			
3163.15 6749.92 आगे लाया गया Brought Forward 3980.95 8739.95	Rs.	Rs.						Rs.	
	3163.15	6749.92	आगे लाया	गया Brought	Forward			3980.95	8739.95.
	•	×							
					3*				
				*					
								•	*
			×						
		*							
					*				
			30						

REVENUE ACCOUNT - DEPOSIT INSURANCE FUND

c .			*	
पिछले Previou जमा वीमा निधि Deposit		व्यय	जमा बीमा निधि Deposit Insurance	ऋण गारंटी नि Credit Guarante
Insurance Fund	Guarantee Fund	EXPENDITURE	Fund	Fund
लाग्ब रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये. Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs
101.82	5378.85	आगे लाया गया Brought forward	, 	4718.01
		निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए व्यवस्था		
958.27	584.88	To provision for depreciation in value of investments credited to Investment Reserve निधि में अंतरित कुल उपचय	1685.12	1193.25
2103.06	786.19	To Net accretion transferred to the Fund	2295.83	2828.69
			ī	
				8
		8 ×		W-241
3163.15	6749.92	जोड़ TOTAL	3980.95	8739.9

- टिप्पणी: 1. ऐसे दावे जो सूचित तो किये जा चुके हैं परंतु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में सामान्य रूप से अस्वीकार किये जानेवाले / वापस लिये जाने वाले दावों के संबंध में 8.53 प्रतिशत (पिछले वर्ष 9.46 प्रतिशत) जितनी राशि घटादी
 - 2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे उनसे गारंटी शुल्क के लिए प्राप्ततदर्थ भुगतानों को आय-व्यय लेखे में हिसाब में लिया गया है।
 - 3. प्रत्येक छमाही के शुरू में प्राप्त होनेवाले अतिदेय जमा बीमा प्रीमियम/ऋण गारंटी शुल्क के ब्याज को बैंकों/ऋण संस्थाओं से बीमाकृत जमाराशियों/गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण तथा प्रीमियम/शुल्क की वास्तविक प्राप्ति होने पर ही हिसाब में लिया जाता है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

15 per our report or even date				
हरिभक्ति एण्ड कं. सनदी लेखाकार	के.के. सक्सेना महा प्रबंधक	म.वि.हाटे अध्यक्ष	पी.डी. ओझा निदेशक	अशोक चंद्र निदेशक
HARIBHAKTI & CO. Chartered Accountants	K-K. SAKSENA General Manager	M. V. HATE Chairman	P. D. OJHA Director	ASHOK CHANDRA Director
ं बंबर्ड दिनांक २३ मार्च 1984				

Bombay, dated the 23rd March, 1984

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Concld.)

पिछले Previou	IS Year				,	
– जमा बीमा निधि Deposit Insurance · Fund	- ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		आय INCOME		जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs				लाख रुपये Rs. in lakhs	Fund लाख रुपये Rs. in lakhs
3163.15	6749.92	आगे लाया गया	Brought forward		3980.95	8739.95
					,	-743.30
			4			
	•					
			ië.			
			*		- *	
				•		
3163.15	6749.92		जोड़ TOTAL		3980.95	8739.95

- Notes: 1. Estimated liability for claims intimated but not admitted is arrived at by deducting from such claims, a sum equal to 8.53% (previous year 9.46%) thereof on account of usual rejections/withdrawals.
 - 2. In cases where the statements of guaranteed advances were not received from the credit institutions, the ad hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.
 - Interest on overdue Deposit Insurance Premium/Credit Guarantee Fee receivable at the beginning of every half year, is
 accounted for only on the actual receipt of the Premium/Fee and the corresponding details of insured deposits/guaranteed
 advances from the Banks/Credit Institutions.

एस.वी. घाटलिया	, आर. वी. माधवराव	बी. वी. सोनालकर	एम. आर. बी. पुंजा	वी. एन. नाडकर्णी
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक
S. V. GHATALIA	R. V. MADHAVA RAO	B. V. SONALKER	M. R. B. PUNJA	V. N. NADKARNI
Director	Director	Director	Director	Director

निक्षेप बीमा और

DEPOSIT INSURANCE AND

(निक्षेप बीमाऔर प्रत्यय गारंटी निगम (Established under the Deposit Insurance

विनियम 18-

Regulation 18

31 दिसंबर 1983 को कारोबार समाप्त

Balance Sheet as at the close of

II – सामान्य

II - GENERAL

पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	देयताएं LIABILITIES	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
	1. पूंजी:		1 ,	
	CAPITAL: निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी			
	निगम अधिनियम, 1961 की		š	
	धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी			
	Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit			
1500.00	Guarantee Corporation Act, 1961			1500.00
	2. प्रारक्षित निधियाँ: RESERVES:			
	सामान्य प्रारक्षित निधि General Reserve:			
0.20	वर्ष के आरंभ में शेष	0.00		
0.20	Balance at the beginning of the year घटाइए:	0.20		
	निवेश प्रारक्षित निधि को अंतरित राशि Less:			*
	Amount transferred to Investment Reserve	- ,		
0.20			0.20	
	निवेश प्रारक्षित निधि : Investment Reserve:		0.20	
C/O 97.96	वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year	C/O 45.02		
1500.00	आगे ले जाया गया Carried over			1500.00

प्रत्यय गारंटी निगम
CREDIT GUARANTEE CORPORATION
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित) –
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
फार्म ''अ''
– Form A

– Form A होने के समय का तुलनपत्र

business on the 31st December,1983

निधि

FUND

लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	आस्तियां ASSETS	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
			Λ.
	1. नकदी:		
	CASH:		
0.11	i) हाथ में	0.00	
. 0.11	In hand ii) मार्गस्थ	0.08	
0.15	In Transit	_	
,	iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास	_	
0.80	With the Reserve Bank of India	0.42	
1.00	-	-	
1.06			0.50
*			
) 2 2 <u> 6 7 7 6 }</u> (\	
	 केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर))	
	INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERN	٧-	
3025.65	MENT SECURITIES (AT COST) लाख	रुपये	4190.09
	(011471 12.11	lakhs	
	(I ace value	46.00)	
	(बाजार मूल्य (Market Value 3 8	346.87)	
	(Market Value		
Ŧ		-	
3026.71	आगे ले जाया गया Carried over	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	4190.59

(जारी) (Continued)

पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	देयताएं LIABILITIES		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
1500.00	आगे लाया गया Brought forward			1500.00
B/F 97:96	घटाइए :	B/F 45.02		
	निवेशों की बिक्री पर हानि Less:			
78.99	Loss on sale of Investments	-	*	
18.97	जोडिए :	45.02	_	
06.05	वर्ष के दौरान की गयी व्यवस्था की राशि Add:	- 100 mass		
26.05	Amount provided during the year	166.44		
45.02	Y.		211.46	
45.22	 भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त ब्याज-रिहत जमा राशि जिसे पूंजी में परिवर्तित किया जाना है 			211.66
1500.00	INTEREST-FREE DEPOSIT FROM RESERVE BANK OF INDIA TO BE CONVERTED INTO CAPITAL	*		2500.00
	4. चालू देयताएं और व्यवस्था		**	
	CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:			.5
0.45	कर्मचारी भविष्य निधि Staff Provident Fund		0.36	
14.03	कर्मचारी उपदान निधि Staff Gratuity Fund		17.56	
C/O 14.48			C/O 17.92	
3045.22	आगे ले जाया गया Carried over			4211.66

पिछले वर्ष लाख रुपये	आस्तियां	ं लाख रुपये	लाख रुपये
Previous Year (Rs. in lakhs)	ASSETS	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
3026.71	आगे लाया गया Brought forward		4190.59
	3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज		
30.14	INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		41.43
	4. अन्य आस्तियाँ: OTHER ASSETS		, 3
	मूल्यहास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण Furniture, Fixtures and Equipment,		
4.04	less-Depreciation	4.18	
0.59	लेखन-सामग्री का स्टाक Stock of Stationery पूर्वदत्त व्यय	0.67	
0.03	Prepaid Expenses	0.25	
C/O 4.66		C/O 5.10	
	×.		
3056.85	आगे ले जाया गया Carried over		4232.02

पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	देयताप LIABILI	Prince and the second s	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
3045.22	आगे लाया गया Brought forward			4211.66
B/F 14.48			B/F 17.92	
D/1 14.40	अन्य देयताएं :			
.*	Other Liabilities:		*	
	स्टाफ छुट्टी/सेवा निवृत्ति			
V 4	Staff Leave/Retirement			
8.07	कि राया रियायत Fare Concession	8.68		
0.07	अदत्त व्यय	0.00	Κ.	
6.89	Outstanding Expenses	8.80		
	फुटकुर लेनदार			
0.32	Sundry Creditors	0.65		• 1
15.00			18.13	
15.28			10.13	
29.76				36.05
22.70				
			367	
3074.98	जोड़ TOTAL:			4247.71

टिप्पणी : (1) निवेशों के कुल बाजार मूल्य की तुलना में उनका बही मूल्य 343.33 लाख रुपये अधिक है तथा निवेश प्रारक्षित निधि में 211.46 लाख रुपये की राशि शेष है।

Notes: 1) As against the excess of book value of investments over their aggregate market value at Rs.343.33 lakhs, the balance in the Investment Reserve stands at Rs.211.46 lakhs.

इसी तारीख की हंमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

हरिभक्ति एण्ड कं. के.के. सक्सेना म.वि.हारे पी.डी. ओझा सनदी लेखाकार महा प्रबंधक अध्यक्ष निदेशक निदेशक HARIBHAKTI & CO. K. K. SAKSENA M. V. HATE P. D. OJHA ASHOK CHANDRA Chartered Accountants General Manager Chairman Director Director बंबई, दिनांक 23 मार्च 1984 Bombay, dated the 23rd March, 1984

	पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	आस्तियां ASSETS	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रूपये Rs. in lakhs
	3056.85	आगे लाया गया Brought forward		4232.02
Е	3/F 4.66	व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि से वसूली योग्य स्टाफ़ को दिये जानेवाले भत्ते तथा अन्य जमाराशियाँ	B/F 5.10	
	13.47	Advances for expenses, staff Allowances recoverable from Reserve Bank of India etc. and other deposits	10.59	
	18.13			15.69
,				
	3074.98	जोड़ TOTAL.		4247.71

(2) वर्ष के दौरान निगम के उपयोग के लिए एक छोटा-कम्प्यूटर लगाया गया। इस कम्प्यूटर और उसकी संबंधित कार्य प्रणालियों (सिस्टम्स) तथा आधारभूत संरचना आदि से संबंधित कुल 33.15 लाख रुपये का व्यय भारतीय रिज़र्व बैंक ने वहन किया।

During the year, a mini-computer has been installed for the use of the Corporation. The cost of the computer together with its related systems and infrastructure, aggregating Rs.33.15 lakhs has been borne by the Reserve Bank of India.

बी. वी. सोनालकर एम. आर. बी. पुंजा आर. वी. माधवराव वी. एन. नाडकर्णी एस.वी. घाटलिया निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक निदेशक B. V. SONALKER M. R. B. PUNJA V. N. NADKARNI R. V. MADHAVA RAO S. V. GHATALIA Director Director Director Director Director

DEPOSIT INSURANCE AND

(फार्म

(Form

31 दिसंबर 1983 को समाप्त हुए

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR

Ⅲ — सामान्य

II - GENERAL

पिछले वर्ष Previous year लाख रुपये Rs. in lakhs	व्यय EXPENDITURE	लाख रुपये Rs. in lakhs
	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	
79.83	To Salaries and Allowances and contributions to Staff ProvidentFund	95.66
3.12	कर्मचारी उपदान निधि में अंशदान To Contributions to Staff Gratuity Fund	3.52
0.02	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क To Directors' and Committee Members' Fees	0.02
	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते To Directors' and Committee Members' Travelling	0.02
0.09	and Other Allowances	0.05
3.95	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि To Rent, taxes, insurance, lighting etc.	13.40
0.67	स्थापना-यात्रा और विराम भत्ते To Establishment—Travelling and Halting Allowances	1.07
3.12	मुद्रण और लेखन—सामग्री To Printing and Stationery डाक, तार और टेलीफोन	4.90
1.06	To Postage, Telegrams and Telephones	1.79
0.25	लेखा परीक्षकों का ञ्चल्क To Auditors' Fees	0.30
0.45	विधि प्रभार To Legal Charges	0.20
3.82	विविध व्यय To Miscellaneous Expenses	8.77
0.59	मूल्यहास To Depreciation	
96.97	आगे ले जाया गया Carried over	0.65 130.33

प्रत्यय गारंटी निगम

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

''आ'')

'B')

वर्ष का आय-व्यय लेखा

ENDED THE 31ST DECEMBER,1983

निधि

FUND

पिछले वर्ष Previous Year लाख रुपये Rs. in lakhs	. आय INCOME		लाख रुपये Rs. in lakhs
122.73	निवेशों से प्राप्त आय By Income from Investments		296.72
	देयता जो अब देय नहीं है उसकी पुरांकित राशि		
0.25	By Liability no more payable written back विविध प्राप्तियाँ		-
0.04	By Miscellaneous Receipts		0.05
•	2 2		
		,	
			_
	*	6.	
	आगे ले जाया गया Carried over		296.7

(जारी) (Continued)

पिछले वर्ष - Previous year लाख रुपये Rs. in lakhs	व्यय EXPENDITURE		लाख रुपये Rs. in lakhs
96.97	आगे लाया गया Brought forward	,	130.33
26.05	निवेश प्रारक्षित निधि में जमा किये गये निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए व्यवस्था To Provision for depreciation in value of investments credited to Investment Reserve		166.44
_	व्यय की तुलना में आय के अधिक होने के कारण सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित शेष To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve		
		٠.	
123.02	जोड़ TOTAL:	*	296.77

टिप्पणी: लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाओं को चलाने के लिए पिछले वर्षों में और 31 मार्च 1983 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने स्टाफ, परिसर, फर्नीचर और जुड़नार तथा कार्यालय संबंधी अन्य सहायता निःशुल्क प्रदान की थी। एक अप्रैल 1983 से रिजर्व बैंक ने निगम से परिसर के किराये और रख-रखाव के खर्च, बिजली के खर्च और कार्यालय संबंधी अन्य सहायता के खर्च की वसूली करने का निर्णय किया है। निगम द्वारा वहन किये गये ऐसे खर्चों के लिए लेखों में की गयी व्यवस्था अथवा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रतिपूर्ति किये जानेवाले व्ययों की समग्र राश 9.15 लाख रुपये है।

इसी तारीख की हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

हरिभक्ति एण्ड कं.	के.के. सक्सेना	म.वि.हाटे	पी.डी. ओझा	अशोक चंद्र
सनदी लेखाकार	महा प्रबंधक	अध्यक्ष	निदेशक	निदेशक
HARIBHAKTI & CO.	K. K. SAKSENA	M. V. HATE	P. D. OJHA	ASHOK CHANDRA
Chartered Accountants बंबई, दिनांक 23 मार्च 1984	General Manager	Chairman	Director	Director
Bombau dated the 23rd March	h 100/			

पिछले वर्ष Previous Year लाख रुपये Rs. in lakhs	आय INCOME	लाख रुपये Rs. in lakhs
123.02	आगे लाया गया Brought Forward	296.77
123.02	जोड़ TOTAL	296.77

Note: In the earlier years and upto 31st March 1983, the Reserve Bank of India had made available free of cost, the staff, premises, furniture and fixtures and other office assistance for operating the Credit Guarantee Schemes for Small Scale Industries. With effect from 1st April,1983, the Reserve Bank of India has decided to recover from the Corporation, premises rent and maintenance expenses, electricity charges and cost of a few other office assistance. Provision made in the accounts for such expenses borne by the Corporation or expenses to be reimbursed to Reserve Bank of India on the basis of advices received from them aggregate Rs.9.15 lakhs.

एस.वी. घाटलिया	आर. वी. माधवराव	बी. त्री. सोनालकर निदेशक	एम. आर. बी. पुंजा निदेशक	वी. एन. नाडकर्णी चिकार
निदेशक	निदेशक	ान दशक	ान दशक	निदेशक
S. V. GHATALIA	R. V. MADHAVA RAO	B. V. SONALKER	M. R. B. PUNJA	V. N. NADKARNI
Director .	Director	Director	Director	Director

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि तथा (ii) सामान्य निधि के 31 दिसंबर 1983 तक के संलग्न तुलनपत्रों तथा उपर्युक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित तीनों निधियों के आय-व्यय लेखे की भी लेखा परीक्षा कर ली है, तथा हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

- लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;
- उक्त तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 18 में विहित रीति की अपेक्षानुसार तैयार किये गये हैं,
- 3. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके अनुसार उक्त तुलनपत्र पूर्ण और सही हैं और वे सभी आवश्यक विवरणों को दर्शाते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किये गये हैं, कि उनसे 31 दिसंबर 1983 तक की निगम के कारोबार की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो।


REPORT OF THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and the Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund, of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st December, 1983 and also the respective Revenue Accounts of each of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report as under:—

- 1. We have been given all the explanations and information we had called for and have found them to be satisfactory:
- 2. The said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961;
- 3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said Balance Sheets are full and fair Balance Sheets containing all necessary particulars and are properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the state of affairs of the Corporation as at 31st December, 1983.

बम्बई,दिनांक 23 मार्च 1984

हरिभक्ति एण्ड कं. HARIBHAKTI & CO. सनदी लेखाकार Bombay, 23 March, 1984 Chartered Accountants



E. N. Kuil

